Page No 1

राज॰ ॥न विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४ तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का ३० वां दिवस [संख्या२२

मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बै ... बज कर ३१ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रा र हुई

(श्री रामनिवा... पदासीन)

...र

...ह, श्रम, यातायात, समाज कल्याण, ...निक निर्मा... सार्वजनिक सम्पर्क, ...द, सिंचाई ... प...विभाग]

प्रश्न ...ख्या ७८२

श्री अध्यक्ष ...श्न । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

अनुपस्थित ... आगे देखिये)

श्री केदारनाथ:-प्रश्न संख्या ७८३

(विराम)

श्री श्रम मंत्रीजी ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का सदन में पदार्पण)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ७८२ ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : ७८२, गृह मंत्रीजी ।

गांधी नगर में चोरियां

७८२ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी बाजार, जयपुर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जून सन् १९६२ से आज तक गांधी नगर पुलिस थाने में गांधी नगर की सरकारी कोलोनी में कितनी चोरियों की रिपोर्ट किस किस की दर्ज हुई तथा यह भी बतावें कि १ अगस्त, ६३ से १० अगस्त तक जब से दफ्तर का समय ९ बजे प्रातः हुआ है, कितनी

Page No 2

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चोरियों की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) उक्त चोरियों में कितनी चोरियों का माल बरामद हुआ व कितने चोर पकड़े गये व कितनों का चालान पेश कर दिया गया? क्या यह सत्य है कि पुलिस एक भी चोरी का माल बरामद नहीं कर सकी? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(३) क्या यह सच है कि उक्त सभी चोरियां दिन में ही हुई हैं जब कि उस समय कर्मचारीगण अपने दफ्तरों में ही रहते हैं?

(४) भविष्य में इस प्रकार की चोरियों की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बारे में सरकार क्या समुचित प्रबन्ध कर रही है?

(५) क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त चोरियों की घटनाओं के कारण उस कोलोनी के निवासियों में असंतोष व्याप्त है?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) १ जून, १९६२ से ३०-८-६३ तक गांधी नगर पुलिस थाने में गांधी नगर के सरकारी कोलोनी में ७ चोरियां होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें १-८-६३ से १०-८-६३ तक एक चोरी हुई। सूची संलग्न है।

(२) जी हां। अभी तक एक भी चोरी का पता नहीं लग पाया है जिसका मुख्य कारण यह है कि चोरों के कोई चिन्ह घटनास्थल पर नहीं मिले कि जिनसे मुकदमों की खोज में बहुत सहायता मिलती है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। दिन में गश्त बढ़ादी गई है और सादे लिबास में पुलिस कर्मचारी उस इलाके में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के लिये तइनात किये गये हैं।

(५) इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह व्यवस्था कब से की है?

श्री भीमसिंह : करीब दो-तीन महीने से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने लोगों को तैनात किया गया है?

श्री भीमसिंह : संख्या तो मैं अभी निवेदन नहीं कर सकूंगा लेकिन जितने आवश्यक हैं उतने ल

श्री सतीशचन्द्र

सम्बन्ध में तफतीश

श्री भीमसिंह : ५ तो अदम पते में चली गई हैं और दो की तफतीश चालू है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार के पास ऐसे वैज्ञानिक साधन नहीं हैं जिनसे चोरों का पता लग सके?

श्री भीमसिंह : साधन तो हैं, लेकिन सड़क पर निशान का पता नहीं मालूम होता। बाहर गांवों में खोज का पता लग जाता है कांच वगैरह से।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गांधी नगर कोलोनी में मकान ऐसे बनाये गये हैं जिनमें चोर आसानी से घुस कर चोरी कर सकते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या यह सही है कि चोरों के पास भी वैज्ञानिक तरीका है चोरी करने का ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) हे ।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

गंगानगर शुगर मिल मजदूरों की यूनियन

७८३. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जब गंगानगर शुगर मिल में एक ही रजिस्टर्ड यूनियन कार्य करती है और जिसका सम्बन्ध इंटक से है, फिर भी उसको अभी तक मान्यता नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : इस यूनियन को सन् १९५६ में मालिक कारखाने ने कोड ऑफ डिसिप्लिन के अन्तर्गत मान्यता दे दी थी । परन्तु सन् १९५६ से १९६२ तक इस यूनियन का पंजीकरण दो बार रद्द हो चुका था । बिना पंजीकरण के यूनियन को मान्यता नहीं दी जाती है । तारीख ३–१२–६२ को पुनः पंजीकरण हो गया है चूंकि यह अकेला यूनियन इस कारखाने में काम करता है अतः मालिक कारखाने को मान्यता देने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये । श्रम विभाग की ओर से मालिक कारखाने को इस यूनियन को मान्यता देने के लिये लिखा जा चुका है ।

श्री भीमसेन : इसका मालिक कौन है ?

श्री भीखाभाई : मालिक जो होता है वही होता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मालिक मान्यता न दे तो कन्ट्रोल कर सकती है सरकार ?

श्री भीखाभाई : जो कानून बना हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उद्योग विवाद कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार, मालिक तो आप हैं उसके ।

प्रश्न संख्या ७८४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

भरतपुर में पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

७८५. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों में कितने पिछड़े वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ? क्या वह संख्या निर्धारित कोटे के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो चतुर्थ श्रेणी में पिछड़े वर्ग का निर्धारित कोटा पूरा क्यों नहीं किया जाता है ?

Page No 4

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर काफी प्रयत्न करने के बाद भी नहीं आ पाया है। इसका उत्तर अगली टर्न पर दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : मानिकचन्द सुराणा।

गंगानगर में थानेदार

७८६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री गंगानगर जिले में कितने वर्तमान थानेदार ऐसे हैं जो उसी जिले के हैं ? ऐसे थानेदारों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त थानेदार गंगानगर जिले में पहले किन किन सालों व तारीखों में रह चुके हैं ? उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) उक्त थानेदारों को अपने घर के जिले में ही पोस्ट किये जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) गंगानगर जिले में १३ थानेदार ऐसे हैं, जो उसी जिले के रहवासी हैं। सूची साथ में संलग्न है।

(२) सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(३) कोई विशेष कारण नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने जिलों में कम से कम रखा जाता है और इस सम्बन्ध में नियम भी बने हुए हैं ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह सही नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं है मैंने 'नहीं' कहा है। मेरे पूछने का मतलब यह है कि प्रायः सरकारी कर्मचारी को अपने जिले में नहीं रखा जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सही नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अपने जिले में ही रखा जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसे सरकार के आदेश हैं कि जिनकी २५० से नीचे की तनख्वाह होती है उनको अपने जिले में ही रखा जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गंगानगर की परिस्थिति को देखते हुए स्थानीय थानेदारों के रहने का कारण पाटिजन एटो चूड लेते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह उचित नहीं समझते।

श्री मानिकचन्द सुराणा ; क्या इनको जल्दी से जल्दी बाहर भेजा जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी व्यक्ति गंगानगर में तीन साल रह जाय, तो दुबारा

(श्री मथुरादास माथुर)

उसका पोस्टिंग नहीं किया जाता। चार आदमी रह गये जो तीन साल से ज्यदा के थे। उनको बक्तन फवक्तन हटा रहे हैं एक दम हटाने से रॉ हैड ग्रा जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : महावोर सिंह थानेदार पांच साल से बैठा है उसको न हटाने का क्या कारण है ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामकिशन (वैर) ; अध्यक्ष महोदय मेरा एक इम्पोर्टेन्ट क्वेशचन रह गया। मैं किसी बीमार को लेकर चला गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : It may be taken, Sir. It is very important.

ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों द्वारा रक्षाकोष के लिए वसूली

७८४ श्री रामकिशन (वैर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्रार. टी. ग्रो. जयपुर के ग्रादेशानुसार जयपुर की विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों ने ट्रक से माल लाने ले जाने पर ५ रुपया सैकड़ा के हिसाब से रक्षा कोष वसूल किया है ? यदि हां, तो किस किस कम्पनी ने कितना कितना रक्षा कोष वसूल किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि रक्षा कोष प्राप्त करने वाली ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों ने रक्षा कोष वसूली की रसीदें नहीं दी हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि ट्रक ग्रोनर्स एसोसियेशन, जयपुर ने विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों से प्राप्त हुई रक्षा कोष की रकम को ग्रार. टी. ग्रो. ग्राफिस, जयपुर में जमा कराया है ? यदि हां, तो एसोसियेशन के पास कितनी रकम जमा हुई थी ग्रौर उसमें से कितनी ग्रार. टी. ग्रो. ग्राफिस में जमा हुई है ग्रौर कितनी जमा नहीं हुई है ?

(४) क्या यह सत्य है कि ट्रक ग्रोनर्स एसोसियेशन जयपुर ने रक्षा कोष की सारी रकम ग्रार. टी. ग्रो. ग्राफिस में जमा नहीं करायी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस एसोसियेशन के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। ऐसा कोई ग्रादेश ग्रार. टी. ग्रो. जयपुर द्वारा नहीं दिया गया।

(२) यह व्यक्तिगत ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों से पूछताछ करने पर पता लग सकता है।

(३) ट्रक ग्रोनर्स एसोसियेशन के नाम से कोई संस्था नहीं है। परन्तु जयपुर ट्रांसपोर्ट ग्रोपरेटर्स यूनियन ने विभिन्न कम्पनियों से १५७३२.६० न. पै. वसूल किये जाहिर करते हैं। श्री कालड़ा चेयरमैन ने ७५४० रु. जमा कराया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

१. राजस्थान महिला प्रतिरक्षा समिति को दिनांक

Page No 6

(श्री भीमसिंह)

२६-१०-६२ को दिया रु. ३६४०.००

२. चीफ मिनिस्टर्स डिफेन्स सर्विस वेलफेयर फण्ड में तारीख ७-११-६२ को दिया रु. ११००.००

३. चीफ मिनिस्टर्स डिफेन्स फण्ड में दिनांक १४-?-६३ को दिया रु. २५००.००

योग रु. ७५४०.००

(४) जी हां। एन्टीकरप्शन बिभाग द्वारा जांच की जा रही है। फाइनल रिपोर्ट माने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : एन्टीकरप्शन बिभाग द्वारा क्या कोई केस रजिस्टर किया गया है ?

श्री भीमसिंह : अब तक उनकी इन्क्वायरी चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इन्क्वायरी कब से चल रही है ?

श्री भीमसिंह : यह इन्क्वारी ७-६-६३ से चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्क्वायरी किस बात की चल रही है ?

श्री भीमसिंह : इनके खिलाफ कम्पलेन्ट पुट अप हुई है उसकी इन्क्वायरी चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके खिलाफ ?

श्री भीमसिंह : यह जो चन्दा इकट्ठा किया गया था वह चन्दा पूरा नहीं जमा हुआ। इस पर कुछ लोगों की दरख्वास्त आई, चीफ मिनिस्टर महोदय के पास कि डिफेन्स फन्ड के नाम पर चन्दा इकट्ठा किया गया, लेकिन वह जमा नहीं कराया।

श्री विजयसिंह भामा (नाथद्वारा) : क्या यह सही कि जो चन्दा इकट्ठा किया गया उसमें से १२०८)१६ सेलेरीज़ के इसके सेक्रेटरी को दिया गया ?

श्री भीमसिंह : यह सारी जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के पास कुछ तथ्य हों तो वे मंत्री महोदय को दे दें ताकि जांच में आसानी हो।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : प्रश्न यह है कि जो डिफेन्स फन्ड के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया क्या वह सारा डिफेन्स फन्ड में जमा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच हो रही है।

श्री राधाकिशन गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि १५ हजार से अधिक राशि वसूल की गई और उसमें से करीब सात हजार रुपया जमा कराया गया, ८ हजार रुपये का मिस एप्रोप्रियेशन हुआ है, उसके संबन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

Page No 7

श्री भीमसिंह : इसकी जांच हो रही है।

श्री रामकिशन : डिफेन्स ग्रॉफ इन्डिया रूल्स के तहत क्या ग्राप कार्यवाही नहीं कर सकते ?

श्री ग्रध्यक्ष : जांच होना जरूरी है, फेक्ट के ऊपर ही कार्यवाही होगी ।

श्री राधाकिशन गोयल : उप मंत्री महोदय; यह स्वीकार करते हैं कि १५ हजार रुपये में से केवल सात हजार रुपया ही जमा हुग्रा है; बाकी का मिस एप्रोप्रियशन है ?

श्री ग्रध्यक्ष : Order ! Order !! मंत्री महोदय ने कहा है जांच हो रही है ।

श्री राधाकिशन गोयल : यह तो फेक्ट्स सदन के सामने ग्रागये हैं कि १५ हजार में से केवल सात हजार रुपया ही जमा कराया है बाकी का कहां गया ?

श्री ग्रध्यक्ष : जब तक पूरी जांच न हो जाय तब तक यह कैसे कह सकते हैं ।

श्री रामकिशन : ग्रब क्या जांच बाकी है ?

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : माननीय उप मंत्री महोदय ने यह जवाब में स्पष्ट कह दिया है कि १५ हजार ग्रौर कुछ रुपया इकट्ठा हुग्रा है उसमें से सात हजार ग्रौर कुछ रुपया जमा किया गया है, यह तो मंत्री महोदय के जवाब से स्पष्ट है । ग्राठ हजार रुपये की रकम जमा नहीं कराई गई ग्रौर जब कोई यह ग्राठ हजार रुपया रखता है तो यह मिस एप्रोप्रियेशन है । जांच चलती रहे किन्तु प्राइमाफेसो तो केस बन चुका है जबकि ग्राठ हजार रुपये जमा नहीं कराये तो इसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री ग्रध्यक्ष : This is no question actually.. माननीय मंत्री महोदय ने कहा है सारे फेक्ट्स को एडमिट करते हुए भी जांच होना ग्रावश्यक है । सारे तथ्यों पर जांच के बिना नहीं पहुंचा जा सकता ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : कुछ फेक्ट्स हम जानना चाहते हैं सरकार के नोटिस में हैं या नहीं ।

श्री ग्रध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : क्या यह...

श्री ग्रध्यक्ष : I shall not allow. No more questions please.

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : क्या एन्टी करप्शन विभाग ने ४०६ की तहत प्रोसीक्यूट करने को कहा है ।

श्री ग्रध्यक्ष : इस प्रकार से क्वश्चन पूछने पर न तथ्य ही सामने ग्रा सकते हैं ग्रौर न कोई निश्चित कार्यवाही हो कर सकते हैं ।

श्री रामानन्द : ग्रध्यक्ष महोदय...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । जब तक जांच न होजाय. unverified facts लाना उचित नहीं है । माननीय सदस्यों से निवेदन है कि ग्रगर उनके पास कोई ऐसे फेक्ट्स हों जो जांच में मदद दे सकें वे माननीय मंत्री महोदय को दे दें ।

श्री रामकिशन : यह जवाब जो दिया गया है; वह तथ्य ही काफी है ।

श्री अध्यक्ष : प्रन वेरीफाइड फेक्ट्स के आधार पर और प्रीजम्पशन के आधार पर कोई वक्तव्य न तो मंत्री महोदय की ओर से दिया जाय और न माननीय सदस्यों की ओर से ।

श्री रामकिशन : यह मंत्रीजी ने माना है कि १५ हजार में से सात हजार जमा करा दी है, बाकी जमा नहीं कराई है ?

श्री विजयसिंह भाला : यह रुपया बैंक में जमा करा दिया गया है ६-७-६२ और १२-७-६३ को ।

श्री अध्यक्ष : आप मत बोलिये आप फेक्ट्स पूछिये । आप घुमा फिराकर क्या हुआ क्या ठीक हुआ क्या नहीं हुआ इसके पूछने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं फेक्टस की जानकारी कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : एक भी फेक्ट नहीं पूछा गया, केवल गोलमाल पूछा गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं फेक्ट की बात पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बाकी जितना रुपया रहा है वह १२-७-६३ को जमा करा दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : जी हां । सही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सरकार के वह नोटिस में आया कि बाकी रुपया जमा नहीं कराया है बाकी रुपया उन्होंने अपने कब्जे में क्यों रखा उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री भीमसिंह : ज्योंही यह बात नोटिस में आयी एन्टी-करप्शन विभाग ने यह मामला टेक अप कर लिया है, सारे रेकॉर्ड्स, फेक्ट व फीगर्स उसने अपने कब्जे में ले लिये हैं । बाकायदा जितनी जानकारी और तफतीश करनी है वह चालू है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आपको यह पता चला कि रुपया जमा नहीं हुआ तो आपने रसीद बुकें, दूसरा रेकार्ड और दूसरा मेटीरियल जो इससे संबन्धित था वह कब्जे में क्यों नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का मतलब इतना ही है किसी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना और जो तथ्य हों वे सामने लाना ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह एन्टीकरप्शन ने रिकमन्ड किया था कि इनको ४०६ की तहत में प्रोसीक्यूट किया जाय, लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि वे इन्फ्लुन्शियल हैं ?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय कल ही आई० जी० पी० से मालूम हुआ इस मामले को क्लोज़ कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : All this would be indecisive and the Government will not be able to give anything.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तरफ इन्क्वायरी क्लोज़ कर रहे हैं दूसरी तरफ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन में कह रहे हैं इन्क्वायरी चल रही है।

श्री भीमसिंह : इन्क्वायरी चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मामूली सा सन्देह होने पर एम० एल० ए० तक को गिरफ्तार कर लिया जाय और दूसरी तरफ क्लीग्ररकट खयानत है उस पर भी गिरफ्तार न किया जाय और उस मामले को दबाया जाय।

श्री अध्यक्ष : Even then it cannot be opened in that way,

श्री भीमसिंह : असेम्बली में प्रश्न पूछा, उसके बाद ६,८६२) रुपया १२।६।६३ को डिफेन्स फन्ड में जमा करा दिया है। २ हजार रुपया बाकी है, उसके लिए इन्क्वायरी चल रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि इतने दिनों तक वह रुपया रखने के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्क्वायरी करते उसमें खयानत बनती है या नहीं, इसके लीगल कॉन्सीक्वेन्सेज क्या हैं कि डिफेन्स फन्ड का रुपया इतने दिनों तक क्यों रखा; यह जानना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, रसीदें डेस्ट्रोय कर रहे हैं उनको किपचर करना चाहिये; they must be seized.

श्री भीमसिंह : सारा रेकार्ड सील किया जा चुका है इन्क्वायरी चल रही है किसी को शील्ड नहीं किया जायगा वाकई जिसका कसूर है उसको पकड़ा जायगा।

श्री रामकिशन : इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं पकड़ा ?

श्री अध्यक्ष : नेशनल डिफेन्स फन्ड का मामला है बहुत ध्यानपूर्वक इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये और माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार भावना प्रदर्शित की है उसको ध्यान में रखते हुए आप सारी कार्यवाही करें। यही मैं निवेदन करूंगा।

कोटा में बैठक

७८७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तारीख ११ जून १९६२ को मन्त्री महोदय ने कोटा में मुख्य अभियन्ता विद्युत एवं श्री मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को बुलाया था ? अगर हां, तो किसलिये ?

(२) उनके साथ और कौन कौन से अधिकारी गण जयपुर से कोटा गये थे ?

(३) उन्होंने वहां क्या कार्य किया ?

(४) उनके सफर खर्च पर कितना व्यय हुआ ?

(५) क्या इस प्रकार की मीटिंगों के आयोजन किन्हीं और जिलों में भी हुये हैं ?

Page No 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यदि हुये हैं तो उनके नाम और तारीख बताने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां एक इनफोरमल मीटिंग राज्य अधिकारियों एवं कोटा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाई गई थी।

(२) जो अधिकारी गण इस मीटिंग के लिये कोटा गये थे उनमें निर्माण सचिव मुख्य अभियन्ता भवन व पथ, मुख्य अभियन्ता जलदाय विभाग संचालक यातायात विभाग जनरल मैनेजर रोडवेज थे व मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग वहां पहले से ही अन्य कार्यवश मौजूद थे।

(३) उन्होंने इस मीटिंग में अपने विभाग के उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जो मीटिंग के समक्ष विचाराधीन थे।

(४) मुख्य अभियन्ता भवन व पथ का खर्च केवल ३७ रुपया हुआ व मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग वहां पहले से ही कार्यवश मौजूद थे। बाकी के खर्च की सूचना प्राप्त कर भेज दी जावेगी।

(५) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आपने बतलाया, जो एजेण्डा में काम मौजूद था वह किया गया तो एजेण्डा में से कौन कौन सा काम किया गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसा ऐसा स्पेशल काम था जिससे और जिलों में मीटिंग का आयोजन न करके केवल कोटा जिले में किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र: वहां अक्सर कम्पलेन्ट्स आती थीं कि बिजली बन्द हो जाती है, सदन में भी हमारा अनुभव रहा है। तो इस सिलसिले में मीटिंग की गई थी, और भी की जावेगी भविष्य में सड़कों के मामले भी थे। वहां की म्यूनिसिपैलिटी के चैयरमैन जन संघ के हैं उनका कहना था कि वहां की सड़कों की हालत बड़ी खराब है। कई सड़कों को ठीक करवाया जावे तो इनके लिये भी वहां जाकर मीटिंग की गई। इस तरह जल विभाग की भी कई बातें थी जो इन्डस्ट्रीज से ताल्लुक रखती थी तो उनके लिये भी की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या इस प्रकार की शिकायतें दूसरे जिलों के मुख्तलिफ विभागों से प्राप्त नहीं हुई हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचनायें तो कई जगहों से आती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर उन दूसरे जिलों में अभीतक क्यों नहीं कोई मीटिंग आपने की या नहीं की तो अब करने का आश्वासन आप हमें देते हैं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस जिले के साथ ही पर्टिक्यूरली आपने मीटिंग रक्खी, ऐसी क्या खासियत थी इसमें ? जिससे एक्सचेकर पर आपने इस एमर्जेन्सी के वक्त बोझा डाला,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खर्चा किया आने जाने में, और अगर यह आपकी कोई जनरल पालिसी हो कि सभी जगह करते हैं तो फिर दूसरी जगह क्यों नहीं की, नहीं की तो क्या ऐसा आश्वासन देते हैं ? नहीं देते तो क्या यह सही नहीं है कि इन्डिविजुअल लोगों को इमीजिएटली कुछ लाभ पहुंचाने और उनकी बातों को मानने के लिये इस तरह का काम किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं, कतई नहीं। इसमें इन्डिविजुअल का प्रश्न नहीं आता। जन संघ के चेयरमैन भी थे उनके भी काम थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर दूसरी जगहों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव क्यों करते हैं और जगह भी आप ऐसी बैठकें रख सकते थे, जोधपुर में बीकानेर में भी अलवर और भरतपुर में भी करिये सब जगह ऐसी प्रोब्लम्स हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गंगानगर में भी करिये।

कोटा के पुलिस कर्मचारियों का निलम्बन

७८८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक ८-८-६३ को कोटा शहर के तीन थानेदार व दो हेड कॉन्स्टेबिल दो वेश्याओं को सुपरिन्टेन्डेट पुलिस के नाम पर जबरन अभेड़ा के महलों में ले गये और वहां मदिरा पान व व्यभिचार किया ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त पुलिस कर्मचारीगण उस दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तथा बिना पूर्व स्वीकृति अथवा छुट्टी उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन छोड़े ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त पुलिस कर्मचारियों ने अभेड़ा के चौकीदार द्वारा स्वीकृति पत्र मांगने पर उसे मारा और जबरन महल का ताला तोड़कर उसमें घुस गये ?

(४) क्या यह सत्य है कि चौकीदार की सूचना पर स्वयं सिटी मजिस्टेट कोटा मय पुलिस गार्ड के घटनास्थल पर पहुँचे व पुलिस कर्मचारियों को मय वेश्याओं के घटनास्थल पर पकड़ा ?

(५) क्या यह सत्य है कि उक्त पुलिस कर्मचारियों को एस० पी० कोटा ने बाद जाँच सस्पेन्शन के आदेश दे दिये थे ?

(६) क्या यह सत्य है कि उक्त सस्पेन्शन के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो किसके द्वारा और क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) इसमें चार सब इन्सपेक्टर व एक हैड कॉन्स्टेबल व एस० पी० का स्टेनो शामिल थे। इन्होंने मदिरा-पान तो किया परन्तु व्यभिचार नहीं किया।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) यह सत्य है कि अभेड़ा महल के चौकीदार की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुँचे थे।

(श्री भीमसिंह)

पर यह रिपोर्ट इन पुलिस के थानेदारों के खिलाफ नहीं की गई बल्कि उन १५०-२०० व्यक्तियों के खिलाफ की थी जो जबर्दस्ती अमेडा महलों में घुस गये थे। यह सत्य है कि जब सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस ऑफिसर वहां पहुँचे तो ये चारों सब इन्सपेक्टर मय वेश्याओं के वहां मौजूद थे।

(५) जी हां।

(६) जी हां। चूंकि जांच के मुकम्मिल कागजात दोषी अफसरों के जवाब डी. आई. जी. पी., उदयपुर के पास नहीं पहुँचे थे। इसलिये सस्पेन्शन के हुक्म को निरस्त कर दिया गया था। अब उक्त कार्यवाही के पूर्ण हो जाने से उन्हें पुनः निलम्बित कर दिया गया है।

राजस्थान स्टेट रोडवेज

७८६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि स्टेट रोडवेज् सरकारी महकमा होने के साथ साथ व्यापारी (कार्मशियल) महकमा भी है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि स्टेट रोडवेज के प्रशासक व कर्मचारी प्रशासन के महकमे की तरह ही अधिकतर काम करते हैं लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिहाज से व जनता की सुविधा देने की दृष्टि से कतई काम नहीं करते ?

(३) क्या यह भी सच है कि स्टेट रोडवेज् के कर्मचारी उनकी इच्छा होती है वहां से तो सवारी रास्ते से ले लेते हैं और उनकी इच्छा न होने पर रास्ते की सवारी नहीं लेते है ?

(४) क्या यह भी सच हैं कि नेशनैलाइज्ड रूट्स पर जाने वाले तमाम यात्रियों को ले जाना व बगैर समय खराब किये ले जाना स्टेट रोडवेज् की मेन्डेटरी ड्यूटी है, जिसे स्टेट रोडवेज नेशनैलाइज्ड रूट पर पूरा नहीं कर रही है।

(५) किसी स्टेशन पर यात्री अधिक होने की दशा में स्टेट रोडवेज की तरफ से उन यात्रियों को अपने स्थान पर नेशनेलाइज्ड रूट पर पहुंचाने की कितने समय में व्यवस्था की जाती है व किस तरह से।

(६) क्या सरकार रेलवे युजर्स कन्सलटेटिव कमेटीज की तरह स्टेट रोडवेज यूजर्स कन्सलटेटिव कमेटीज् बनाने का खयाल रखती है ताकि अलग अलग स्तर पर यूजर्स की तकलीफात दूर की जा सके ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां।

(२) राजस्थान स्टेट रोडवेज् सरकारी विभाग के साथ साथ कार्मशियल भी है। जी नहीं, सरकारी नियमों के साथ साथ आमदनी बढ़ाने की भरसक चेष्टा की जाती है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। रोडवेज् विभाग अपनी

Page No 13

(श्री हरिश्चन्द्र)

ड्यूटी पूर्ण रूप से दे रहा है तथा गाड़ियों को नियत समय पर चलाने की व्यवस्था कर रहा है।

(५) खास खास स्टेशनों पर जहां विभाग द्वारा रिजर्व गाड़ियां रखी जाती हैं वहां तो शीघ्र ही स्पेशल गाड़ियां लगा कर यात्रियों को उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। नेशनेलाइज्ड मार्ग के उन स्थानों पर जहां गाड़ियां रिजर्व नहीं रखी जाती उन स्थानों के बुकिंग क्लर्कों को हिदायतें हैं कि वे शीघ्र अपने सम्बन्धित डिपो को सूचित करें, सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र गाड़ियां भेजी जाती हैं और यात्रियों को उनके स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

(६) सरकार रीजनल एडवाइजरी कमेटी बनाने का विचार रखती है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि इन्टरमीजियरी स्टेशनों पर पैसेन्जर पड़े रहते हैं उनको लेने की चिन्ता नहीं की जाती ?

श्री हरिश्चन्द्र : उनको लेने के लिये हिदायतें करदी गई हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : जो कन्डक्टर भेजते हैं उनका आने जाने का माइलेज के हिसाब से पूरा नहीं पड़ता है तो किराया ।।) के हिसाब से कन्डक्टर से काटा जाता है इन्टरमीजियरी स्टेशनों पर इसलिये पैसेन्जर पड़े रहते है और उनके लिये गाडियां नहीं आती डिपो से तो इनके लिये क्या हिदायतें दी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिपो से गाड़ी आने का क्या सवाल है ? डिपो से तो गाड़ियां सारी आती ही हैं। और बीच में जो सवारी मिलती है उसको उठाने का प्रयास किया जाता है। अगर आपके पास शिकायतें ऐसी आई हों, कुछ मेरे पास भी आई हैं, तो आप मुझे और कहें, मैंने अपनी शिकायतों के आधार पर फिर कह दिया है। एक दफा नहीं कई बार कह दिया गया है।

श्री तेजाराम गहलोत : जोधपुर, जेतारण, बर, नीमाज, ब्यावर वाले रूट पर इन्टरमीजियरी स्टेशनों पर रास्ते के पैसेन्जर लेते नहीं, खड़े रहते हैं। इनके लिये भी हिदायत दी जानी चाहिये

श्री हरिश्चन्द्र : और कर देंगे।

समाज कल्याण विभाग का बजट

७६०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग का कुल कितने रुपये का वार्षिक बजट वर्ष १९६२-६३ में था ? और बजट का कितना रुपया

Page No 14

(श्री जयनारायण सालोदिया)

विभाग के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय हुआ ?

(२) विभागीय अध्यक्षों आफीसरों व अन्य कर्मचारियों के यात्रा व्यय आदि में साल भर में कितना व्यय हुआ।

(३) मकानों के किराये, गाड़ियों के पेट्रोल, बिजली, पानी, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि पर वार्षिक व्यय कितना हुआ ?

(४) अनुसूचित जाती व अनुसूचित आदिम जाति के लोगों से सम्बन्धित कार्यों पर कितना व्यय हुआ ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) समाज कल्याण विभाग का १९६२–६३ का बजट ९२,४६,३४६) रुपये का था। बजट का ४,०२,२६३) रुपये प्रशासन के अन्तर्गत विभाग के कर्मचारियों पर व्यय हुआ।

(२) प्रशासन के लिए इन मदों पर ५३,१६७) रुपये व्यय हुआ।

(३) इन विषयों पर खर्चा ,६२,०९१) रुपये व्यय हुआ।

(४) १९६२–६३ में अनुसूचित जन जाति के कल्याण कार्यों पर ३२,३६,१०३) रु. और अनुसूचित जातियों पर १८,७७,३६६) रुपये व्यय हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जैसा आपने बताया ५७ लाख व्यवस्था पर खर्च करते हैं तो क्या सरकार इसको अधिक नहीं मानती ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने तो ४,०२,२६३) रु० बताया है। ५७ लाख आप कहां से ले आये ? यह सारे बजट का पांच परसेंट ही तो होता है।

नगर पहाड़ी रोड़ का निर्माण

७९१. श्री मजलिस खां (कामां) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगर पहाड़ी रोड़ का निर्माण कार्य कहां से कहां तक पूरा हो चुका है ?

(२) यदि कुछ हिस्सा बाकी है तो उसको पूरा करने में क्या बाधा आ रही है, जिससे काम बन्द पड़ा है ? यह काम कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) पहाड़ी की ओर से मील ०।० से ९।०, १३।० से १४।० तथा २०।० से २३।० तक का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(२) बाकी भागों में कार्य प्रगति पर है और आशा की जाती है कि यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जावेगा।

प्रश्न संख्या ७९२

श्री अध्यक्ष : सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७९१.

श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

एडवर्ड मिल, ब्यावर के प्रोविडेंट फंड की राशि

७९४. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एडवर्ड मिल ब्यावर के मैनेजमेंट ने श्रमिकों के वेतन में से काटी गई प्रोविडेंट फंड की राशि को सरकार के पास जमा नहीं कराया ?

(२) मैनेजमेन्ट द्वारा दिये जाने वाला उक्त राशि का भाग तथा श्रमिकों से काटी गई राशि का यह योग कितना है कि जो जमा नहीं कराया गया ?

(३) उक्त राशि कब के कब तक की, कुल कितने समय की है ?

(४) यह राशि इतने समय तक मिल मालिक के पास सरकार ने कैसे रहने दी ?

(५) इस सम्बन्ध में एडवर्डमिल ब्यावर के मालिकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) मालिक का भाग १,१८,२२९)२५ न.पै. श्रमिकों का भाग १,१८,२२९)०० रुपये कुल मिलाकर के २,३६,४५८)२५ न.पै. (अप्रेल १९५८ से मार्च, १९६० तक।

(३) अप्रेल १९५८ से मार्च १९६० तक यानि दो वर्ष की।

(४) मालिक एम्पलाइज प्रोवीडेन्ट फण्ड स्कीम १९५२ के पैरा ३८ के अनुसार निश्चित अवधि में दो वर्ष की रकम जमा कराने में असमर्थ रहा। समय समय पर नोटिस भी दिये गये परन्तु कोई फल नहीं हुआ। इसके विरुद्ध कामगार भविष्य निधि अधिनियम की धारा १४ व ८ के अन्तर्गत रेवेन्यू व क्रिमिनल कार्यवाहियां की गई। अप्रेल १९६० से मिल का प्रबन्ध सरकार के हाथ में आजाने के कारण रेवेन्यू व क्रिमिनल कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई थी।

(५) इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है। उत्तर मिलने पर शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री कुमारानन्द : यह जो प्रोवीडेन्ट फण्ड जमा नहीं कराया है तो मिल मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही करने की सरकार सोच रही है ?

श्री भीखाभाई : सरकार जो कर सकती थी, उसने वह सब कार्यवाही की है और इसके बाद में समझौता हुआ उसके अनुसार ५० हजार प्रति वर्ष जमा होता रहा और इस तरह २,३६ हजार रुपया जमा होते होते अब आज जो स्थिति है उसके अनुसार ४२,७२७) रुपया बाकी है और इसके बारे में भी शीघ्रातिशीघ्र पेमेन्ट कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कुमारानन्द : क्या यह सच है कि टेक्सटाइल लेबर यूनियन ब्यावर ने मंत्री

Page No 16

(श्री कुमारानन्द)

महोदय को लिखा है कि प्रोवीडेन्ट फंड जमा नहीं कराया मालिक ने ? अगर यह सही है तो फिर सरकार ने क्या कार्यवाही की मिल मालिक के खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री कुमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, यह एक जरूरी प्रश्न है । मिल मालिक ने प्रोवीडेन्ट फण्ड जमा नहीं कराया । मंत्री महोदय को यह मालूम है । फिर वे क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसके लिये वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया न कि उन पर मुकदमा चलाया गया । बाद में समझौता हुआ, अब मिल सरकार के हाथ में है । अब सरकारी आदमियों से बात हो रही है ।

(३. म. प.)

गंगानगर जिले में समाचार पत्रों के डिक्लेरेशन

७९५. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आज तक गंगानगर जिले में कितने समाचार पत्रों को डिक्लेरेशन दिया गया और उसमें से कितने प्रकाशित हुए ?

(२) इस जिले में जो पत्र प्रकाशित ही नहीं हुए उनका डिक्लेरेशन कायदे से कब खत्म होना चाहिये था और कब खत्म किया गया ?

(३) क्या और भी समाचार-पत्र अनियमित रूप से प्रकाशित होते हैं ?

जन-सम्पर्क मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) सन् १९६३ के प्रारम्भ में इस जिले में १० अखबारों के डिक्लेरेशन प्रभावशील थे इसके अतिरिक्त माह मार्च ६३ व अप्रेल ६३ में एक एक डिक्लेरेशन और दिया गया था । इस प्रकार कुल १२ डिक्लेरेशन प्रभावशील थे । जिनकी सूची शामिल है । उनमें से आइटम नं० १ ने दो अखबार, नं० २ ने १८, नं० ४ ने ७, नं० ७ ने ६, नं० १२ ने ५ अंक इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार प्रकाशित किये ।

(२) नियमानुसार समाचार-पत्र का डिक्लेरेशन उस सूरत में स्वतः ही रद्द हो जाता है, यदि एक तिमाही अरसे में उस पत्र के साधारण तथा जितने अङ्क प्रकाशित होने चाहिए थे, उससे आधे से भी कम अङ्क प्रकाशित हुए हों । इस नियम के अनुसार माह अप्रेल में ५ समाचार-पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त कर लिये गये थे । जब्त करने की तिथि सूची में दर्ज करदी गई ।

(३) बिना डिक्लेरेशन के कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता है । अभी हाल ही में एक समाचार-पत्र 'विश्वविजय' जिसका डिक्लेरेशन सन् १९६२ में जब्त कर लिया गया था, उसके बाद भी उसने जून ६३ में एक अंक निकाला था । उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और उसी

Page No 17

(श्री मथुरादास माथुर)

वजह जाहिर करने का नोटिस दिया गया है जिस पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ७९६.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

आयुर्वेद के प्रोफेसरों की निर्धारित योग्यतायें

७९७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान सरकार ने आयुर्वेदिक विभाग में किस आदेश द्वारा प्रोफेसरों के पदों के लिए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है ?

(२) प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिये राजस्थान सेवा आयोग द्वारा कितने विज्ञापन निकाले गये ? क्या इन सब विज्ञापनों में एक ही प्रकार की योग्यता चाही गई है ? यदि नहीं, तो भिन्नता का उद्देश्य क्या है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) राजस्थान सरकार द्वारा १६–६–५६ में आयुर्वेद सर्विस रूल्स प्रकाशित किये जाकर उसके अन्तर्गत नियम संख्या २१ में अङ्कित हैं। निर्धारित योग्यताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिये जन सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन २६–५–५६ को और दूसरा विज्ञापन ६–७–५८ को प्रकाशित हुआ है; इन दोनों विज्ञापनों में योग्यता तो वही है परन्तु अनुभव का अन्तर रहा है। यह अन्तर इसलिए रहा है कि २६–५–५६ तक सरकार द्वारा आयुर्वेदिक सर्विस रूल्स प्रकाशन में नहीं आये थे। इसलिये वहां १० वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था। आयुर्वेदिक स्टेट रूल्स बन जाने पर उसके अनुसार ५ वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया, भिन्नता का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल स्टेट सर्विस रूल्स के प्रकाशन न होने का ही मुख्य कारण था।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार (डुंगरपुर/निम्बाहेड़ा) : क्या प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिये टीचिंग एक्सपीरियन्स मांगते हैं या दवाखाने में बैठ कर दवा बनाने का ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिस प्रकार की क्वालीफिकेशन की आवश्यकता है उसकी सूची सदन में रख दी गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए टीचिंग एक्सपीरियन्स जरूरी है या दवाखाने में कोई एक्सपीरियन्स गेन किया उसको जरूरी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

जैसलमेर में डाकू

७९८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)

[श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैसलमेर जिले में विगत दिनों कितने डाकू पकड़े गये हैं, उनमें से कितनों ने आत्म समर्पण किया है ? आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं के प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में उप-मंत्री और मंत्री महोदय एक राय के नहीं मालूम होते हैं।

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : The question was in the name of Shri Murlidhar Vyas and I never heard him...

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : सन् १९६३ में जिला जैसलमेर में केवल २० डाकू पकड़े गये जिनमें से १९ डाकुओं ने आत्म समर्पण ग्राम पेथला जिला जैसलमेर में दिनांक १७-६-६३ को किया। आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है एवं जिन केसेज़ में उनकी चाहना थी उन केसेज़ में उनकी शनाख्तगी की कार्यवाही कराई जा रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि इन डाकुओं की ट्रायल के लिए एक स्पेशल मजिस्ट्रेट जैसलमेर में कायम किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किन वजूहात से स्पेशल मजिस्ट्रेट जैसलमेर में कायम किया जब कि ऑफेन्सेज कमिट हुए वे जालोर और सांचोर में थे तो यह जैसलमेर में स्पेशल मजिस्ट्रेट क्यों कायम किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑफेन्सेज कमिट किए वह जालोर में ज्यादा थे, बाड़मेर में भी थे, जैसलमेर में भी थे, बीकानेर और जोधपुर में भी थे। इसलिये जैसलमेर में कायम किया गया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि पुलिस ने रिमाण्ड नहीं लिया और आर्म्स रिकवरी के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किये ?

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस कस्टेडी में हैं अभी भी, तो रिमाण्ड किस बात का ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जितने गवाह शनाख्तगी के लिये जाते हैं उनको जैसलमेर स्टेट एक्सपेन्सेज़ पर बुलाया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : कानून के हिसाब से जो खर्चा गवाहों को देने का है वह दिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह १०-२० साल पुराना केस हो गया है और सारे गवाहों को जैसलमेर में बुलाते हैं तो क्या आप यह नहीं समझते हैं कि इससे अनावश्यक रूप से स्टेट एक्सपेन्सेज़ बढ़ रहे हैं ?

Page No 19

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): क्या डाकुओं के सारे के सारे आर्म्स बरामद हो गये थे ? और सारा का सारा माल श्री सरेण्डर कर दिया था जिससे पुलिस को रिमाण्ड इस सम्बन्ध में लेने की आवश्यकता नहीं हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : डकैत सरेण्डर हुए थे, यही कहा गया था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस समय सरेण्डर हुए उस समय हैंड कफ नहीं किया गया था ?

श्री मथुरादास माथुर : डकैत हेडकफ करके जैसलमेर को जेल में भेज दिए गए थे ।

श्री भीमसेन : आर्म्स प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने सरेण्डर नहीं किये ।

श्री भीमसेन : क्या पुलिस का यह फर्ज नहीं था कि उनसे आर्म्स भी बरामद करते ?

श्री मथुरादास माथुर: वह पाकिस्तान में हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या ऐसा भी था कि जिनके पास आर्म्स थे यह मुनासिब नहीं था कि बरामद करते ?

श्री मथुरादास माथुर : जितना मुनासिब था वह सब मुनासिब किया जा रहा है जो डकैत थे उनके आर्म्स पाकिस्तान में थे और क्यों कि डकैत यहां सरेन्डर हुए थे इसलिए पाकिस्तान में आर्म्स बरामद नहीं किये जा सकते कानून के मुताबिक ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सारे डकैतों के आर्म्स पाकिस्तान में थे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब दे चुका हूं 'जी हां ।'

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सरकार ने पाकिस्तान को लिखा है, आर्म्स को देने के लिए ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ।

श्री भीमसेन : कब लिखा है पाकिस्तान को ?

श्री मथुरादास माथुर : जब वे पकड़े गये ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : जो डाकू सरेण्डर हुए उनका किन किन केसेज से संबंध था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बतायें कि कितने डाकू थे जो पाकिस्तान में जाकर शरण लेते थे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ७९६.

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेश बिहारी माथुर

(अनुपस्थित)

भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही

८०८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जयपुर जिले के भूतपूर्व एस० पी० की एक कार को पुलिस लाइन वर्कशाप में मरम्मत के लिए पार्क होने की हालत में पकड़ा ?

(२) क्या यह सही है कि यह गाड़ी पुलिस लाइन में पार्क होती थी वहां पर ही इसकी मरम्मत ग्रॉयलिंग, ग्रिसिंग होती थी ग्रौर यह गाड़ी बिना लाइसेंस ग्रौर टैक्स चुकाये टूरिस्ट कार के नाते काम में लाई जाती थी ?

(३) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने राजस्थान के डेरी डेवेलपमेंट ग्राफिसर के जयपुर स्थित निजी मकान से विभाग का एक रेफ्रीजरेटर, १ पंखा, दो दरियां व कुछ ग्रन्य सामान ग्रनधिकृत रूप में काम में लेने के कारण पकड़ा ग्रौर सामान को वहां से ग्रपने साथ ले गये ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों मामलों में न तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने ग्रौर न सरकार ने ग्रब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्यों ग्रौर नहीं तो ग्रब तक जो कार्यवाही हुई है वह कृपया बताई जावे ।

उप मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, किन्तु उस समय यह कार जयपुर के भूतपूर्व एस० पी० के भतीजे के नाम पर रजिस्टर्ड थी ।

(२) इस मामले में भी शीशराम को हाल ही में चार्जशीट कर दिया गया है ।

(३) जी हां ।

(४) श्री शीशराम के खिलाफ डी० ई० पेन्डिंग है व दूसरे मामले में सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी गई है जहां ग्रावश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : तीसरे का क्या जवाब दिया ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया, 'जी हां ।'

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इसकी गवर्नमेन्ट से ग्रागे सेंक्शन की मांग की गई है ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : इन्क्वायरी कम्पलीट हो चुकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : डिपार्टमेन्टल कमिश्नर इसकी इन्क्वायरी कर रहा है ग्रौर उनको चार्जशीट देदी गई है । उनका जवाब पहुंच गया है ग्रौर ग्रागे कार्यवाही हो रही है ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : सरकार से किस बात की सेंक्शन मांगी है ?

Page No 21

श्री मथुरादासमाथुर जो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की जा रही है अगर कोई क्रिमिनल ऑफेन्स बनेगा तो सेंक्शन मांगी जायेगी।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तो अभी कोई सवाल सेंक्शन करने का नहीं खड़ा हुआ हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये होस्टल

८०१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा अथवा गैर सरकारी स्तर पर छात्रावास की कोई व्यवस्था की गई है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार किसी गैर सरकारी संस्था को उपरोक्त कार्य के लिए सहायता देने को तैयार है ?

उप मन्त्री, समाज कल्याण (श्री दिनेशराय डांगी) : बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर में कोई राजकीय स्तर पर छात्रावास नहीं चल रहा है। इस वर्ष अब किसी गैर सरकारी संस्था को उक्त स्थान पर छात्रावास खोलने के लिए सहायता देने में असमर्थता है क्योंकि छात्रावास खोलने हेतु प्रावधान नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार अगले वर्ष खोलने के लिए आश्वासन दे सकती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अगला वर्ष आयेगा तब देखा जायेगा।

राज्य में पानी व बिजली के रेट

८०२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य में पानी व बिजली के रेट सर्वत्र समान हैं ? यदि नहीं, तो इन रेट्स में भिन्नता का क्या कारण है ?

(२) क्या सरकार ने मीटर होते हुए भी वास्तव में होने वाले पानी के खर्चों से भी अधिक रेट अनिवार्य रखी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। जल के प्राप्त साधनों एवं उसके शुद्धिकरण के व्यय को ध्यान में रखकर पानी की दर निर्धारित की जाती है। चूंकि विभिन्न स्थानों पर जल प्राप्ति के साधनों में भिन्नता है अतः दरों में भी भिन्नता है और इसी प्रकार विद्युत की दरों में भी भिन्नता है।

Page No 22

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) जी हां। जल प्रदाय विभाग को होने वाली हानि से बचाने के लिए ऐसा राज्य सरकार की आज्ञा से किया गया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): सरकार ने मीटर रेन्ट में, किराये में, भिन्नता क्यों कर रखी है जब कि मीटर को कीमत सब जगह एक सी होती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : I shall get it examined

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहां पर मिनिमम चार्ज लगा रखा है मीटर के होते हुए भी तो क्या सरकार के यह बात ध्यान में नहीं है कि इससे गरीब लोगों पर जो कि कम खर्चा करते हैं उनको भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मीटर में जितना रीडिंग आये उतना लेना चाहिए मिनिमम क्यों लेना चाहिए ? क्या इससे छोटे लोगों पर असर नहीं पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह उसमें मान्यता दी जाती है कि कॉमर्शियल एटीट्यूट रहे यानी लोस (Loss) में जाने का सवाल नहीं है, अगर बराबर हो जाय तो बहुत बड़ी बात है। इस वास्ते यह मिनिमम चार्ज है।

श्री रामकिशन : जितना खर्चा होता है उतना वे देने को तैयार हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मिनिमम से ज्यादा खर्च करेगा तभी लिया जायगा। ज्यादे का सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन : जो कम खर्च करते हैं उनसे भी मिनिमम चार्ज किया जाता है जब कि मीटर उनके यहां है।

श्री हरिश्चन्द्र : बिजली में भी ऐसा ही है।

श्री रामकिशन : दोनों ही जगह गलत है।

श्री हरिश्चन्द्र : सभी जगह यही प्रथा है। बिजली में भी यही प्रथा है। इसमें ऐसा है कि जितने भी वाटर वर्क्स हैं वे सब लोस में जा रहे हैं, इस वास्ते एक निर्धारित रेट कर दी गई है कि इससे नीचे खर्च नहीं हो। आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मीटर के होते हुए जो लोग कम खर्च करते है तो भी उनसे ज्यादा पैसा क्यों वसूल किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि पिछले वर्ष ही मीटर रेन्ट्स रिवाइज़ किये गये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, हो सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस आधार पर रिवाइज़ किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि देखेंगे।

Page No 23

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप यह भी नहीं बता सकते कि मीटर रेन्ट पिछले साल रिवाइज हुए हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग अलग मीटरों के लिए अलग अलग दरें हैं। उसको एग्जामिन करके बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें जो १० दिन के बाद पेमेन्ट करता हैं उससे कन्जम्पशन पर रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट २५ पर्सेन्ट चार्ज किया जाता है तो इसका सरकार क्या जस्टीफिकेशन मानती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जस्टीफिकेशन यही है कि पैसा जल्दी वसूल हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २५ पर्सेन्ट जो रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट चार्ज करते हैं; यानी एक की जगह सवा रुपया लेते हैं तो उसका जस्टीफिकेशन क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बकाया बहुत बढ़ जाती है इसी वास्ते कानून लाना पड़ा; उसके बाद अब व्यवस्था जहां तक बिजली विभाग का सम्बन्ध है अच्छी हो रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसको ज्यादा नहीं मानती है सरकार, जो कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट चार्ज किया जा रहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार बकाया की वसूली के लिए २५ पर्सेन्ट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट निर्धारित करना सही मानती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, अभी तो मान ही रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या सरकार अपनी सारी बकाया वसूली के लिए २५ पर्सेन्ट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट प्रेस्क्राइब करने के बारे में व्यवस्था करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह पेटर्न इसलिए है कि पैसा उसने समय पर दे दिया तो कोई सवाल नहीं है। यहां पर लाखों की बकाया वसूली पड़ी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार की नीति पूछना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : क्या राजाओं से ३० लाख की वसूली भी इसमें शामिल है ?

क्या इस बकाया वसूली के लिए सरकार रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट २५ पर्सेन्ट चार्ज करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजाओं से भी सरकार इसी तरह २५ पर्सेन्ट वसूल करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह भी अन्डर कन्सीडरेशन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अभी कन्सीडरेशन में ही है, वसूली हुई है या नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या मन्त्री महोदय जो यह रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट चार्ज किया

Page No 24

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जा रहा है इस बारे में विचार करने का कष्ट करेंगे कि यह उचित है या अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

नेशनल बॉल बियरिंग कम्पनी में बोनस

८०३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नेशनल बॉल बियरिंग कम्पनी, जयपुर में फेक्टरी के आरम्भ से लेकर अब तक बोनस नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार की ओर से बोनस दिलाने के क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(२) इस फेक्टरी के आरम्भ से लेकर अब तक उत्पादन से किस किस वर्ष के क्या आंकड़े हैं तथा इस उत्पादन के बेसिस पर कम्पनी को किस किस वर्ष में कितना कितना लाभ हुआ है ?

(३) कम्पनी का वर्तमान कुल इन्वेस्टमेंट कितना है और आरम्भ में कितना था ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, बोनस का प्रश्न इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है।

(२) इस विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(३) इस विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बोनस का प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री भीखाभाई : १४-७-६१ से।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसकी स्थापना कब से हुई है और बॉल बियरिंग कब से बनना शुरू हुआ है ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यह जब रेफर हुआ केस बोनस के बारे में उसकी तारीख देदी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, बाल बियरिंग फेक्टरी जब से स्थापित हुई तब से एक वर्ष भी बोनस नहीं मिला है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि सूचना नहीं है।

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया है कि इसका मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रेफर हो चुका है। मामला एडजुडिकेशन में है इसलिए सरकार इसमें क्या कर सकती है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा: कितना उत्पादन होता है ?

श्री भीखाभाई : ये आंकड़े हमारे पास में नहीं हैं। इस विभाग से इसका सम्बंध नहीं है क्योंकि the profit is indicated by the balance sheet. उसमें सब बात जाहिर होती है। इसके बारे में लेबर डिपार्टमेंट उनको देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: बेलेन्स शीट की जरूरत नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि कितना उत्पादन होता है वह जरूरी है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : बॉल बियरिंग कम्पनी के उत्पादन के आंकड़े आपके पास में नहीं है तो यह लिमिटेड कन्सर्न है या अनलिमिटेड कन्सर्न।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह प्राइवेट लिमिटेड है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: इसका पब्लिकेशन होता है और अगर आप मंगाते हैं तो देना पड़ता है, और बेलेन्स शीट हर साल पब्लिश होती है।

श्री अध्यक्ष: श्री 'कालाबादल'।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान

८०४. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार शिड्यूल्ड कास्ट तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को १२।। प्रतिशत सर्विस में नहीं लेती है ? यदि नहीं, तो किस किस विभाग में किस किस पोस्ट पर सन् ६० से ६२ तक इस नियम का पालन किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्गों के लोगों को आसानी से नौकरी दिलाने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो यह नियुक्ति कब की गई थी तथा सेक्रेटरी महोदय ने कितने लोगों को किस किस विभाग में नौकरी दिलाई ? लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं। जिन विभागों में इस नियम का पालन किया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कितने विभाग हैं जिन्होने नियमों का पालन नहीं किया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जहां-जहां पर नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं किया गया है इन दोनों की सूची संलग्न करके सदन की मेज पर रख दी गई है। उसकी कॉपी आपको भी मिली होगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है उन पर क्या एक्शन लिया गया है।

श्री दिनेशराय डांगी : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि जितनी भी वेकेन्सीज़ उनके यहां हैं उनकी तालिका हमारे पास भेजें।

Page No 26

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : गवर्नमेंट के सामने दिक्कत क्या है ? गवर्नमेंट की नीति है और गवर्नमेंट को आदमी मिल सकते हैं तो गवर्नमेंट के सामने दिक्कत क्या है ? क्यों नहीं उसकी पूर्ति हो रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सरकार के के सामने कोई दिक्कत नहीं है। जैसी-जैसी एप्लीकेशन्स जिस-जिस क्वालिफिकेशन्स की जैसे-जैसे आती हैं वैसे-वैसे वह सिलेक्ट किये जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रेजुएट अब भी बेकार हैं और यह कहते हैं कि उपलब्ध नहीं होते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि क्लास फोर्थ में १५ के बजाय २० पर्सेन्ट हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्लास फोर्थ तो सवर्णों को दे दें। हम नहीं चाहते हैं क्लास फोर्थ। हम क्लास थर्ड और सैकिन्ड चाहते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, इनके इन्ट्रेस्ट के लिए शायद माननीय सदस्य से ज्यादा मुझे चिन्ता है। जितने पढ़े-लिखे आदमी आये हैं और जितनों को हम दे सकते हैं दी हैं, और जहां भी सर्विस हो उसके लिए सबको लिख चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको प्रिफरेंस मिलना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आपको मालूम नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने लोग बेकार हैं, पढ़े-लिखे।

श्री दिनेशराय डांगी : राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने ग्रेजुएट्स हैं वह मुझे आपसे ज्यादा मालूम है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बेकार बैठे हुए हैं। मालूम होते हुए भी क्या कर रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : जहां पर भी वेकेन्सीज होती हैं तो जो पर्सेन्टेज हैं उनके अनुसार नौकरी मिलती जाती हैं। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : तभी तो प्रश्नों के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन आपके बेहरे कानों में मेरी आवाज नहीं पहुंचती।

श्री दिनेशराय डांगी : केवल ध्यान आकर्षित करने से ही काम नहीं चलेगा, लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो जल्दी दे दिया करो।

श्री रामकिशन (वैर) : लोगों के होते हुए जगह खाली है या खाली जगहों के लिए लोग नहीं मिलते ?

श्री अध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

गंगनहर पर हरे पेड़ों की नीलामी

८०५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष तथा पिछले दो वर्षों में गंग नहर की किन किन फीडर्स, माइनर्स तथा मुख्य नहर (मैन कैनाल) पर कितने हरे पेड़ नीलाम हुए ? सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इन पेड़ों के नीलामी के नोटिस कब कब जारी हुए ?

ग) क्या उतने ही पेड़ काटे गये जितने नीलाम हुए ?

(घ) क्या हरे पेड़ कटवाना सरकारी नीति के अन्तर्गत है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री परसराम मदेरणा) : (क) गंग नहर के पेड़ों की नीलामी की सूची गत दो वर्षों व इस वर्ष की सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) दिनांक सूची में अंकित है ।

(ग) नीलाम सूची के अनुसार ही पेड़ों को काटा है ।

(घ) नहरों पर हरे पेड़ की नीलामी की कोई निर्धारित नीति नहीं है । किन्तु जहां कहीं नहरों पर ज्यादा नजदीक व घने पेड़ हो जाते हैं तो पेड़ों को नीलाम कर दिया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ठ ६ देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह लिस्ट मांगी थी कि पिछले तीन वर्षों की इस वर्ष को सम्मिलित करते हुए मुझे जो सूची दी है ६०-६१ की । अक्सर जो पेड़ कटे हैं और घोटाला हुआ है वह ६१—६२ और ६२—६३ में हुआ । इन सालों की सूची न तो सदन की मेज पर रखी गई है और न मुझे दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है । तीन साल की सूची मांगी है ।

श्री परसराम मदेरणा : जो इन्फोर्मेशन मेरे पास थी वह मैंने निवेदन कर दी ।

श्री अध्यक्ष : आपको पूरी इन्फोर्मेशन मंगानी चाहिये थी ।

श्री परसराम मदेरणा: जैसा कि मैंने अर्ज किया, माननीय सदस्य ने कहा कि इस साल भी पेड़ कटे हैं, हमारे पास इस बारे में इन्फोरमेशन नहीं आई । मैं इस प्रश्न को पोस्ट पोन कराना चाहता था लेकिन मैंने समझा कि पोस्टपोन कराने पर माननीय सदस्य ऐतराज करेंगे इसलिये जो कुछ इनफोर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वह मैंने बतादी । बाकी सारी

Page No 28

(श्री परसराम (मदेरणा)

इन्फोर्मेशन दो-तीन रोज में हासिल करके माननीय सदस्य को तसल्ली करा दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कम से कम ५ हजार हरे पेड़ कटे हैं और आपके पास सूचना ५०० पेड़ों की आई है। कम से कम १० लाख का घोटाला वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या इसी के फलस्वरूप उसका ट्रान्सफर जयपुर हो गया है।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (बैठे बैठे ही) जयपुर में ट्रान्सफर होना तो सजा है।

श्री रामकिशन (वैर) : सभी जयपुर में रहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष। श्री गंगासिंह।

फौजदारी मामले

८०६. श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल): Will the Law Minister please state :-

What is the number of criminal cases instituted in the courts of Nagaur and in that of Merta during last two years?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा): The Criminal cases instituted in the Courts of Nagaur and in that of Merta during last two years are as under:—

Name of the court.	Year. 1961	1962
1. Nagaur Courts.	987	853
2. Merta Courts.	1188	720

राजस्थान कॉलेज के भवन का निर्माण

८०७. श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलेज के भवन का निर्माण हाजी मोहम्मद ठेकेदार, जोधपुर से करवाया गया था ? यदि हां, तो कृपया उसके कान्ट्रेक्ट के एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बिल्डिंग के निर्माण के समय उसकी छत तूफान से उड़ गई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि कांट्रेक्टर ने इस नुक्सान का क्लेम किया जो स्वीकार कर लिया गया ? यदि हां, तो क्लेम कितना किया गया था व स्वीकृति कितनी हुई ?

(घ) क्या यह स्वीकृति नियमानुकूल थी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह सही नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

स्टेट ट्रान्सपोर्ट से लाभ व नुकसान

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितनी स्टेट ट्रान्सपोर्ट की गाड़ियां चल रही हैं? आज दिन तक इसमें कितना लाभ या नुकसान मिला? उसके सालाना विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन गाड़ियों के चलने के उपरान्त उन पर रिपेयरिंग के लिए कितने रुपये लगे? एक गाड़ी पर रिपेयरिंग का एवरेज व्यय कितना आया तथा आमद औसतन एक गाड़ी पर कितनी हुई?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) कुल २७७ गाड़ियां चल रही हैं।

राष्ट्रीयकरण योजना २६-१-६१ से लागू हुई। अतः तदुपरान्त सन् १९६०-६१ व ६१-६२ के हानि-लाभ के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सन् १९६०-६१ में रिपेयरिंग खर्चा प्रति गाड़ी १०८७ रुपये। एवं सन् ६१-६२ में २४३१) रुपये हुआ। सन् १९६०-६१, ६१-६२ में वर्कशोप के मद में एवं स्पेयर पार्ट्स पर निम्न प्रकार खर्चा हुआ। एक गाड़ी पर औसत आमदनी १९६०-६१ में रुपये १६,३४२ और १९६१-६२ में रुपये २११५०) हुई

यह खर्च का विवरण है। वर्कशोप के खर्चे का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	१९६०-६१	१९६१-६२
वर्कशोप स्टाक खर्चा	४६,७३०	१,१३,३६१
रिकन्डीसनिंग का खर्चा	४१,८४३	५६,३४८
स्पेयर पार्ट्स का खर्चा	५४,६२०	२,४६,१७२
योग रुपया	१,४३,४९१	४,२१,८२१

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री विजयसिंह झाला : विहिकल टेक्स क्या रोड टेक्स में आमद होती है उसका अनुमान लगाया है? जो रोड टेक्स देते हैं वह भी विहिकल टेक्स में आता है क्या?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार को राजस्थान रोडवेज देता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या यह सही है कि आपका ग्रोस कलेक्शन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

या ग्रोस इन्कम २७७ गाड़ियों से ८९ लाख रुपये हैं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि यह ८९ लाख का आंकड़ा सही है तो पर विहिकल आमदनी ३०,०००) होनी चाहिये, आपने बताया है २१०००) ।

श्री हरिश्चन्द्र : कुछ रिपेयर्स वगैरह में रहती हैं सभी २७७ एक साथ नहीं चलती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं ग्रोन एन एवरेज पूछ रहा हूं। आपने २१००० कैसे कहा जबकि ३०,०००) होता है। कोई गाड़ी चले या न चले इससे कोई मतलब नहीं है। यह सिम्पल मैथेमैटिकल केल्कुलेशन है। यदि ८९ लाख को २७७ से डिवाइड करें तो ३०,०००) से भी ज्यादा आता है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने गलत कैसे कहा ?

श्री विजयसिंह झाला : आपने औसत आमदनी ६१, ६२ में प्रति गाड़ी २१,६५०) रु० बताई जबकि टोटल आमदनी को २७७ गाड़ियों में बांटा जाय तो ३० हजार के लगभग प्रति गाड़ी आमदनी आती है।

श्री हरिश्चन्द्र : ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप मुझे बता दें, मैं आदमियों को बुला कर समझा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : इससे तो अच्छा होगा कि हमीं सीधा आदमियों को ही समझा दें, आपको समझावें और आप उनको समझावें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिविज़न

८०६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) में वर्तमान में कितने डिविज़न हैं और उनको किन आधार पर गठित किया गया है ?

(२) प्रथम पंच वर्षीय योजना में शुरू में कितने डिविज़न थे और इस योजना काल में कितने नए डिविज़न कायम हुए और वे कौन कौन से जिलों में कायम किए गये ?

(३) द्वितीय योजना के शुरू में कितने डिविज़न थे और इस योजना काल में कितने कितने नए डिविज़न कायम हुए व कौन कौन से जिलों में कायम किए गये ?

(४) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के पिछले दो वर्षों में कितने नये डिविज़न कायम किये गये व कौन से जिलों में कायम किये गये ?

(५) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक डिविज़न में भवन व पथ के निर्माण व मरम्मत में

Page No 31

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कितनी धन राशि खर्च की गई ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) में वर्तमान समय में २६ डिविजन हैं तथा कार्यों के आधार पर गठित हैं ।

(२) प्रथम पंच वर्षीय योजना के शुरू में १० डिवीज़न थे और इस योजना-काल में ५ नए डिवीज़न निम्नांकित जिलों में कायम किये गये हैं :

१. अलवर. २. जयपुर. ३. उदयपुर. ४. सवाई माधोपुर. ५. धौलपुर ।

(३) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शुरू में १५ डिविज़न थे और इस योजना-काल में निम्नांकित सात नए डिविज़न कायम हुए:—

१. अजमेर, २. हनुमानगढ़, ३. झुन्झुनू, ४. डूंगरपुर, ५. जयपुर, ६. कोटा, ७. चितौड़ ।

(४) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के पिछले दो वर्षों में निम्नांकित जिलों में नए डिविज़न कायम किये गये :

१. जयपुर, २. हनुमानगढ़, ३. झाला-वाड़, ४. अजमेर, ५. जोधपुर, ६. बीकानेर ।

(५) सूची प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ठ ७ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने यह कहा कि डिविज़न कार्य के आधार पर गठित किये जाते हैं, यह कोई प्रश्न का जवाब नहीं हुआ । पूछा यह था कि किन-किन आधार पर गठित करते हैं आपने कहा कार्य के आधार पर । हम जानना यह चाहते हैं कि कितने बिल्डिंग्ज़ रिपेयर हुए, कितना कॉम्युनिकेशन बढ़ा, कितनी रोड्स बनी जिनके आधार पर आपने डिविजन गठित किये, आपका यह तो कोई जवाब नहीं हुआ ।

श्री हरिश्चन्द्र : रोड वर्क एप्रोक्सी-मेटली ३० लाख ४० लाख के बीच में होना चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो सूची दी है उसमें ६२।६३ में सबसे ज्यादा रोड रिपेयर्स और कॉम्युनिकेशन्स पर खर्चा ११.०७ लाख झालावाड़ में किया है, क्या झालावाड़ के मुकाबिले और भी कहीं इतना खर्चा हुआ है, क्या झालावाड के मुकाबले और किसी डिवीज़न में रोड रिपेअर पर खर्च किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां । कई में है । सूची आपके सामने है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने सूची देख कर ही पूछा है कि झालावाड़ के मुकाबले किसी और डिवीजन में रोड रिपेयर....

श्री हरिश्चन्द्र : सूची आपके सामने है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कहीं नहीं है । इसलिए ही पूछा है कि रोड रिपेयर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सबसे ज्यादा झालावाड़ में होने का क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सड़कें खराब होना।

श्री रामकिशन (वैर) : सड़कें पहले थीं कहां ?

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : सड़कें तो बीकानेर में भी बहुत ज्यादा खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वर्क लोड के बारे में है, न कि किस जिले में कितना खर्चा हुआ इसके बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि मैंने परम्परा निभाई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह लिस्ट मांगी है पिछले दो वर्षों १९६१-६२ व १९६२-६३ में किस किस डिवीजन में किस किस हैड पर, रिपेयर, नई बिल्डिंग और नई रोड्स पर कितना खर्च हुआ है ? यह लिस्ट दी है, इसलिए मैंने पूछा है कि सारे राजस्थान में जब कि सड़कें दूसरे डिवीजनों में ज्यादा होंगी तो रिपेयर का बजट झालावाड़ में किस तरह ज्यादा हो सकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सदस्य का कहना है, यह इन्टरप्रेट करना है कि मैं वहां का रहने वाला हूं और मिनिस्टर हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसको साफ तौर पर ले लीजिये, बात साफ कहिये। लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि झालावाड़ जिले में कोटा का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसका खर्चा भी इसमें जुड़ा है। आपने इस मकसद से कहा है, उसको मैंने क्लेरिफाई कर दिया है।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : मेरा क्वेश्चन प्रिन्सिपल पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परम्परा का प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र : परम्परा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न प्रिन्सिपल पर है कि कितने लाख की रोड्स दिखायें तो उस पर प्रोपोर्शनेटली कितना रिपेअर पर खर्च आता है ? प्रश्न यह है कि आपके डिवीजन का टोटल रोड्स का पचास लाख आता है तो कितना रिपेअर पर खर्च करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : This is a separate question.

श्री रामकिशन : आपने कहा कि कोटा का हिस्सा शामिल है, इसलिए पूछा जा रहा है कि झालावाड़ डिवीजन में जितनी सड़कें हैं, क्या उससे ज्यादा सड़कें दूसरे डिवीजन में नहीं हैं ?

Page No 33

श्री हरिश्चन्द्र : कोटा का जो हिस्सा है उसका खर्चा भी इसमें शामिल है।

श्री रामकिशन : वह मान लिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि झालावाड़ में रिपेअर के बजट से ओरीजनल वर्क्स कराये जाते हैं?

श्री हरिश्चन्द : ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा एली-गेशन है कि रिपेअर के बजट में से नई सड़कें बनाई जाती हैं। आप मेरी चुनौती स्वीकार करें, मैं आपको चुनौती देता हूं। जो मैं कहता हूं वह गलत है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और आप कहते हैं अगर वह गलत है तो आप इस्तीफा दे दें।

श्री प्रयोपतसिंह (हनुमानगढ़) : वे इस्तीफा नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालो दिया।

श्री रामकिशन : नई सड़कों के लिए पूछा है, रिपेअर के बजट से नई सड़कें बन जाती हैं?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): नई बन जाती हैं तो क्या एतराज है।

तालाब की दीवार

८१० श्री जयनारायण सालोदिया, (सिवाई)। क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील टोडा रायसिंह के भरौना तालाब के ओवरफ्लो के पानी को बाम्या तालाब में ले जाने की दृष्टि से एक पक्की दीवार सरकार की ओर से बनवाई गई थी? यदि हां, तो कब और उसमें कितना खर्चा किया गया था?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त दीवार गत साल ग्राम चुनाव के समय तोड़ दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री बिनेश राय डांगी), अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न डेवलपमेंट से सम्बन्धित होने के कारण डेवलपमेंट मिनिस्टर को ट्रान्सफर कर दिया गया है। वे इसका अपने टर्न पर जवाब देंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : इसका ही विरोध है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या जवाब दिया, सुनाई नहीं दिया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हनुमान चालीसा का पाठ किया है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे टर्न पर आयेगा क्या?

(विराम)

डेवलपमेंट मन्त्री महोदय अपने टर्न पर उत्तर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

Page No 34

जयपुर नगर में सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस के लिए परमिट

८११. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर में सिटी-ट्रान्सपोर्ट सर्विस चलाने के परमिट किसको दिए हुए हैं ? क्या उक्त फर्म से सरकार ने कोई विशेष एग्रीमेन्ट किया है ? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) जयपुर नगर में ट्रान्सपोर्ट सर्विस चलाने के परमिट कौन कौन से रूट के हैं ? प्रत्येक रूट पर कितनी-कितनी सर्विसें चलाने के लिए परमिट होल्डर बाध्य हैं ? प्रत्येक रूट के किराये की दरें क्या निश्चित की हुई हैं ?

(३) इस समय प्रत्येक रूट पर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस की कितनी-कितनी सर्विस चल रही हैं ?

(४) प्रत्येक रूट का किराया क्या वसूल किया जा रहा है ? क्या यह भाड़ा निर्धारित दरों के अनुसार है ?

(५) ये परमिट कब और कितने समय के लिये दिये गये थे ? अब ये किस-किस तारीख को समाप्त होने वाले हैं ?

(६) क्या सरकार को मालुम है कि सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस की बसों की हालत बहुत खराब है और जनता को उनमें बहुत असुविधा होती है ?

(७) क्या सरकार सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो, क्यों नही ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) जयपुर नगर में सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस चलाने के परमिट मेसर्स सेन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस और मेसर्स जयहिन्द कोआँपरेटिव सोसाइटी, जयपुर को दिए हुए हैं। सरकार ने उक्त फर्मों से कोई विशेष एग्रीमेन्ट नहीं किया है।

(२) (क) जयपुर नगर में ट्रान्सपोर्ट सर्विस चलाने के रूटों की सूची संलग्न है।

(ख) सर्विस चलाने की सूची संलग्न है, सूची के कालम नं० २ में दी हुई है।

(ग) गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नं० १०४६५ दिनांक टी. सी. ५० तारीख २९-३-५१ के अनुसार प्रत्येक रूट पर दरें निश्चित की हुई हैं।

(३) सूची संलग्न है।

(४) प्रत्येक रूट पर किराया निर्धारित दरों से अधिक लिया जा रहा है। सूची संलग्न है अधिक किराया लेने के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आर. टी. ए. व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(५) परमिटों की अवधि निम्न प्रकार है :

Page No 35

(श्री भीमसिंह)

क. सेन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस ८-६-६४ तक।

ख. जयहिन्द कापोरेटिव सोसाइटी ११-७-६३ तक।

इस सोसाइटी की गाड़ियां पेंडिंग रिन्यूअल टेम्पोरेरी परमिट द्वारा चल रही हैं और परमिट आर. टी. ए. के समक्ष रिन्यूअल के लिए विचाराधीन है।

(६) सिटी ट्रान्सपोर्ट की बसें हर माह बाद निरीक्षण होती रहती हैं और फिटनेस दिये जाने पर ही चलाई जाती हैं।

(७) जी हां, निश्चित समय नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह राष्ट्रीयकरण के फेज्ड प्रोग्राम व अर्थ-उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो सूची दी है इसमें रूट नं० ६ में असेम्बली से गवर्नमेंट होस्टल तक आपने डिस्टेन्स २० फर्लांग दिखलाया है और इसका किराया १६ नए पैसे लिया जाता है जब कि शिड्यूल्ड रेट है आठ पाई फी मीटर उसके हिसाब से यह किराया केवल १२ नये पैसे होता है और इस तरह चार नये पैसे ज्यादा वसूल किये जा रहे हैं, क्या यह सही है?

श्री भीमसिंह : यह मैंने पहले मंजूर किया है, रेट्स ज्यादा ली जा रही है। इसकी कानूनी कार्यवाही की जा रही है आर. टी. ए. के सामने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार नए पैसे अधिक हैं इस रूट पर, यह बात सही है?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस रूट पर चार नए पैसे अधिक हैं, यह सही बात है।

श्री भीमसिंह : प्रश्न यह है कि रेट फिक्स्ड हैं, आठ पाई पर मील पर पैसेन्जर मुकर्रर की गई है। उससे ज्यादा जो है सो हैं। यह मैथेमेटिकल केलकुलेशन कर लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : यह रेट मुकर्रर की गई हैं, ये सिटी सर्विस के लिए मुकर्रर की गई हैं या बाकी की गाड़ियां चलती हैं उनके लिए भी की गई हैं?

श्री भीमसिंह : ये रेट्स सारे राजस्थान के लिए मुकर्रर की गई हैं; अलग अलग रूट्स के माफिक, क्लास के माफिक। उस केटेगरी में आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कौन सी केटेगरी में आता है?

श्री भीमसिंह : 'ए' केटेगरी में आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'ए' केटेगरी के लिए आठ पाई फी मील मुकर्रर है। जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपने फिगर दिए हैं माइलेज के उसके हिसाब से केलकुलेट करके १२ नए पैसे आता है। आपके पास मौजूद हैं फिगर, आप छिपाना क्यों चाहते हैं ?

श्री भीमसिंह : मैं छिपाना नहीं चाहता हूं। मैथेमेटिकल केल्कुलेशन का प्रश्न है। मैंने बताया कि आठ पाई पर मील है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका डिस्टेन्स २० फर्लांग है, २० फर्लांग के ढाई मील होते हैं, उसके हिसाब से दस नये पैसे होते हैं, दो नये पैसे पैसेन्जर टैक्स के, इस तरह बारह नये पैसे हुए। चार नये पैसे एम० एल० एज़० को देने पड़ते हैं ज्यादा, इसको आप स्वीकार करते हैं या इन्कार करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इन्कार करने की बात कहां है ? प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कई रूट्स पर अधिक लिया जा रहा है, उसकी कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस हद तक लिया जा रहा है।

श्री भीमसिंह : जो एक्चुअल पोजीशन है वह मैंने अर्ज कर दी। मैंने निवेदन कर दिया, आठ पाई पर मील पर पैसेन्जर और टैक्स। अब मेम्बर्स से जो लिया जा रहा है वह आपके सामने है। आप जोड़ कर चार नये पैसे ज्यादा निकालते हैं। मैंने इनको जोड़ा नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। हो सकता है कि एक का फर्क हो, एक पैसा ज्यादा हो, the difference you can calculate yourself.

श्री विजयसिंह झाला : (नाथ द्वारा) आपने बताया कि आर. टी. ए. के समक्ष विचाराधीन है, यह विचाराधीन कब से है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मानक चौक चौपड़ से केलकुलेट करें तो उसका किराया दस नये पैसे होता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह के जोड़-बाकी के प्रश्न न पूछें। मंजूर करते हैं कि कई रूट्स पर अधिक रेट है और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस ट्रान्सपोर्ट्स द्वारा ज्यादा किराया लेने के कारण इसका प्रोसीक्यूशन किया गया और इनका कन्विक्शन कर दिया गया ?

श्री भीमसिंह : यह सही है, कई केसेज़ इन पर चले और बहुत सों में कन्विक्शन हुआ है, बहुत से अन्डर इन्क्वायरी पेंडिंग हैं, बहुत सों का चालान अभी हुआ हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल । एक्सेस किराया लेने के कारण इनका कन्विक्शन हुआ है, यह ठीक है या नहीं ?

श्री भीमसिंह : यह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : फिर कैंसिल क्यों हुए ?

Page No 37

श्री अध्यक्ष : एक का उत्तर हुआ नहीं और आप बीच में पूछ रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कनविक्शन होने के बाद सरकार ने परमिट कैंसिल क्यों नहीं किया, जब रोजमर्रा हजारों आदमियों से ज्यादा पैसे वसूल हो रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : ये सारी बातें आर.टी.ए. को लिखी जा चुकी हैं और वहां विचाराधीन हैं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : कब लिखा जा चुका है और कब से विचाराधीन है ?

श्री भीमसिंह : आर.टी.ए. के पास एक केस नहीं है, बीस-पच्चीस केसेज गये हुए हैं, कोई ज्यादा रेट के बारे में है, कोई टैक्स के बारे में है और ये सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री विजयसिंह झाला : कब से आर.टी.ए. विचार कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : १२ नये पैसे किराया था इन रूट्स का, उसको सोलह पैसे किया, फिर बीस कर दिया। एक साल से बीस नये पैसे कर रहे हैं। रोजमर्रा ऑर्डिनरी सिटीजन्स से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, उसका प्रोसीक्यूशन होकर कनविक्शन हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की तो उसको अप-हेल्ड किया। उसके बाद भी परमिट को कैंसिल करने के बारे में एक्शन नहीं ले रहे हैं। आर० टी० ए० ने यह सर्विस समाप्त नहीं की। ये चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं। जो डेविएशन आया है रूट्स पर, जैसे मानक चौक चौपड़ से स्टेशन जानी चाहिए वाया किशनपोल, वह वाया किशनपोल होकर नहीं जाती है। मानक चौक चौपड़ से जानी चाहिए सेक्रेटेरिएट—नहीं नहीं, गांधीनगर-वह गांधीनगर से जाती है। इस तरह का डेविएशन है, वह क्या आपको इजाजत लेकर किया है या आर० टी० ए० की एप्रूवल से किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह सारी जानकारी और शिकायतें सामने हैं, वह इन्क्वायरी के लिए हैं और पेंडिंग हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्होंने इन्फोर्मेशन सप्लाई की है, इसमें डेविएशन किया है। जानना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट की उसमें स्वीकृति है या नहीं है ?

श्री भीमसिंह : डेविएशन में स्वीकृति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि आपके डिपार्टमेंट ने उनको बार बार चिट्ठी लिखी है कि आप ज्यादा किराया क्यों वसूल कर रहे हो और तरह तरह की अनियमितताएं क्यों कर रहे हो, लेकिन इसकी कोई पर्वाह नहीं करते, जवाब नहीं देते और बार बार आर०टी०ए० को बताने पर भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और आर०टी०ए० उसको पोस्टपोन कर देते हैं।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना गलत है। आर० टी० ए० ने जब उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने नहीं माना

Page No 38

(श्री भीमसिंह)

तो अदालत में केसेज़ दायर किये गये और कन्विक्शन हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जनवरी ६२ से फरवरी १९६३ तक ७१ प्रोसिक्यूशन किये गये और २४ का कन्विक्शन हुआ ?

श्री भीमसिंह : यह बिल्कुल सही है। जब आप इस बात को मानते हैं तो फिर कहते हैं कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसी तारीख से वह वही किराया वसूल कर रहे हैं। और उसी तरह से बसेज़ रूट पर प्लाई होती है। क्या आपका डिपार्टमेंट उसके परमिट केन्सिल नहीं कर सकता ? क्या आपका डिपार्टमेंट केप्रोस हो गया है ?

श्री भीमसिंह : डिपार्टमेंट ने आर० टी० ए० के सामने सारी बातें रख दी हैं। आर० टी० ए० इस पर कार्यवाही कर रहा है। हम डाइरेक्ट केन्सल नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि आर० टी० ए० को यह चिट्ठी मिली है कि किराया फिक्स अब कर दिया जावे।

श्री भीमसिंह : रेट्स तो पहले ही फिक्स किये हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आर० टी० ए० को यह चिट्ठी मिली है ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Did the Government appointed a Committee ?

श्री भीमसिंह : कमेटी बिठ ई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी?

श्री भीमसिंह : दे दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है।

श्री भीमसिंह : उस कमेटी ने ८ रूट से ११ रूट की सिफारिश की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ८ रूट से ११ रूट को स्वीकार किया और उसके अनुसार आर० टी० ए० ने कार्यवाही नहीं की ?

श्री भीमसिंह : अभी तक डिसाइड नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं किया ?

श्री भीमसिंह : इसके लिये फिर से तकाजा किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला बड़ा गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय; इस बारे डिपार्टमेंट में बड़ा भयंकर घोटाला चलता है। दो साल हो गये, समिति की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रिपोर्ट आ गई। यह जयपुर सिटी की ही बात नहीं है। आपके यहां सब जगह घोटाले हैं। घोटाले क्यों चलते हैं? आपने समिति बनाई। समिति ने रिकमन्डेशन आपके पास भेजी। अगर रिकमन्डेशन आपके पास नहीं हो तो आप रिपोर्ट मेरे से ले लें। आपसे एम० एल० ए० मिलते हैं। आपसे कहते हैं माननीय मंत्री जी आप नेशनलाइजेशन करें, अच्छी बसेज़ चलेंगी, लोगों को सहूलियतें होंगी। लेकिन सदन की कार्यवाही खत्म हुई और फिर खामोश हो जाते हैं।

श्री भीमसिंह : बसेज़ की शोर्टेज है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): This is a legal matter. Except nationalisation, Government cannot do anything. Increase or change in route depends upon the R. T. A. and Government is also a party before it.

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है। माननीय लॉ मिनिस्टर का यह कहना है कि आर० टी० ए० ऑथोरिटी है और जिसके सामने गवर्नमेंट को भी पार्टी की हैसियत से उसके सामने जाना पड़ता है और पार्टी की हैसियत से जाती है। लेकिन सदन यह चाहेगा कि गवर्नमेंट ने पार्टी की हैसियत से पूरी कोशिश की है?

श्री मथुरादास माथुर : हमने जो रिपोर्ट मंजूर की है, आर० टी० ए० को मूव कर दिया है। हम आर० टी० ए० के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो माननीय सदस्य कहते हैं। सिवाय नेशनलाइजेशन के गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कंपनी को इतने परमिट मिले हुये हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस कमेटी ने कमल एण्ड कम्पनी को इन्क्रीज़ रूट पर और बसेज़ प्लाई करने की सिफारिश की है?

श्री भीमसिंह : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत सी रूटों पर सिफारिश की है।···

श्री अध्यक्ष : जनरल आक्षेप आप न लगावें। आपको मालूम हो तो बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट पार्टी नहीं हो तो भी आर० टी० ए० पर गवर्नमेंट इस तरह कार्यवाही करने के लिये कह सकती है कि किरायेदार से ज्यादा पैसा नहीं लिया जावे। यह परमिट की बात नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है।

श्री अध्यक्ष : वह भी तो कानून के अन्तर्गत ही होती है।

एक पार्टी आपके खुद के कथन के मुताबिक रिपीटेड डिफॉल्ट करती रहे और आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करें, क्या आपका दिमाग इस मामले में साफ है? आपने सारे परमिट क्या कैन्सल किये हैं?

Page No 40

श्री हरिश्चन्द्र : The matter has been moved.

श्री अध्यक्ष : क्या मूव किया है, आप बता दें । Let us know what...

श्री हरिश्चन्द्र : For the cancellation of the permits we have approached the R. T. A. and their decision is still awaited.

श्री अध्यक्ष : आप हाईकोर्ट में रिट में जा सकते हैं । There are so many legal proceedings. दो साल से काम नहीं कर सके, जिसमें आपके नोमिनेटेड आदमी हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हर मीटिंग में इस प्रश्न को आखिर में रखा जाता है और बाद में समय नहीं होने से पोस्टपोन कर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : आप अपील में आर. टी. ए. के खिलाफ जा सकते हैं । The House cannot feel convinced; दो साल से मामला पड़ा है और आप सीरियस नहीं हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : The hon. Member says that it is taken on the agenda and it is the last item......

श्री अध्यक्ष : I say has it been seriously proceeded with ?

श्री मथुरादास माथुर : If there is any corruption we can enquire into it.

श्री अध्यक्ष : There is no question of that.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (प्रासपुर) : यदि आर. टी. ए. मनमानी करे और नियमों का पालन नहीं करे तो आखिर सरकार का भी कुछ फर्ज होता है कि वह भी कुछ करे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : They can supersede a Municipal Committee, they can supersede a Panchayat Samiti but they cannot do anything about R. T. A. ?

श्री भीमसिंह । आर. टी. ए. जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह आप दो वर्षों से कह रहे हैं ।

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जनरल पब्लिक से इस सम्बन्ध में कम्पलेन्ट आई है और मैंने इस संबन्ध में इन्क्वायरी बैठाई है । मैंने डिप्टी सेक्रेट्री ट्रान्सपोर्ट को इन्क्वायरी के लिये बैठाया है और जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है उसके लिए सरकार ने इजाजत दे दी है । इसके अलावा और कौनसा प्रोसेस है जिसको आप चाहते हैं ? अगर कोई प्रोसेस हो तो उसको लेने के लिये सरकार तैयार है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल । आर. टी. ए. को जुडीशियल और एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन्स दोनों है । एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन्स के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर सकती है ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (बूंदी): Whether R. T. A. has been moved under Section 60 of the Motor Vehicles Act ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(प्रश्नकाल में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रश्न बाकी रह गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप या तो पहले समय ले लें या बाद में ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एक साल से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने ही सबसे ज्यादा समय लिया है।

(३.४९ म. प.)

थाना प्रागपुरा (जिला जयपुर) की पुलिस द्वारा हत्या करनेके आरोप संबंधी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य विधान सभा, ने लगभग पांच दिन पूर्व थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर में किसी एक १६, १७ वर्ष के व्यक्ति की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्होंने इस घटना से उत्पन्न स्थिति का भी उल्लेख अपने स्थगन प्रस्ताव में किया है।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्रीजी स्थिति को स्पष्ट करने हेतु उनके पास जो भी तथ्य हों, उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, ८।६।१९६३ को करीब शाम को ४ बजे श्री छज्जूराम, बेटा लादूराम, पुलिस स्टेशन प्रागपुरा, जो इस वक्त दिल्ली में रहता है उसके मकान पर ५,००७) रु० की चोरी हुई। चोरी करने वाला है इस्माइल सन आफ ईदू तेली साकिन, प्रागपुरा। इस चोरी की रिपोर्ट पी० एस० प्रागपुरा में ९।९।६३ को रात्रि के १० बजे हुई। चोरी का मुकदमा देहली का था क्योंकि चोरी देहली में हुई थी इसलिये छज्जूराम ने प्रागपुरा के थाने में जो एफ०आई०आर० देहली में दी थी उसकी नकल पेश की। इस्माइल प्रागपुरा का रहने वाला था, देहली में उसने चोरी की और देहली से भाग कर प्रागपुरा आ गया इसलिये चोरी बरामद की जाय। इस रिपोर्ट के आधार पर जो ९।९।६३ को पी०एस० प्रागपुरा में १० बजे रात को पेश हुई, साढ़े दस बजे रात को इस्माइल को गिरफ्तार किया, ११ बजे रात को, जो चोरी ५,००८ रुपये की हुई थी वह करेंसी नोट्स में हुई थी, ४ हजार रुपया पुलिस ने बरामद किया। चोरी करने के बाद देहली से प्रागपुरा आया तब उसने सौ दोसौ की चीजें खरीदी थीं

Page No 42

(श्री मथुरा दास माथुर)

वे भी बरामद हो गईं। ११ तारीख को सुबह ७ बजे इस्माइल को क्योंकि पुलिस थाने के पास में पखाना नहीं है इसलिये जंगल में ले जा रहे थे तो रास्ते में इस्माइल पुलिस से छुड़ा कर २५-३० गज की दूरी पर कुआ था उसमें कूद गया। कुए में कूदने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद लाश उसके रिश्तेदारों को दी गई और उसका क्रीमेशन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर, एक हेड कॉन्स्टेबल उसके साथ था, जो थानेदार, इन्चार्ज पुलिस, थाना प्रागपुरा और दो कान्स्टेबल एक श्री तुलजाराम नं० १५८३ और श्री कानसिंह नं० २३३२, इन दो कान्स्टेबलों को और थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया। एस०डी०एम० कोट पूतली जो मौके पर पहुंच गये थे, उन्होंने इन्वेस्ट के लिये, एन्क्वायरी करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी, उसी वक्त। कोट पूतली के एस०डी०एम० की जांच चल रही है। दो कान्स्टेबल और एक सब इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया। इन्वेस्ट का नतीजा आने पर जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह जरूर की जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उस मृतक की मेडिकल रिपोर्ट क्या आई, जब कि जो तथ्य आपने सामने रखे हैं उससे ऐसा लगता है कि वह पुलिस कस्टडी से छुड़ा कर कुए में कूद गया।

अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी वही कथा है जो सदन में बार बार रिपोर्ट की जाती है। जब भी पुलिस कस्टडी में कोई मरता है तो माननीय गृह मंत्री जी की दलील यही होती है, यदि कोई कमरे में मर गया हो तो कह दिया जाता है कि कमरे की दीवार से सर टकरा कर मर गया और बाहर मर गया हो तो कह दिया जाता है कि बाहर ले जा रहे थे तो छुड़ा कर भाग गया और कुए में कूद कर मर गया। ये घटनाएं राजस्थान में तब तक बन्द नहीं हो सकतीं जब तक कि सरकार का मूल दृष्टिकोण ही परिवर्तित नहीं हो जाय। पुलिस कस्टडी में जितनी मृत्यु हुई हैं उनकी हर बार निंदा की गई है, मैं भी इसकी निंदा करके एक कड़ी और नहीं जोड़ना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना बिलकुल सन्देहास्पद है। एक हेड कॉन्स्टेबल और दो कॉन्स्टेबल साथ में थे तो तीन आदमियों की कस्टडी में से छुड़ा कर भाग गया और कूएं में गिर गया, यह समझ में नहीं आ सकता और कूए में भी गिरा है तो उनके सामने गिरा है, उसको तब तक नहीं निकाला गया जब तक कि उसकी डैथ हो गई।

जो सूचनाएं मेरे पास हैं उनके अनुसार उसको बीटिंग कर के मार दिया और अपनी जान को छुपाने के लिये कुएं में डाल दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने मेडिकल रिपोर्ट का कोई हवाला नही दिया है, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर पुलिस के दबाव में आकर क्लीन स्लेट पुलिस को दे देते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इन्वेस्ट हो रही है, जाब्ता फौजदारी के अनुसार इस तरह की इन्वेस्ट की जा सकती है, पर इस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की रिपोर्ट में पांच-छः महीने भी लग सकते हैं। इसलिये विदिन फिफ्टीन डेज़ इस इन्क्वेरट की रिपोर्ट मांगें, एड्मिनिस्ट्रेटिव ग्रॉर्डर दे कर मजिस्ट्रेट से कहें कि जितनी शहादतें हैं, वह लेकर रिपोर्ट भेजें। ग्रामीणों ने शहादत दी है, चश्मदीद शहादत हैं कि उसे थाने में पीटा गया है और पीटने से उसकी मृत्यु हुई है,१० एविडेन्स इस तरह की हैं, पुलिस में रेकर्ड की गई हैं। ये बड़े गम्भीर तथ्य हैं। प्रागपुरा थाना जिला जयपुर में है वहां की यह घटना है। इसके बारे में मै निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्री जी से कि सिर्फ लीपा पोती करने से, यह कह कर कि पुलिस कस्टडी में से छुड़ा कर भाग गया और कूए में कूद कर मर गया, आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। यदि गृह मंत्री जो अपने अधिकारियों को इस तरह की छूट देना चाहते हैं कि इस तरह हत्या कर दे और मनचाही स्टोरी गढ़ ले तो इससे पुलिस की हाई हैंडेडनेस बहुत बढ़ जायगी और अराजकता फैलेगी।

मैं इस घटना पर बहुत चिन्ता प्रकट करता हूं; माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के सम्बन्ध में बतायें, १५ दिन के अन्दर अन्दर इन्क्वेरट की रिपोर्ट असेम्बली सेशन में नहीं हो तो सदन के मेम्बर्स में सर्कुलेट की जाय। १५-२० आदमी उस गांव में मौजूद हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि उसको मारा गया, उसकी जान निकालने के बाद उसे कुए में डाला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना पर बहुत चिन्ता प्रकट करता हूं।

हनुमानगढ़ के लोग लाश लेकर आये, इतना हंगामा हुआ, पर आज तक उस थानेदार का चालान नहीं हुआ है। इस विधान सभा के सामने लाश आई, इतना हंगामा हुआ, दुबारा मेडिकल एग्जामिनेशन लाश का किया गया, उसकी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई है सदन के सामने। सदन के सामने इतने गम्भीर तथ्य आते हैं और सरकार बरसों-महीनों तक उनमें कोई कार्यवाही नहीं करे तो इस सरकार की गतिविधियां संतोषजनक नहीं कही जा सकतीं। सरकार भले ही संतोष कर ले, पर विरोधी दल के सदस्य और राजस्थान की जनता को इन गतिविधियों से संतोष नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि ९-९-६३ को इस्माइल को गिरफ्तार किया गया और ११ तारीख को सुबह उसकी मौत हुई, और इसके बीच में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इन सारे तथ्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है, एस० डी० एम० की इन्क्वेस्ट चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गिरफ्तार करने के बाद २४ घण्टे के अन्दर अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिये, उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया। ९ तारीख को रात के १० बजे उसे गिरफ्तार किया गया और तारीख १० को रात के १० बजे २४ घंटे पूरे हो जाते हैं तो, तारीख ११ को सुबह वह मरा है। तो १० तारीख के रात के १०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बजे के बाद में उसका बिलकुल अनआँथोराइज्ड एण्ड इल्लीगल डिटेन्शन था। पुलिस द्वारा दो रिपोर्टें भेजी गई हैं, एक एस० डी० एम० को दूसरी मुंसिफ मजिस्ट्रेट को। इन दोनों रिपोर्ट्स में अलग अलग टाइम दिया हुआ है। आप जांच कर लें। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया नहीं, रिमाण्ड लिया नहीं, यह बिलकुल इल्लोगल डिटेन्शन है, २४ घण्टे के बाद डिटेन्शन इल्लीगल था। गृह मन्त्री जी ने कहा कि उसको तारत के लिये बाहर ले जा रहे थे, प्रागपुरा पुलिस स्टेशन देहली रोड पर स्थित है, देहली जाने वालों ने देखा होगा कि इस थाने की सीमा में तहारत मौजूद है, पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति हो उसको वहां तहारत में ले जाने के बजाय जंगल में ले जाया जाय, ये सारी बनावटी बातें हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य......

श्री अध्यक्ष : Order please ! जिस चीज़ के बारे में एक इन्क्वेस्ट चल रही है और जुडाशियल जांच चल रही है उसके बारे में ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने बता दिया कि क्या कार्यवाही की गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चिन्ता का विषय इसलिए बन जाता है, अध्यक्ष महोदय, कि केवल ३०२ दफा ही नहीं है। इसके साथ और...

श्री अध्यक्ष: Order please ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि इस पर ज्यादा बहस न की जाय ?

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : इसकी टाइम लिमिट भी फिक्स की जाय।

श्री मथुरादास माथुर : इन्होंने जो कहा कि.......

श्री अध्यक्ष : Why should we go in the facts ?

श्री मानिकचंद सुराणा : Inquest report within 15 days.

श्री अध्यक्ष : You have made your suggestion. That is all.

(४.१ म० प.)

अजमेर एमेल्गेमेटेड कम्पनी, अजमेर द्वारा बिजली की दर बढ़ाने सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री रामकिशन (वैर) : अजमेर ऐमल्गेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी, अजमेर द्वारा १ अगस्त, १९६३ से बिजली की दर में ३ नये पैसे प्रति यूनिट और बढ़ा देने से उत्पन्न स्थिति की ओर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरिश्चंद्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर ऐमल्गेमेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार

Page No 45

(श्री हरिश्चन्द्र बैर)

और राजस्थान विद्युत मण्डल को एक नोटिस क्लॉज़ ऑफ दी सिक्स्थ शिड्यूल दी इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८ के तहत दिया था कि वह बिजली की दरों को बढ़ाना चाहता है। यह नोटिस मई, ६३ में प्राप्त हुआ था। कम्पनी का यह कहना था कि क्योंकि भारत सरकार ने डिज़ल के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है, इस वास्ते जो मुनासिब मुनाफा कम्पनी को कानून के तहत मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। नोटिस मिलने के बाद सरकार ने और चेयरमेन, विद्युत मण्डल ने इस बात की कोशिश की कि मैनेजिंग डाइरेक्टर रेट को नहीं बढ़ावें क्योंकि मैनेजिंग डाइरेक्टर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लिहाजा सरकार ने इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर को कम्पनी के हिसाब की जांच करके रिपोर्ट करने की आज्ञा दी और इस बात की जांच करवाई कि क्या कम्पनी प्रावीजन ऑफ शिड्यूल सिक्स का पालन हो रहा है या नहीं। चन्द दिनों पहले राजस्थान सरकार के पास अजमेर के चन्द नागरिकों का एक डेप्यूटेशन श्री ज्वालाप्रसाद जी, सदस्य, विधान सभा की अध्यक्षता में गवर्नमेंट को मिला था और उन लोगों ने भी रोष प्रकट किया था। गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट अभी आ गई है और अगर रिपोर्ट में यह पाया गया कि सिक्स्थ शिड्यूल ऑफ दी इलेक्ट्रिकसिटी एक्ट का पालन नहीं हो रहा है तो बोर्ड मुनासिब कार्यवाही, रेटिंग कमेटी की स्थापना करने की कार्यवाही करेगा।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : मैंने एक कॉल अटेन्शन नोटिस दे दिया था जिसमें ब्यावर में बिजली के रेट बढ़ाने के बारे में····

श्री अध्यक्ष : अभी अजमेर की बात हो रही है।

श्री रामकिशन (बैर) : आपने जो इन्सपेक्टर भेजा था उसकी रिपोर्ट सरकार को कब आई ?

श्री हरिश्चंद्र : ५–६ दिन पहले।

श्री रामकिशन : आप अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए हैं ?

श्री हरिश्चंद्र : अध्ययन हो रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): एक स्टे ऑर्डर वहां की मुन्सिफी से जनता का निकला हुआ है तो आपने रेटिंग कमेटी बिठाने के लिए तुरंत कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा निवेदन किया, ज्यों ही उसने हमारे पास नोटिस भेजा कि वह बढ़ाना चाहता है तो मैंने और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन और जो कर्मचारी थे उनको बुला कर मैनेजिंग डाइरेक्टर से कहा कि तुम रेट न बढ़ाओ। जब उसने इस बात को अस्वीकार किया तो उसके बाद कानूनी कार्यवाही की गई। इन्सपेक्टर को वहां भेजा गया। उन्होंने उनके हिसाबों की जांच की है और जांच के बाद जो भी उचित कार्यवाही रेटिंग कमेटी की स्थापना की करनी पड़ेगी वह सरकार या विद्युत मंडल करेगा।

(४–५ म ‚ प०)

बीकानेर में चारे की कमी तथा जयपुर व टोंक जिलों में फसलों की सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बीकानेर जिले में जो विलंब से बारिश हुई उससे किसानों को सांत्वना हुई कि वे अपनी फसल बोयेंगे। लेकिन अभी १५–२० दिन से उस जिले की हालत ऐसी है कि वहां न तो घास है और गांवों में चारे की बहुत कमी है और खास तौर से बीकानेर शहर में जहां पहले मई के महीने में ३–४ रुपये के भाव से चारा मिलता था वहां ८–१० रुपये मन बिकता है। इससे वहां शहर के लोगों के लिए और गांवों मे भी ऐसी स्थिति है कि वहां पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था उचित मात्रा में नहीं है। मैंने पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और भी करना चाहूंगा। इस वर्ष चारे की कमी के कारण वहां के पशुओं की हालत बहुत चिंताजनक है और सरकार को इस सम्बन्ध में घास की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे संकटकाल स्थिति हो सकती है उससे लोग बच सकें।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में पहली बरसात जून के आखिर में हुई और कुछ गांवों में फसलें बोई गईं। दूसरी बरसात जुलाई के मध्य में हुई। वह जिन गांवों में हुई वहां फसलें बोई गई। तीसरी बरसात जयपुर जिले में हुई, वह अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू हुई। वह बरसात बराबर जयपुर में सितंबर के फर्स्ट वीक तक चली। जो दूसरी बरसात थी उसमें तो काश्तकारों ने फसलें बोयी पनपी, लेकिन जो तीसरी बरसात के अन्दर फसल बोयी वह आज तक नहीं पनपी और पनप भी नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष, फसल का जो टाइम होता है, खरीफ के पकने का है वह सितम्बर के एण्ड तक का होता है और अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक का सितम्बर की एन्ड आ गई है और अक्टूबर का फर्स्ट वीक आने वाला है और रबी को फसल बोने का टाइम हमारे यहां अक्टूबर के मध्य से शुरू हो जाता है। इसलिये अब जो खरीफ की फसल सितम्बर में बोई गई है वह पनप नहीं सकती। इसलिए कुछ गांवों के अन्दर जिनमें जुलाई के मध्य में और जून के ऐण्ड में जो बरसात हुई उनमें कुछ फसल पनपी है और गांवों में चारे की कमी नहीं है इस जिले में। लेकिन पीछे वाली फसल पनप नहीं सकती है। इसलिऐ मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिन गांवों में फसल नहीं हुई है वहां लगान की छूट दी जाय और जो आपने लैंड रेवेन्यू अभी गत सेशन के अन्दर थोपा है, उसके अन्दर भी छूट होनी चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह बात तो सर्वमान्य है कि इस वर्ष इस क्षेत्र में रेन्स कुछ देरी से हुए टोंक जिले में और अकाल जैसी स्थिति वहां आषाढ़ महीने में उत्पन्न हो गई। वहां के लाखों पशु टोंक जिले से बाहर जाने लगे और अब तक जैसी

Page No 47

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जानकारी है, वह करीब १,१७,००० पशु वहां से बाहर ले गए हैं। बीच में जब रेन्स शुरू हुई तो ऐसी प्राशा की गई कि घास उपलब्ध हो जायगी, पशु वहां ही रह गये। लेकिन चारे का भाव अभी भी ऊंचा है। रेन्स देरो से होने के कारण खरीफ की फसल वक्त पर नहीं बोई जा सकी। अब भी टोंक और निवाई तहसील का जो पश्चिमी भाग है, टोडारायसिंह का पश्चिमी भाग है, उनियारा का उत्तरी भाग है, वहां हालत अच्छी नहीं है। ऐसो स्थिति में कई गांव ऐसे हैं जहां ५० प्रतिशत के लगभग खरीफ की फसल खराब हो चुकी है लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां इससे कम खराब हुई हैं। ऐसी हालत में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इसकी सही जांच करवाए और जिनकी फसलें वहां पर इस हद तक खराब हुई है उनको उचित सहायता दे और इसमें रमिशन देने का भी ध्यान रखे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्ष जी, सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स के समय भी बीकानेर में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई थी उसके बाद प्रश्नों के दौरान में इस बारे में विस्तार से जवाब दिया गया था। फिर भी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है और यह बताने का प्रयत्न किया है कि वहां पर चारे की कमी है और पशुओं को बीकानेर और आस पास के हिस्सों में लेकर जा रहे हैं। इसके लिए जो वहां की वास्तविक स्थिति है वह मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक वर्षा का सम्बन्ध है बीकानेर में ८४.८ मिलीमीटर, कोलायत में ५५.५६ मि. मि., लूणकरणसर में १०२.१२ मि.मि. नोखा में १६६ मि.मि. डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर की औसत २०६ मि.मि. है। तो इस प्रकार से जो भी वर्षा वहां हुई है कम से कम वहां वर्षा काफी अच्छी नहीं कही जाय तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि आज बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ३०.४० गांवों को छोड़ कर जहां वर्षा नहीं हुई है, बाकी के हिस्सों में जो भी वर्षा हुई है उससे पानी और घास की समस्या तात्कालिक नहीं है। ऐसी समस्या नहीं है कि सरकार का घास मिले तब ही उनके पशु जिन्दा रह सकते हैं। इस हद तक समस्या नहीं है। फिर भी आगे यदि विशेष समस्या हुई और उसको हल करने के लिए सरकार ने २२ डिपो खोले हैं। बीकानेर में १५ हजार मन से अधिक घास पहुंचाया जा चुका है। फिर भी यह सरकार मानती है कि आगे चल कर अगले साल वर्षा न हो अथवा कम हो और कोई संकट पड़ सकता है इस हालत में उसको हल करने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि करीब १ लाख मन घास सूरतगढ़ फार्म से लाकर यहां बीकानेर में रिजर्व कराया जाय और इसी प्रकार ७५ हजार मन घास पोकरन में रिजर्व किया जाय जो उस एरिया के साथ साथ बीकानेर को भी घास देगा। घास की गांठें बांधना शुरु कर दिया गया है। इसी प्रकार चूरु जिले में भी २० हजार मन रिजर्व किया है। कुछ वेगन कल ही रवाना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हो गये होंगे और बाकी के रवाना होंगे। इस प्रकार से घास की बीड़ों से व्यवस्था की गई है। सरकार इस ओर पूरी तरह से जागरूक है और यदि घास की कभी कमी आये तो उसको मीट कर सके। इसी दृष्टि से जिन स्थानों पर जितना भेजा जा सकता है और जो कुछ किया जा सकता है उसके लिए प्रयास चालू हैं।

इसके साथ में माननीय अध्यक्ष जी सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा १०।। लाख रुपया रिलीफ वर्क्स के लिए बीकानेर के लिए मंजूर किये हैं और वे रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं। चार लाख रुपया तो पी०डब्ल्यू० डी० से सड़कों के लिए दिये गये हैं। मं चुट्टी चारे के लिए तकावी आदि कुल मिला कर १४ लाख ७५ हजार रुपया स्वीकार किया जा चुका है। मैंने पिछली बार सदन में यह निवेदन किया था कि बीकानेर के लिए ८ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है, उसके बाद १४ लाख ८६ हजार रुपये की कुल सैंक्शन हो गई है। वहां पर पीने के पानी की कमी नहीं है फिर भी आठ कुए रात और दिन सरकार के खर्चे से चालू हैं। तो जो भी समस्या है देरी से वर्षा हुई या कम हुई उस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है या आगे हो सकती है उसके लिए सरकार जागरूक है।

रहा सवाल राहत देने और सरकार द्वारा रेमिशन करने आदि का उसके लिए आज यह उपयुक्त समय नहीं है फेमीन जो महीना या तिथि निर्धारित है, गिरदावरी होकर सरकार के सामने रिपोर्ट आती है और जो नियम हैं उनके अनुसार डिक्लेयर करने और न करने की सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है और डिक्लेयर करने पर जो रिलीफ, रेमिशन और कन्सेशन्स दिये जा सकते हैं उनके सम्बन्ध में विचार तब ही कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, टोंक से आये माननीय सदस्य ने टोंक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बतलाया। मैं टोंक के लिए साधारण जानकारी देना चाहता हूं। तहसील टोंक में ४६५ मि.मि. तहसील मालपुरा में ३४८ मि.मि. देवली तहसील में ४८६ मि.मि. तहसील निवाई में ७५६ मि.मि. और तहसील उनियारा में ६०६ मि.मि. वर्षा हुई है। वर्षा का हिसाब लगाते हैं तो ऐसी वर्षा हुई है कि चारे और घास की कमी कही नहीं जा सकती हां, फिर भी यदि घास की कमी है तो उसको दूर कर सकते हैं। फसल देरी से बोयी हो और देरी से फसल बोने के कारण कुछ कस्बों में ७.८.१० परसेन्ट क्रोप में कमजोरी हो, प्रोड्यूस में कमी आवेगी और हो सकता है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ओन दी होल टोंक डिस्ट्रिक्ट में हालत अच्छी है और सरकार के लिए चिन्ता का इस समय कोई कारण नहीं है कि इसके लिए व्यवस्था की ही जाय। फिर भी देवली में ऐसे कुछ गांव थे गये साल जहां स्केयर्सिटी एरिया घोषित किया था, काम चालू रखे हुए हैं, २५ हजार की सैंक्शन हुई है। सड़क का काम चालू है। रेमिशन और कन्सेशन आदि दूसरी बातों का जहां तक सम्बन्ध है यह उपयुक्त समय नहीं है। फेमिन रिलीफ के सम्बन्ध में फेमीन कोड के अनुसार

Page No 49

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नवम्बर में यह हुआ करता है, गिरदावरी के प्रस्तुत होने पर कार्यवाही की जावेगी और कन्सेशन, रिलीफ और रेमिशन की आवश्यकता होगी और कानून में पर्मिसिबल होगी तो उसके लिए उचित एक्शन लिया जावेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कहा गया कि पानी की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है लेकिन जब बहस के दौरान में इस बात को दौहराया गया तो मुझे संतोष हुआ कि स्थिति अच्छी है। उन्हें भी संतोष है इस बात का कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के चारे और अनाज की स्थिति अच्छी है। चिन्ता का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह सही है। जो पिछले दिनों वर्षा हुई इस क्षेत्र में वह इस प्रकार है :—

तहसील	जयपुर	१२ इन्च
,,	चाकसू	२३ इन्च
,,	दौसा	१२ इन्च
,,	बस्सी	१८ इन्च
,,	लालसोट	१५ इन्च
,,	बैराठ	२० इन्च
,,	कोटपूतली	१५ इन्च
,,	साम्भर	१५ इन्च
,,	फागी	१० इन्च
,,	आमेर	१२ इन्च
,,	जमुआ रामगढ़	१५ इन्च
	जयपुर हैडक्वार्टर	२२ इन्च

करीब की औसत है।

इस प्रकार बरसात की औसत है। चारा जरा ठीक है। फसल भी ठीक है। चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन कुछ गांवों का उन्होंने हवाला दिया, जिनकी लिस्ट यहां नहीं बताई है और यह भी नहीं बताया कि तहसील कौनसी है ? हो सकता है कि उनकी कोन्स्टिट्युएन्सी में हो। मेरे पास रिपोर्ट आई है कि वर्षा और फसल अच्छी है, फिर भी यदि कोई परिस्थिति है तो वह नवम्बर की रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि कहां किस तरह का फसलों को नुकसान है। फेमोन कोड के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

यह बात कहते हुए मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि फेमीन कन्डीशन्स, प्रभाव-ग्रस्त एरियाज़ के बारे में, देरी से वर्षा हुई है और उससे उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में सरकार जागरुक है और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्यवाही करेगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मैं जानकारी के लिये प्रश्न करना चाहता हूं, इन तहसीलों में बारिश तो हो चुकी है उससे इिनाइ नहीं करते लेकिन वर्षा देरी से हुई है। अब मौजूदा परिस्थिति में काफी वर्षा हो चुकी है, देरी से हुई इसलिए फसलों के लिये उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो गिरदावरी के वक्त देखा जायगा कि कितना नुकसान हुआ है। क्या इतना नुकसान हुआ है जो फेमीन कोड के अन्तर्गत आता है।

Page No 50

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अगर नुकसान की सीमा उस हद तक आ जाती है जो फेमीन कोड में आ जाय तो उसके बाद विचार किया जा सकता है। फेमीन एरिया डिक्लेअर करने का और दूसरी आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या जिलाधीश को इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इसमें आदेश का सवाल नहीं है। यह तो हर साल देखा जाता है, और इस साल तो खास तौर से आदेश हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में बीकानेर जिले में बरसात हुई है जिससे घास मामूली उगा है वह केवल भेड़ों के चरने जितना घास हुआ है। मवेशी और गायों के लिये घास पैदा नहीं हुआ है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल कागजों में ही चारे के डिपो खोल कर राहत नहीं मिल सकती। बीकानेर शहर के लिये खास तौर से ख्याल किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चारे का प्रबन्ध किया गया है और कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : वहां मवेशियों की तादाद को देखते हुए जहां १५ हजार मवेशियों की तादाद हैं अभी वहां चारे का भाव दस रुपया मन है, क्या कोई गरीब पशु पालने वाला १०) रुपया मन का चारा खरीद कर अपने मवेशियों का पालन कर सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई जगहों से घास भेजने की व्यवस्था की जा रही है पोकरण, चूरू, सूरतगढ़ फार्म–जहां से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं कई जगहों से वेगन भी आ गये हैं और आ रहे हैं। बीकानेर शहर के लिये बिल्कुल वाजिब दर पर घास दिया जायगा। किसी प्रकार की कमी नहीं आयगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं इस पर सूचना लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : No.

(४-२२ म०म०)

प्री–यूनिवर्सिटी की परीक्षा में जनरल इंगलिश के पार्ट 'ए' में ८० प्रतिशत अंक प्राप्त करने विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा प्री–यूनिवर्सिटी कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिये सन् १९६४ में जनरल इंगलिश पार्ट 'ए' में ८० प्रतिशत अंक प्राप्त करने के निर्णय के के विरुद्ध तथा अन्य मांगों को लेकर कल सायंकाल ४ बजे विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया। मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष छात्रों के प्रतिनिधि श्री वशिष्ठ कुमार ने उन

Page No 51

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सभी मांगों को दोहराया कि जो मांगें उप-कुलपति के निवास-स्थान पर इन छात्रों द्वारा दिनांक १४ सितम्बर, १९६३ शनिवार को रखी गई थी और उनका समुचित समाधान न होने के कारण सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये उन्होंने विधान सभा के समक्ष यह प्रदर्शन किया।

मुख्य मन्त्री महोदय ने उनको मांगों के उत्तर में यह कहा कि चूंकि उनकी मांगें राजस्थान विश्व विद्यालय से संबन्धित हैं, जो कि स्वयं शासित संस्था है, इसलिये सरकार व विश्व विद्यालय के अधिकारियों से इस संबन्ध में बातचीत कर उनको मांगों पर विश्व विद्यालय द्वारा ही उपयुक्त निर्णय लिया जाने का प्रयास किया जायेगा और आशा है कि विश्व विद्यालय द्वारा निसन्देह विद्यार्थियों के व्यापक हित की दृष्टि से ही निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके हित के बारे में पूर्ण रूप से सजग है।

प्री–यूनिवर्सिटी कोर्स कक्षा में जनरल इंग्लिश पार्ट 'ए' की परीक्षा में ८० प्रतिशत अंक प्राप्त करने के निर्णय लेने के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का मुख्यतः यह दृष्टिकोण बताया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है जिससे छात्र विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिये, विशेष तौर से व्यवसायिक अर्थात् इन्जीनियरिंग व मेडीकल शिक्षा के लिये, जिनका पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है, लाभ उठाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं और फलतः अधिकांश रूप में परीक्षा में असफल रहते हैं। इस प्रश्न पर विचार विनिमय के लिये राजस्थान के अंग्रेजी शिक्षकों का एक सेमीनार मार्च, १९६३ में हुआ था। उस सेमीनार को सिफारिश पर राजस्थान विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज् एवं एकेडेमिक कौन्सिल के अनुमोदन पर विद्यालय ने यह निर्णय लिया कि जनरल अंग्रेजी पार्ट 'ए' जिसमें व्याकरण एवं भाषा–ज्ञान होता है और जिसमें कि विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा को समझना और उसका सही प्रयोग करने की साधारण ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा होती है, उसमें शैक्षणिक दृष्टि से छात्र, छात्राओं की अंग्रेजी की ठीक योग्यता होनी ही चाहिये और उसी का ५० में से ४० अंक अनिवार्य रूप से लाने का मापदंड उन्होंने निर्धारित किया।

चूंकि यह एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रश्न है कि जिसका सारे राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है इसलिये राजस्थान सरकार ने राजस्थान विश्व विद्यालय को सुझाव दिया है कि वे अपने उक्त निर्णय पर पुनः विचार करें। सरकारी स्तर पर भी यह प्रयास किया जायगा कि समन्वय की दृष्टि से ऐसे सुझाव एवं उपाय सोचे जायं कि जिससे इस ओर विशेष ध्यान दिया जा सके और जिनकी क्रियान्विति भी शिक्षण संस्थाओं में समान रूप से हो सके। इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र एक बैठक उप-कुलपतियों, शिक्षा संचालकों तथा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुलाई जाएगी जिसकी सम्मति से इस प्रश्न का उचित हल निकाला जा सके।

Page No 52

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जयपुर नगर के सरकारी कॉलेजों को हस्तान्तरित करते समय सरकार व विश्व विद्यालय में यह तय पाया था कि जो रियायतें ट्यूशन फीस की विभिन्न श्रेणियों के छात्र छात्राओं को मिलती आ रही हैं वे फिलहाल मिलती रहें। उन पर यदि अमल नहीं हो रहा है तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा।

छात्रों के इस विश्वविद्यालय से संबन्धित अन्य मांगों के प्रति भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है किन्तु, जैसा कि पहले कहा गया कि विश्वविद्यालय एक स्वयं शासित संस्था है अतः उन बातों की ओर विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो कोटा के संबन्ध में भी वक्तव्य देने की मांग की गई थी, वह भी दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : हां।

बिना अनुमति के विधान सभा में प्रवेश सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : On a point of privilege, Sir, अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ महानुभाव इस सदन के, इस असेम्बली हाउस के प्रेमीसेज् के अन्दर विदाउट प्रोपर पर्मिशन और परमिट्स जैसी कि आपकी व्यवस्था है, के विरुद्ध इसमें प्रवेश पा गये हैं। सार्जेण्ट-एट-आर्म्स के रोके जाने के बाद भी वे लोग नहीं रुके हैं और धक्का देकर अन्दर आ गये हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आपकी आज्ञा के बाद यदि सदन में बिना परमिट या परमिशन के प्रवेश करें, लेकिन जोर जबरदस्ती, बड़ी ताकत का सहारा लेकर सार्जेन्ट-एट-आर्म्स को धक्का देकर सदन के किसी भी भाग में प्रवेश करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नियम ३०२, ३०३ और ३०४ के अन्तर्गत तुरन्त इस सम्बन्ध में सार्जेन्ट-एट आर्म्स को व्यवस्था के लिए आज्ञा दी जाय। ऐसे जितने भी व्यक्ति बिना परमिट के, बिना पास के सदन के किसी भी भाग में घुस आयें हैं उनको इन नियमों के अन्तर्गत बाध्य किया जाय और तुरन्त उन्हें हिरासत में ले लिया जाय और आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : कोटा शहर के हाई स्कूल व हायर सेकन्डरी स्कूल के छात्रों ने जुलाई, १९६३ से नवीं, दसवीं तथा इग्यारहवीं कक्षा में ट्यूशन फीस लागू करने के निर्णय के विरुद्ध हड़ताल शुरू की जो १४ सितम्बर, ६३ तक चली। छात्रों के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल तारीख १६।९।६३ को माननीय शिक्षा मंत्रीजी से इस संबन्ध में मिला। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने उनकी फीस सम्बन्धी मांग को शिक्षा अधिकारियों के समक्ष छात्रों द्वारा न रखी जाने तथा हड़ताल प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही को एक तरफा बताते हुए इस कदम को गलत माना।

राजस्थान में कोटा बीकानेर एवं उदयपुर डिविजन में अब तक हाई स्कूल एवं हायर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सेकेन्डरी स्कूल की नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती रही है सभी डिविजनों में फीस समान रूप से ली जावे और जिन क्षेत्रों में अब तक फीस नहीं ली जाती रही है उनमें भी जुलाई, १९६३ से निर्धारित दरों पर फीस लिये जाने का निर्णय सरकार ने इसी वर्ष लिया और सभी संबन्धित अधिकारियों को समय पर सूचित कर दिया गया तथा जो कन्सेशन्स ट्यूशन फीस में विभिन्न श्रेणियों के छात्र-छात्राओं के लिए दूसरे डिवीजन में लागू हैं इन नये क्षेत्रों में भी लागू समझे जायेंगे छात्रों ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए ३२०) रुपये मासिक से कम आमदनी वाले सरकारी कर्मचारियों को जो फीस माफी की रियायत है वह सभी वर्ग के छात्रों को दिये जाने की मांग की। छात्र प्रतिनिधियों को यह समझाने का प्रयत्न किया गया कि ऐसा करना संभव नहीं होगा। अलबत्ता जो बहुत ही गरीबी के कारण फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिये फीस माफी की बात सोची जा सकती है। स्कूल यूनियन के प्रेसीडेन्ट ऐसे छात्रों की सूची बना कर संबन्धित हैड मास्टर्स को दे देंगे उनसे फीस न लिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। यही नहीं, ऐसे छात्रों की सूची स्कोलरशिप कमेटी के पास आने पर उन्हें स्कोलरशिप देने के लिये विचार किया जायगा तथा पुस्तकें खरीदने के लिये पैसे दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य समाप्त हुआ।

माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है और इसके बाद उचित व्यवस्था दे दी जावेगी।

(४. ३० म० प०)

श्री हरिदेव जोशी सम्बन्धी उठाये गये औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था

दिनांक १० सितम्बर, १९६३ को श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने यह तर्क देते हुए एक औचित्य प्रश्न उठाया कि श्री हरिदेव जोशी, सदस्य, विधान सभा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ७ (डी) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के अधीन विधान सभा के सदस्य रहने के लिए डिसक्वालिफाइड हो गये हैं। इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि उनके पास कुछ भूमि आ गई जो सरकार द्वारा सेवा सदन, जयपुर के किसी कार्यकर्त्ता को सांसियों के सुधार के निमित्त समाज कल्याण कार्य करने के लिए अलॉट की गई थी और इसलिये श्री जोशी के पास जो भूमि है वह सरकार की कुछ सेवा करने के बदले में है।

श्री भैरोंसिंह ने इस सम्बन्ध में यह अनुरोध किया कि क्योंकि यह मामला सदन के एक माननीय सदस्य की डिसक्वालिफिकेशन के बारे में उठाया गया है अतः इसे राज्यपाल महोदय को निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष)

मैंने श्री हरिदेव जोशी से यह बताने के लिए कहा कि क्या वे भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के अधीन उनके डिसक्वालिफाइड हो जाने के सम्बन्ध में श्री अग्रवाल के तर्क को स्वीकार करते हैं या नहीं, तो उन्होंने श्री जोशी ने, श्री अग्रवाल के तर्क को स्वीकार नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि वे विधान सभा की सदस्यता के लिए किसी डिस्क्वालिफिकेशन के अन्तर्गत नहीं आते।

मैंने श्री अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई जिसके कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ७ (डी) इस मामले में लागू होती हो।

अतः मेरी यह मान्यता है कि संविधान के अनुच्छेद १९२ (१) के अर्थ में ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता जिसे राज्यपाल महोदय को निर्दिष्ट किये जाने की अपेक्षा हो और इसलिए राज्यपाल महोदय को कोई निर्देश किये जाने आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद १९१ के अधीन डिसक्वालिफाइड हो गया है या नहीं, यह प्रश्न कोई व्यक्ति उस सम्बन्ध में राज्य के राज्यपाल को याचिका प्रस्तुत कर उठा सकता है और सदन के किसी सदस्य के लिए यह सम्भव है कि यदि वे चाहें तो राज्यपाल महोदय को इस विषय में सीधी याचिका प्रस्तुत करें।

अतः जो आपत्ति उठाई गई थी, उसे अस्वीकार किया जाता है।

Rajasthan Money Lenders Bill;
Clause wise discussion.

श्री रामकिशन (वैर) : अभी जो बयान दिया है शिक्षा मन्त्री ने प्री—यूनिवर्सिटी के जनरल इंग्लिश के पर्चे में ८० प्रतिशत अंक लाने सम्बन्धी...

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बहस नहीं कर सकते। माननीय सदस्य चाहें तो इसके लिए अलग से डिस्कशन रख सकते हैं। कई तरीके हैं। आधा घण्टा को बहस करना चाहें तो वह कर सकते हैं।

श्री रामकिशन : मुझे तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण कराना है।

श्री अध्यक्ष : अगर इसी तरह से और भी स्पष्टीकरण कराना सब शुरू कर देंगे तो बहस हो जावेगी।

श्री रामकिशन : ४० अंक लाना जरूरी है पचास में से, यह यूनिवर्सिटी ने तय कर दिया है। अगर नहीं आवेंगे तो दूसरे....

श्री अध्यक्ष : तो इसमें बहस की क्या जरूरत है, यह तो आप जानकारी उनसे बाद में भी कर लें। सदन का समय यों बरबाद न करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसके लिए एक कॉल अटेन्शन नोटिस दिया हुआ है। मैं समझता हूं उस पर आधा घन्टा, घन्टा भर का समय नियत हो सकेगा।

(४.३२ म. प.)

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३
(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य मनी-लेंडर्स बिल पर बोलेंगे। इसमें जनरल डिबेट के लिए एक दिन पूरा मिल गया है। अब माननीय सदस्य अगर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन में समय कम लेना चाहें तो जनरल डिस्कशन में वह समय और ले लें। आप जैसा चाहें यह हो सकता है। पर जैसा सदन ने स्वयं ने तीन दिन का समय इस के लिये बहस करके पारित करने हेतु नियत किया है उससे अधिक समय नहीं बढ़ सकेगा, तो अगर और तरह की व्यवस्था करके इस समय जनरल डिबेट में समय अधिक लगाना चाहते हों तो आगे का समय क्लॉज़ बाई क्लॉज डिस्कशन का कम करना पड़ेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से अचानक एक अमेन्डमेन्ट ऐसा हमारे सामने आया है कि सारे एक्ट पर ही इसने पानी फेर दिया है। इसलिये इस पर बहस करने के लिए थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तो वह अमेन्डमेन्ट जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ चलने पर आवे तब बहस करिये न।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसका असर सारे क्लॉज़ों पर और सारे बिल पर ही पड़ गया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : तो मैंने जैसे कहा आप अभी कर लें बहस या बाद में कर लें जब थर्ड रीडिंग का समय आवे। बहस की कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन तो करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन और भी कई सदस्यों ने रखे हैं तो इसलिये मैं समझता हूं कि इस जनरल डिबेट को तो यहीं समाप्त कर लें, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ शुरू किया जावे। अगर और बोलना है जनरली तो थर्ड रीडिंग का चान्स हाथ में है, आप उस वक्त बोल सकते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है कम से कम उनको तो बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वे बोलना चाहते होंगे तो जरूर अवसर मिला होगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नहीं मिला साहब।

श्री अध्यक्ष : कितने हैं जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ५ हैं। जिनमें एक श्री नाथूलाल करोल तो बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : तो ये तो कम से कम बोल लें। श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

Page No 56

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कितना समय निर्धारित करेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : माननीय सदस्य कल दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अब वे ही माननीय सदस्य बोलें जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। वे जल्दी बोल लें। वे दस-दस मिनट बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो बहुत कम समय है।

श्री अध्यक्ष : मैंने रेकार्ड के आधार पर कहा है कि वे दस मिनिट बोल लें, कल भी यही तय किया गया था। पांच मिनिट और बोल लें, मुझे आपत्ति नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर कल मेरा भाषण कन्टीन्यू रखा गया था। मैं आज कन्टीन्यू करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्ट है कि अगर आप इस समय अधिक समय लेंगे तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ में समय कम करना पड़ेगा और निश्चित समय तक सारे प्रस्ताव अमेन्डमेन्ट के इस विधेयक को पारित करने के लिये लाने पड़ेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपनी दलीलों को कन्क्लूड तो करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बोहरा। मेरे ख्याल से जिन्होंने नोट ऑफ डिस्नेट दिया है वे ही बोलें तो अधिक उपयुक्त रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे कन्क्लूड तो करने दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्या फर्क पड़ जावेगा? आप तो हमेशा इतने बोलते हैं। आप अमेन्डमेन्ट पर निश्चित रूप से बोलें और तब अपने पोइन्ट्स अच्छी तरह से रक्खें, ऐसी सूरत में आपके विचारों से सदन को भी फायदा पहुंचेगा। इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट्स भी आये हैं, उन पर भी बोला जा सकेगा काफी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपनी विशेष राय प्रकट करना चाहता हूं। या तो फिर मुझे कल ही बता दिया जाता तो जितना समय मुझे मिला था उसमें ही समाप्त कर देता। इसके अभाव में मैं तो कल भूमिका ही बांध पाया। उसके आगे चल ही नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष : श्री बोहरा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, किसी दल को तो समय मिला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : दल को बीच में अभी नहीं, बाद में लावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : मुझे मिलेगा समय?

श्री अध्यक्ष : जरूर दिया जावेगा आपको।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे पांच मिनिट मिल जावें तो मैं अपना कम का कन्क्लूड कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पांच मिनिट बोलना चाहते हैं। बहुत आग्रह है आपका पांच मिनिट समाप्त होने पर आप स्वयं बैठ जावेंगे। बिना घन्टी बजने की इन्तजार किये ही बैठ जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पांच मिनिट तो बहुत कम रहेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : No, no, this is clearly understood. We are giving a very special favour.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे यह इतला कल होती तो शुरू से ही मैं बिल के तथ्यों में जाता और वह भी मैंने अपने गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से याचना करके चार मिनिट प्राप्त किये थे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है और जिस तरह से दफाओं को इसमें लिया गया है उनके लिये मैं कल ही कह चुका हूं कि एक के बाद दूसरी दफा को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि एक दफा से जो राहत मिलती है वह दूसरी दफा से समाप्त कर दी जाती है। आज जब सारे भारत में, भारत के सभी राज्यों में करीब करीब इस प्रकार के जबर्दस्त बिल आ चुके हैं जो सूदखोर महाजनों से किसानों को और गरीब लोगों को निजात दिला रहे हैं वहां राजस्थान इसमें भी पिछड़ रहा है। राजस्थान का यह बिल हमें वहां तक भी नहीं पहुंचाता जहां पंजाब जैसा हमारा पड़ोसी प्रान्त आज से २५ वर्ष के लगभग पहले ही यूनियनिस्ट गवर्नमेन्ट के समय जब कि छोटूराम का समय था उस समय किसानों को जहां तक राहत प्राप्त हो चुकी थी और जहां तक वह राज्य उस समय पहुंच गया था उस समय तक भी यह बिल हमें बड़ी कठिनाई से ले जाता है।

जगह जगह हम इस बिल में मनी लेण्डर को बांधने की कोशिश करते हैं कि वह रजिस्टर मेन्टेन करे, ऑडिट करावे, बाकायदा लाइसेन्स ले, अब अगर वह नहीं लेता है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिये, पर इस मामले में आगे चलकर यह बिल हर जगह झिझकता हुआ आगे बढ़ता है। जहां तक मनी लैंडर्स द्वारा लाइसेन्स लेने के प्रश्न का यह प्रावधान था और होना भी चाहिये कि वह तुरन्त लाइसेन्स ले ले। पर इस बिल में एक लेटीट्यूड सिलेक्ट कमेटी के बाद आया। उसको छः महीने की अवधि दी गई कि वह छः महीने तक बिना लाइसेन्स लिये भी कारोबार चला सकता है।

इसके साथ साथ अगर किसी कोर्ट के अन्दर मनीलैंडर सूट पुटअप करता है और लाइसेन्स प्रोड्यूस नहीं करता है तो उस दिशा में मनीलैंडर के खिलाफ कॉग्नीजेंन्स लेने की बात है तो वहां भी यह बिल जब कि सिलेक्ट कमेटी से बाहर निकलता है उसको ३ महीने की मोहलत देता है कि ३ महीने के अन्दर अन्दर वह अपने लाइसेन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक ही नहीं अगर कोई कर्जदार मनीलेण्डर के कन्सोलियेशन के अन्दर इस बात की सिफारिश करता है, इस बात के लिए एप्लीकेशन देता है या कोई सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट के अन्दर या और किसी कोर्ट के अन्दर तो जहां कि पहले सिविल कोर्ट का इसमें प्रावधान था इसके या इससे भी लोअर कोर्ट का प्रावधान था अन्दर अब डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में ही वह एप्लीकेशन इस बात को कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो बिल के अन्दर प्रावधान है कि

Page No 58

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मनीलेंडर्स बाकायदा अकाउन्ट्स मेन्टेन करे, लेजर बुक मेन्टेन करे, कैशबुक और रसीद बुक मेन्टेन करे या मनीलेण्डर को जाली दस्तावेज बना ले। इस सारे के विषय में सेक्शन ३८ के अन्दर जिन सजाओं का प्राव-धान किया गया है उनको देखते हुए यह बिल मनीलेण्डर्स के लिए हमदर्दी का बिल है न कि कठिनाइयों का है। वे सूदखोर महाजन जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फंसे हुए हैं और राजस्थान में जहां कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबडिवीजन्स हैं जहां कि मनीलेण्डर्स के पास आर०ए०सी० की गार्ड्स हैं और ७–७ साल से मौजूद हैं और वहां पर डाके पड़ते हैं। लेकिन मनीलेण्डर्स को बचाने के लिए वहां गार्ड रखी जाती है और वे आज अपने डेट्स को वसूल कर रहे हैं ऐसे मनीलेण्डर्स मौजूद हैं। जब कि राजस्थान में ऐसे भी मनीलेण्डर्स हैं, जिनके पास सारे के सारे गांव की जमीन गहने पड़े हुए हैं और ऐसी जमीन गहने पड़े हुए हैं जो कि भीलों के द्वारा, गिरासियों के द्वारा बंजर को तोड़कर ६–६ बीघा जमीन निकाली है जो कि उनकी मेह-नत का निचोड़ है वह जमीन-गहने पड़े हुए हैं। बल्कि देखा जाये तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे भी मनीलेण्डर्स हैं जिनके यहां लोगों की लड़कियां गहने पड़ी हुई हैं। बाली सब डिवीजन में इस प्रकार का है और अगर आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय, आप धौलपुर की तरफ देखें तो वहां पर ये मनीलेण्डर्स पैसे देने का ही धंधा नहीं करते बल्कि पशु जो कि चोरी चले जाते हैं उनको वापिस पैसे के जरिये करवाते हैं। धौलपुर ऐसी जगह है जहां हजारों की तादाद में पशुओं की चोरियां होती हैं और मनीलेण्डर्स को सरकार के द्वारा गार्ड किया जाता है। इस प्रकार की आज सारे राजस्थान की जनता इस प्रकार के मनीलेण्डर्स के द्वारा शोषित है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति के दिल में घृणा के शब्द हैं। ऐसे भी मनीलेण्डर्स हैं जो कि अनाज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनीलेण्डर्स केवल एक प्रकार के ही नहीं हैं। केवल रुपया देते हों, कैश देते हों बल्कि मनीलेंडिंग का सिस्टम अन्स के अन्दर भी होता है। वह अनाज भी देते हैं। मनीलेण्डर्स जो अनाज देते हैं उसकी कई गुना कीमत वसूल करते हैं। अनाज की हाइएस्ट रेट लगाते हैं। ऐसे भी केसेज़ हैं कि मनीलेन्डर्स जाली दस्तावेज बनाते है, अंगूठा लगाते हैं और हर तरह से शोषण करते हैं। आज लोगों के खेत के खेत गिरवी पड़े हुए हैं और एक मनीलेण्डर सारी जायदाद और गांव का मालिक हो जाता है। ऐसे मनीलेण्डर्स हैं जिनके लिए यह बिल सरकार लाई है। ये मनीलेण्डर्स जो गलत अकाउन्ट्स बुक बना लें, जालसाजी के दस्ता-वेज बना लें यह उनके ऑफेन्स कागनीज़बल हैं, कम्पाउन्डेबल हैं, बेलेबल हैं।

(४.४५ म०प०)

(श्री केसरीसिंह सभापति, पदासीन)

किसी में ६ महीने और किसी में ३ महीने से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। कोई जाली दस्तावेज बनाये ४२० के अन्दर उसको ७ साल या ५ साल की सजा दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक किस्म का उनके लिए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रोटेक्शन है कि वह ब्लैंक जगह रखता है और जिसकी पूर्ति वह बाद में करता है और हमारे यहां राजस्थान में तो मनीलेण्डर्स का चुनावों के अन्दर उपयोग होता है। जिन लोगों से पैसा ले रखा है उनका निरन्तर चुनावों के अन्दर उपयोग किया जाता है। फिर मनीलेण्डर्स के ठाठ देखिये कि डी०वाई०एस०पी० से कम का कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। विधान सभा के चुने हुए सदस्य, पार्लियामेन्ट के चुने हुए सदस्य, स्पीकर को सूचना देकर, के एक हैड कॉन्सटेबल हथकड़ी डाल सकता है। एक प्रधान है, एक पंच है उसको एक हैड कॉन्सटेबल या थानेदार गिरफ्तार कर सकता है लेकिन मनीलेण्डर की हमारे यहां इतनी बड़ी शान है और मनीलेण्डर्स हमारी सरकार के लिए आदर्श हैं कि उनके हाथोंमें हथकड़ी डलवाने के लिए डी०वाई० एस० पी० से कम कैडर का आदमी न हो। सब से बड़े ताज्जुब की बात यह है कि मनीलेन्डिंग की जो लाइसेन्स की फीस है, रिन्युअल की जो फीस है और जो सरकार ने उसे रखा है वह यह बताती है कि मनीलेन्डिंग के लिए और उसका काम करने वालों के लिए कितनी सहानुभूति है। लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए ५) रुपये फीस के रखे हैं, अगर कोई मनीलेण्डर किसी दूसरी जगह मनीलेन्डिंग करने के लिए लाइन्सेस चाहता है तो उसकी फीस है २ रुपया और रिन्यूअल के लिए २) रुपया रखा है। महाजन का लाखों रुपयों का जाल बिछा हुआ है, क्या सरकार यह नहीं सोचती है कि आज हमारे यहां ३४ हजार गांव हैं उनमें से मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि २५ हजार गांवों के रक्त का शोषण यह सूदखोर महाजन कर रहे हैं, बोहरे कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

श्री सभापति : You will now wind up please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि यह फीस उसके बिज़नेस के ऊपर लगानी चाहिए। जैसे १०,००० के पीछे १००) रुपये तक की फीस लगाना मामूली सी चीज है, लाख रुपये का बिज़नेस करने वाले से आप १,०००) रुपया ले सकते हैं। लेकिन सरकार यह नहीं करती है। आज सरकार हमारे पुलिस के आदमियों को भूखों मार सकती है, आर०ए०सी० के जवानों को भूखों मार सकती है लेकिन सरकार इन मनीलेण्डर्स से लाइसेन्स फीस बढ़ाकर नहीं ले सकती है।

बहुत से लोगों का एतराज है कि इससे लोगों का बिज़नेस खत्म हो जायेगा। लेकिन मैं पूछता हूं, यह रुपया जायेगा कहां? अगर मनीलेण्डर मनीलेन्डिंग का बिज़नेस नहीं करेगा तो रुपया बैंक में आयेगा या वह कारखाने में लगायेगा। आज कोई सोने की ईंटें बनाकर तो गाड़ेगा नहीं। यह मनी लेण्डर्स हमारी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, मार्केटिंग सोसाइटीज़ के, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो पहले हल और बैलों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन देती हैं उनकी टक्कर के अन्दर यह मनीलेण्डर्स दीवार बन कर खड़े

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हुए हैं । इसलिए सभापति महोदय, मै समाप्त करता हूं और इन शब्दों के साथ करता हूं कि १३ साल के बाद ऐसा आपने एक बिल बनाया वह भी मनीलेण्डर्स के लिए तरस का बिल बनाया है और इसमें आपने मनीलेण्डर्स का ज्यादा ख्याल रखा है । जितने भी ऑफेन्स करता है उनको आप काग्नोज़ेबल रखिये, नॉन-बेलेबल रखिये और नानकम्पाउन्डेबल रखिये तब आप सूदखोरों से किसान को और राजस्थान की दो करोड़ जनता को राहत दिला सकते हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (भावल') : सभापति महोदय, आज जो राजस्थान साहूकार विधेयक हमारे सदन के समक्ष उपस्थित है, मैं उसकी भावनाओं का आदर करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है वह उद्देश्य सही है, लेकिन इसमें कुछ प्रोवीजन्स इस प्रकार के हैं कि जिससे इस उद्देश्य की मन्शा पूरी नहीं होती है ।

जिस प्रकार की इसमें भाषा या जिस प्रकार के प्रोवीजन्स इसमें लाये गये हैं वे वास्तव में किसानों के हित में नहीं हैं । अगर हम यह चाहते हैं कि देश के सभी वर्ग बराबर के हों या हमारे देश की जनता में से सब को हम एक निगाह से देखें, सम्यक् दृष्टि से देखें, तो वह ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है । मैं उदाहरण देकर यह बताना चाहता हूं कि मनीलेण्डर्स बिल का उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य यह है कि जो साहूकार बदमाश है या जो चोर हैं या अधिक सूद लेते हैं, या जो गड़बड़ करता है उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से धन्धा करते हैं या जो व्यक्ति साहूकारी ढंग से इस व्यापार का करते हैं, कम से कम उनका संरक्षण होना चाहिए और उनको इस प्रकार की सजा नहीं मिलनी चाहिए । आज हम देखते हैं कि देश में कितने प्रकार की गड़बड़, कितने प्रकार का करप्शन कोई छाती ठोक कर कह दे कि हमारे यहां करप्शन नहीं है । आज सरकार करप्शन को रोकने के लिए किसी प्रकार का ट्रिब्यूनल नहीं बैठाती है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती है । कुछ लोगों को जिनको कि हम मनीलेण्डर्स कहते हैं वह ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बेईमान हों, जो बदमाश हों उनको कन्ट्रोल करने के लिए जो सुविधा और साधन हम उपलब्ध करें, क्या यह जरूरी है कि वह साधन, सुविधाएं या सजा सारी की सारी ईमानदार लोगों पर लागू हो । मैंने अपने डिसेन्ट नोट में कहा था कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो गरीब हैं, चाहे मनीलेंडिंग करते हों, मनीलेंडिंग करने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता है । राजस्थान से बाहर व्यापार करने वाले राजस्थान के लोग करोड़पति हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में रहने वाला करोड़पति नहीं हैं । राजस्थान में लखपति हो सकते हैं, लेकिन इतना पैसा उनके पास नहीं है । एक बार हमारे सुखाड़ियाजी ने स्वयं ने कहा था कि राजस्थान की इन्कम फैली हुई है । अगर हम इन्डेक्स फीगर्स को देखते हैं तो ५५-५६ में जिस कॉमोडिटी के भाव १००) रुपये थे

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

प्राज उसके भाव १२५) रुपये हो गए हैं। ६२ के बजट में १२५) रुपये थे तो २५ पर्सेन्ट भाव बढ़ा है, तो जो लोन ५५ में किसानों को दिया गया है प्राज उसकी प्राइस ७५ पर्सेन्ट कम हो गई है। प्रार्थिक दृष्टि से देखा जाय तो मनीलेंडिंग की कीमत कम हुई है। फिर भी मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि यहां पर रेट ग्रॉफ इन्ट्रेस्ट फिक्स होनी चाहिए। उस रेट से प्रधिक व्याज नहीं ले यहां तक इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्राज जो पद्धति है उसमें गरीब किसान जो कि गांव में बैठा है उसके पास १०००) रु० है तो वह सोना नहीं खरीद सकता है तो १०००) रु० की पूंजी का क्या करे? क्या वह प्रपने पड़ोसी किसान को उधार नहीं दे? प्रपने रिश्तेदार किसान को जो कि जरूरतमन्द है उसको उधार नहीं दे। यदि वह देता है तो उसको लाइसेन्स लेना पड़ता है। उसके बाद हिसाब रखना पड़ता है प्रौर हिसाब रखने के बाद उसको हर तिमाही पर हिसाब भेजना पड़ता है, क्या उसके लिए यह सम्भव है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लिमिट ऐसी होनी चाहिये कि जिससे इतने छोटे छोटे मनीलेण्डर्स से जो २०००) रु० से व्यापार करते हैं, ४०००) रु० से व्यापार करते हैं या ५०००) रु० का व्यापार करते हैं तो कम से कम जो प्रापने नियम प्रौर उप-नियम बना रखे हैं उनका पालन नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को कम से कम छूट मिलनी चाहिये।

कभी ऐसा मौका भी हो सकता है कि कभी विधवाएं ऐसी हो सकती हैं, प्राज नाबालिग बच्चे जो कि सोल्जर्स फ्रन्ट पर गये हुए हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, क्या वे प्रापके सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी चाहे वे मनीलेण्डर्स हों, चाहे किसान हों जो बिलकुल नोमीनल रुपये से व्यापार करते हैं। प्राप चाहें तो मैं उदाहरण दे सकता हूं कि एक व्यक्ति एक हजार रुपये से मनीलेंण्डिग का बिजनेस करता है प्रौर १२ रुपये फी सैकड़ा के हिसाब से व्याज ही लेता है तो साल भर का १२०) रु० होता है तो क्या १२०) रु० में खाता बही मैनटेन कर सकते हैं। वह प्रनपढ़ है। प्राप चाहें तो प्रपनी विधान सभा के जो हरिजन भाई एम० एल० ए० हैं या भील भाई एम० एल० ए० हैं उनको पहले प्राम-दनी कम थी प्राज उनकी २५०) रु० तनख्वाह मिलती है प्रौर १५) रु० का भत्ता मिलता है तो उनकी प्रामदनी ४००) रु० महीना हो जाती है तो उनके पास जो रुपया बचता है उसको वे कर्ज देते हैं। वे इस प्रकार से सारे नियमों को पालना कर सकते हैं, यह प्रसम्भव है। क्या प्राप एक्सपेक्ट करते हैं कि वे लोन नहीं दें प्रपने पड़ोसी को? इसमें यह दिया गया है कि एक ट्रेडर है लोन लेने वाला है तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है उसको प्रगर कोई लोन देगा तो दे सकता है। तो इसका सीधा-सादा मतलब यह है कि एक किसान दूसरे किसान को डाइरेक्ट लोन नहीं दे सकता है वह व्यापारी के थ्रू लोन देगा। इसका सीधा-सादा प्रर्थ यह होगा कि जो किसानों को लोन दे सकता था उसको इस

Page No 62

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

फील्ड, मनीलैण्डिग बिजनेस से हटाना चाहते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की सुविधायें दी जायें कि जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे मनीलेण्डर्स हैं, जो किसान हैं उनको ५,०००) की छूट दो जाय, २,०००) की छूट दी जाय जिसके करने से लाइसेन्स लेने की उनको असुविधा न हो।

इस प्रकार से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लाइसेन्स की फीस ५) रु० रख दी और रिन्यूअल की फीस २) रु० रख दो तो फिर इसको प्रति वर्ष रिन्यू कराने की क्या आवश्यकता है ? एक बार लाइसेन्स दे दिया उसके बाद में जब तक उसमें कोई डिफेक्ट मालूम नहीं हो तब तक केन्सिल नहीं किया जाय। उसकी वेलिडिटी रखें। ऐसी असुविधा सेल्स टैक्स में पहले भी थी। हर वर्ष लाइसेन्स देना पड़ता था। यह असुविधा होती थी तो सरकार ने देखा कि हर बार एक ऑफिसर मुकर्रर करना पड़ता है लाइसेन्स की एप्लीकेशनों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टी को आना पड़ता है तो कितना खर्चा छोटे से व्यापारी को होता है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिस रखेंगे तो उसको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स पर आना पड़ेगा और वहां से जाना पड़ेगा। उसको इन्क्वायरी करने जायगा तो ५) रु० की लाइसेन्स फी के पीछे कितना खर्च करना पड़ेगा। आप ५०) रु० रखिये या १००) रु० रखिये, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम यह रखिये कि एक बार लाइसेन्स लाने के बाद जब तक किसी कारण से उस पर चार्जशीट होकर उसका लाइसेन्स कैन्सिल न किया जाय, या सस्पेण्ड न किया जाय तब तक उसका लाइसेन्स वेलिड समझा जाय।

दूसरी बात यह है कि लाइसेन्स की यह पद्धति रखी है कि एक एरिया के लिए लाइसेन्स होगा तो एक एरिया के बजाय सारे राजस्थान के लिए लाइसेन्स होना चाहिए। जहां जहां जिस जिस एरिया में वह व्यापार करे उसके लिए ब्रांच लाइसेंस ले ले तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा ताकि कन्ट्रोल किया जा सके। इस तरह से करने पर आपका उसमें कन्ट्रोल रह सकेगा, नहीं तो क्या होगा कि बोर्डर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और दोनों डिस्ट्रिक्ट में काम करता है तो उसको बड़ी असुविधा हो जायगी। उसको मुफ्त में दो लाइसेन्स लेने पड़ेंगे और दो जगह हिसाब सबमिट करने पड़ेंगे, दो जगह लाइसेन्स लेने के लिये जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सारे राजस्थान के लिए एक ही लाइसेन्स दिया जाय या जितनी जगह व्यापार करे उसके लिए इस तरह से लाइसेन्स दिये जायं जैसे कि सेल्स टैक्स में है।

इसी तरह से लाइसेन्स के लिए यह कहा गया है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार लाइसेन्स के लिए एप्लीकेशन लेकर फॉर्वर्ड करेगा और फिर रजिस्ट्रार लाइसेन्स देगा। मैं चाहता हूं कि लम्बी कागजी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उसमें रजिस्ट्रार क्या करेगा, केवल दस्तखत ही तो करेगा, इसलिए रजिस्ट्रार को पॉवर्स दे दें कि लाइसेन्स इश्यू कर दे।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

लाइसेन्स रिजेक्शन करने का जो सवाल है, नहीं इश्यू करने का जो सवाल है वह काम आप आगे के अधिकारी को दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : ऐसी आशा है कि जो एमेंडमेंट्स आपके आगे आने वाले हैं अलग अलग क्लॉज़ पर उस समय भी आपको समय मिलेगा। इसलिए आप अभी संक्षेप में फर्मायेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसको विचारार्थ लिया जाय या जनमत के लिए भेजा जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट है। I am speaking on my note of dissent.

श्री सभापति : Be brief please.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सबसे ज्यादा खराब जो क्लॉज़ है वह यह है कि इसमें जो काइन्ड में लोन देगा उसको भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बहुत से किसान बाड़ी पर नाज दे देते हैं, किसी के यहां अच्छा बीज होता है तो दूसरे किसान को दे देता है, कम से कम इस प्रकार के लोगों को इससे एग्जेम्प्ट करें जो कि अपने रिलेटिव्ज़ को इस प्रकार से लोन दें। बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने लड़कों के नाम पर, बेटियों के नाम पर पैसा जमा रखते है ताकि उनकी शादी के समय कुछ सुविधा मिले। उसके ऊपर असर होगा। वे भी इसमें आ जाते हैं। उसमें किसी प्रकार की छूट होनी चाहिए।

एक जो सबसे बड़ी बात है वह इसमें यह है कि आपने यह कर दिया है कि मूल से इन्ट्रेस्ट अधिक नहीं होना चाहिए। यह सैद्धान्तिक रूप से अच्छी बात है, लेकिन जब यह निश्चित कर लें कि आपकी रेट आफ इन्ट्रेस्ट १०, १२ या ५ पर्सेन्ट होगी तो फिर बताइये कि आपको क्या अधिकार है कि आप यह क्यों चाहते है कि लोंग टर्म लोन कोई आदमी न ले सके। इसका अर्थ यह होगा कि एक इन्ट्री के लिए लोन नहीं ले सकेगा। एक किसान होर्टीकलचर के लिए या बगीचा लगाने के लिए लेता है लोन तो ५-७ साल तक तो उसको उसका रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई उसको लोंग टर्म लोन नहीं देगा। आज मान लीजिये किसी ने ५ वर्ष के लिये १०० रुपये उधार दिये हैं तो उधार देने वाला वापिस रुपये लेने के लिये तकाजा करेगा और वह उधार लेने वाला वापिस जल्दी नहीं चुका सकता और वह कोर्ट में जाना नहीं चाहेगा। जब वह रुपये नहीं चुका सकेगा तो ब्याज तो कन्टीन्यू ही रहेगा। आपने जो लॉ में प्रावधान रखा है उसका सीधा असर यही होगा कि कर्जा लेने वाले लोंग टर्म लोन लेना चाहेंगे तो उनको नहीं मिलेगा और जिन्होंने लिया है उनको रिटर्न करना पड़ेगा तो इसमें उनको बड़ी असुविधा होगी। बारबार कोई

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

लोन लेता है तो व्यापारी काटा काटता है, ऐसा कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। बार बार लोन लेंगे तो अधिक काटा काटा जायगा, इसलिये एक बार परमनिन्ट लोंग टर्म लोन ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

कोई आदमी इन्डस्ट्री लगाना चाहता है और उसके लिये लोंग टर्म लोन लेना चाहता है तो उसके लिये भी असुविधा होगी। इस दृष्टि से भी आप अच्छी तरह से सोचें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आपने इस विधेयक में सोकेंसी क्लॉज नहीं रखा है। हमारे यहां के किसान, छोटे व्यापारी और दूसरे अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। क्या आपका लगाया हुआ कानून उनके घर में या उनके गांव में पहुंचता है? क्या वहां पर पहुंचता है जहां न रेडियो है, न अखबार पहुंचता है और न कोई सूचना पहुंचती है? आपने लाइसेन्स के लिये अवधि रखी है और उसमें कोई लाइसेन्स नहीं लेता है तो आपने कोग्निजेबल आफेन्स रखा है। यदि कोई नहीं लेता है तो वह उस आफेन्स में आता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक व्यापारी जिसके लिये आशंका है कि सेठ लोग हो गये, कोई एक लाख रुपयों से व्यापार करता है वह लाइसेन्स नहीं ले पाता है तो उसको व्यापार या लेन-देन बंद करना पड़ेगा, इसका असर उधार लेने वालों पर भी पड़ेगा। लाइसेन्स नहीं लेने का कारण यह है कि गांव में उसके पास तक सूचना नहीं पहुंची है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): उनके एजेन्ट पहुंचा देंगे।

श्री संपत्तिलाल बोहरा: बहुत अच्छी बात है, आप पहुंचा देंगे तो।

क्या आप यह चाहते हैं कि एक लाइसेन्स वाले ने अपने मकान के बाहर बोर्ड नहीं टांगा है तो इसलिये उसको सजा दी जाय? किसी ने क्वार्टरली रिर्टन्स नहीं भरे हैं तो उसके लिये उसको सजा दी जाय? मैं समझता हूं ये सारे प्रोविजन्स इसलिये हैं कि छोटे छोटे व्यापारी इससे डर जायेंगे और नतीजा क्या होगा कि वे व्यापार नहीं कर सकेंगे और सारे रुपये बड़े मनीलेन्डर्स के पास जायेंगे और उनके किसानों के पास फ्लो होगा। आप कानून बनाते हैं तो इसका इम्प्लीकेशन हमारे व्यापारियों पर, किसानों पर, कॉमर्स पर किस तरह से पड़ेगा इस पर सोच विचार करना चाहिये। सीरियसली सोचना चाहिये कि हमारे कॉमर्स, इन्डस्ट्री, व्यापार और व्यापारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी जो ३ महीने का समय रखा है उसमें आपने उसकी बहियां मंगा ली और उसका रेकॉर्ड आपके पास पड़ा रहा और उस मनीलेंडर के पास कोई रकम लेने गया और और उसको मना करना पड़ेगा तो वह डिस्क्लोज करेगा कि वह व्यापारी १० आदमियों से रुपये लेकर अपना धन्धा करता है तो उसकी ऑकवर्ड पोजीशन हो जायगी।

Page No 65

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इन्कम टैक्स का। एक आदमी के पास घर की पूंजी नहीं थी, लाखों रुपयों की क्रेडिट से अपना धंधा चलाता था। एक क्लर्क की बदमाशी से लोगों को पता चल गया। वह जब इन्कम-टैक्स ऑफिस में गया तो सभी क्रेडिटर्स ने उसको घेर लिया और उससे मांगने लगे। उसकी सारी पोल खुल गई और उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया। आपने इस बिल में सीक्रेसी का कलॉज नहीं रखा, इसलिये जो भी डॉक्युमेन्ट्स आवेंगे वे सीक्रेट नहीं रहेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। तो जो व्यापारी के पास लेने जायेंगे उसका और कर्ज लेने वालों का, दोनों का ही नुकसान होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रोविजन अवश्य होना चाहिये जिससे सीक्रेसी मेन्टेन हो।

श्री सभापति (श्री केसरसिंह): आपको ६ बार और बोलने का मौका मिलेगा इसलिये संक्षेप में बोलें तो अच्छा होगा।

श्री संपत्तिलाल बोहरा: एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं। इसमें ६ महीने का टाइम रखा गया। इसमें अकाउन्ट्स की पद्धति इमीजिएटली लागू होगी। आप सेल्स टैक्स को देखिये। सेल्स टैक्स को लागू हुए ७ साल हो गये, लेकिन ऐसे बहुत से व्यापारी आज भी हैं जो लाइसेन्सी नहीं हैं। यह चीज इमीजिएटली लागू नहीं हो सकती इसलिये ६ महीनों की जो मयाद रखी है वह बहुत कम है। आपने यह रखा है कि व्यापारियों को हिसाब उसी वक्त देना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि पर्टिकुलर डेट से लागू किया तो क्या सभी मनीलेन्डर्स को अपनी बहियें बदलनी पड़ेंगी। किसी व्यापारी का साल आसोज से चलता है, किसी का कार्तिक सुदी १ या दिवाली से चलता है, किसी का मार्च से चलता है, इसलिये ऐसा होना चाहिये कि जब से व्यापारियों के अकाउन्ट का साल शुरू हो तब से बहियों का लागू हो तब सुविधा होगी और बीच में बहियें नहीं बदलनी पड़ेंगी।

इस दृष्टि से एक बात और निवेदन कर दूं, मास्टर। इसमें सभापति महोदय, ऐसा प्रोविजन है जिसमें मनी लैंडर्स को और कारणों से सजा मिल गई तो वह व्यापार करने का अधिकारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि से यह अच्छा प्रोविजन नहीं है। हम प्रोग्रेसिव स्टेट के लोग कहलाते हैं, हम सो कॉल्ड सोशियलिस्टिक पैटर्न को फोलो करना चाहते हैं, क्रिमिनल्स को सुधारना चाहते हैं। गृह मन्त्रीजी क्रिमिनल्स को जेल से बाहर रखकर आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो और कामों में गिरफ्तार हुए या पहले जो डाका डालने का काम करते थे अब यदि वे सुधर गये हैं और मनीलैंडर का पेशा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या हम उनको नहीं करने देंगे? क्या हम यह चाहते हैं कि वे शान्तिपूर्वक अपना जीवन नहीं बितावें? आज हम इस स्थिति में से गुजर रहे हैं कि जब हमें व्यक्तियों को सुधारना है तो यह करना चाहिए कि जब तक इस एक्ट के अन्तर्गत किसी को सजा या पनिशमेंट नहीं मिला हो, इस कानून की जब

Page No 66

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

तक प्रवहेलना नहीं की हो तो उसको लाइसेन्स देना चाहिए और यह व्यापार करने की सुविधा होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जितने प्रोविजन्स हैं, जहां तक इस बिजनेस को कन्ट्रोल करने का सवाल है, रेट ग्रॉफ इन्ट्रेस्ट को कन्ट्रोल करने का सवाल है मैं इन सब बातों का स्वागत करता हूं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं जो व्यापारियों के, किसानों के और गरीबों के हित में नहीं हैं। इसलिये मैं उन पर गम्भीरता से विचार करने के लिए आग्रह करता हूं।

श्री सभापति (श्री केसरसिंह) : क्या और कोई माननीय सदस्य हैं जिन्होंने नोट ग्रॉफ डिसेन्ट दिया है और वे बोलना चाहते हैं?

(विराम)

और कोई नहीं है तो मन्त्रीजी जवाब दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

(और दो-तीन माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कंसीडर करें उस समय ही मौका लें तो अच्छा हो।

कुछ माननीय सदस्य : हमें अपनी बातें कहनी हैं।

श्री सभापति : अच्छी बात है। आप पांच-पांच मिनट लें।

श्री मुक्तिलालजी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, आज यह जो सहकार विधेयक यहां पर आया है यह बिल सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भी गया था लेकिन इस बिल के अन्दर बहुत सी कमियां हैं और उस सिलेक्ट कमेटी में जो मेम्बर थे वे नीचे के लोगों से सारी बातों की जानकारी नहीं कर पाये और न ऊपर के सब लोगों से जानकारी की।

श्री गिरधारीलाल व्यास (प्रासीन्द) : ये नीचे-ऊपर के लोग क्या है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : नीचे का मतलब यह है कि जो छोटे लोग हैं, जो इस बिजनेस को करने वाले लोग हैं या बड़े पैसे वाले लोग हैं उनसे जानकारी नहीं की। इसलिए मैं बोला। इस बिल के बारे में उन लोगों से कोई जानकारी नहीं ली। विधान सभा में कोई बिल आवे तो सम्बन्धित लोगों से जानकारी लेनी चाहिये। मैं भी एक-दो सिलेक्ट कमेटियां में रहा हूं; पूरी जानकारी करके इस बिल को इस हाउस में लाना चाहिये था कि इस बिल में क्या खराबियां हैं, क्या तकलीफें पैदा होंगी, क्या परेशानियां होंगी और क्या-क्या दिक्कतें होंगी। इस विधान सभा में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके लिए मैं इस बात के लिये दावा करता हूं कि जितने असेम्बली में कानून बनाये गये हैं क्या उन सब कानूनों का विधान सभा के मेम्बर पालन करते हैं? उन सब

Page No 67

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कानूनों का एक आदमी भी पालन नहीं करता है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बराबर करते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : न पार्लियामेंट के मेम्बर करते हैं, न विधान सभाओं के मेम्बर करते हैं।

श्री सभापति : That is a very serious allegation. ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं करने हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं सही बात कहता हूं।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोई भी मेम्बर पालन नहीं करता, कोई न कोई कानून में गल्ती करता है, कोई न कोई चीज में करता है। मैं नहीं कहता....

एक माननीय सदस्य : आप अपनी बात कहिये। दूसरे मेम्बरों की क्यों कहते हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं सबकी बात कहता हूं। मैं अपनी भी कहता हूं। मैं नहीं कहता कि मैं गलती नहीं करता....

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए आज जो बिल आया है, इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजना चाहिये था क्योंकि यह बिल ऐसा है कि कोई स्त्री है, जो विधवा स्त्री है, कोई गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला आदमी है, कोई बीच की श्रेणी का आदमी है सबको इस मनीलेंडर की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि इसके बिना काम नहीं चलता। आज जितने भी हिन्दुस्तान के अन्दर लोग रहते हैं और हिन्दुस्तान के बाहर के देशों के अन्दर लोग रहते हैं उन सबके अन्दर पैसे का लालच जरूर रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनको पांच हजार मिलते हैं या दो हजार मिलते हैं, उनकी यह मंशा नहीं है कि मेरे को पांच हजार रुपये न मिलें। रूस जैसी कन्ट्री के अन्दर भी मैंने देखा कि वहां के लोगों की भावना यह रहती है, यह विचार है लोगों का कि अगर किसी को दो हजार रुपये मिलते हैं तो वह चाहता है कि मुझे चार हजार रुपये मिलें....

एक माननीय सदस्य : लालच होगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : लालच तो है ही। तो आज पैसे की दृष्टि से, जो पैसा नहीं चाहता, मुझे मेरे दोस्त चुन कर एक भी ऐसा आदमी बता दें। हिन्दुस्तान का एक ही आदमी था जो मर गया जिसको पैसे का ख्याल नहीं था। परन्तु आज दूसरे कन्ट्रीज के अन्दर, रूस जैसे कन्ट्री के अन्दर भी मैंने लोगों से बात की, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से बात की, जो लोग इण्डस्ट्रीज चलाते हैं उनसे भी

Page No 68

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बात की—उन सबको भी पैसे का ख्याल जरूर है, उनकी भी इच्छा है कि हमको ज्यादा पैसा मिले, हम ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकें, ज्यादा खुशहाल बन सकें और ज्यादा ऐशोआराम से रह सकें। वहां भी यही चीज है। वहां भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : वे ब्याज से नहीं कमाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जिसे पैसे का ख्याल नहीं हो।

श्री श्योपतसिंह : वे ब्याज से नहीं कमाते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो ब्याज कमाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनो यार। मेरा बाप ब्याज जरूर खाता था, मैं तो साफ बात कहता हूं।

तो यह बात जरूर है कि उस कन्ट्री में भी लोन की पद्धति है, यह मैं कहता हूं, परन्तु वहां सरकार से लोन लेना चाहते हैं। और प्राइवेट लोन की पद्धति है वह हिन्दुस्तान के अलावा दूसरी कन्ट्रीज में, खास तौर से रूस की मैं बताता हूं कि प्राइवेट लोन की पद्धति वहां नहीं है....

श्री सभापति : रूस की बात समझाने की क्यों तकलीफ करते हैं? इस बिल पर बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बिल पर बोलता हूं, वैसे सब बातें बिल पर ही बोल रहा हूं।

ऐसी बात है कि बिल के अन्दर जो लाइसेन्स पद्धति रखी है, मैं समझता हूं कि उस आदमी के लिए ही लाइसेंस लेना जरूरी रखना चाहिए जो करीब पचास हजार का लेन-देन करता है। पचास हजार को आप मिनिमम रखेंगे, उसको ही लाइसेंस देंगे और वही हिसाब सरकार के सामने पेश करेगा और वही सरकार को हिसाब बता सकेगा और वह इसके लिए मुनीम रखेगा। और जो आज बीस हजार रुपये का लेन-देन करता है, पन्द्रह हजार का लेन-देन करता है, दस हजार रुपये का लेन-देन करता है उसको इसमें नहीं रखना चाहिये क्योंकि आज इतनी तेजी के साथ में ब्याज की दर कम हो गई है। मेरा बाप दो रुपया सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज लेता था। मैंने तो धन्धा छोड़ दिया है लेकिन मैं सही बात कहता हूं कि गांवों के अन्दर काश्तकार लोग बनियों से रुपया लेते हैं बारह आना सैंकड़ा, एक रुपया सैंकड़ा के हिसाब से। तो आज ब्याज की दर कम होती जा रही है और ब्याज के लिए एक्ट में रख दिया कि ब्याज की दर यह होगी। यह जरूर होना चाहिये कि पचास हजार से नीचे जो लेन-देन करते हैं उन पर यह लागू नहीं होगा...

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : ऐसा आपको बताया है क्या किसी ने कि इस तरह से बोलना है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे को कोई क्या बतायेगा? मैंने अपनी जिन्दगी बोलते-

Page No 69

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बोलते खो दी । मैं उस समय से बोलता हूं जब आप दुनियां में आये नहीं थे और तब तक बोलूंगा जब तक आप दुनिया से चले जायेंगे ।

श्री सभापति : आप भाषण दें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बीच बीच में बोलते हैं । आप कन्ट्रोल नहीं करते हैं ।

श्री सभापति : देखिये, दो मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट बोलूंगा ।

श्री सभापति : दो मिनट तो आपने व्यर्थ नष्ट कर दिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक तो यह बात होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि लाइसेन्स जो एक डिस्ट्रिक्ट का रखा है वह राजस्थान भर का लाइसेंस होना चाहिए और जो लाइसेंस फीस है वह आप भले ही ज्यादा करदें, मुझे उसके लिए एतराज नहीं है । मैं नहीं कहता कि लाइसेंस फीस जो है वह कम रखें । अगर आप लाइसेन्स फीस ज्यादा रखेंगे और राजस्थान भर का लाइसेंस देंगे तो आपको बराबर हिसाब पड़ जायगा । जो पचास हजार से कम के लिए रखने से जो नुकसान होगा वह बराबर हिसाब हो जायगा, न कि कम रुपया आयेगा । इसके साथ ही जो लाइसेंस देने का अधिकार जिस आदमी को देना चाहिए वह एस. डी. ओ. को देना चाहिए । इसके अन्दर जो छोटे छोटे व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए प्रोवीजन रखा है वह रजिस्ट्रार के लिए किया है । इसमें बड़ी परेशानियां और दिक्कतें होंगी । कई लाइसेंस इस तरह के होते है जिनसे कि आज लोगों को परेशानी होती है और जितना पैसा वे कमाते नहीं है उतना पैसा वे खर्च करते हैं । यह ठीक है कि हम कोआॅपरेटिव सोसाइटीज् के जरिये लोन देते हैं, आपकी इस बात को मैं मानता हूं कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज् से लोन मिलता है । परन्तु कोआॅपरेटिव से लोन मिलने के बाद, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि जो कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट से जिस तरीके से लोन दिया है उसी तरीके से वह वापिस वसूल नहीं हो । वह लोन वापिस वसूल हो सरकार द्वारा, मैं यह मान कर चलता हूं, मैं हाउस को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का पैसा और अपना पैसा मैं एक समझता हूं और उसको जब तक एक नहीं समझा जायेगा तब तक यह बात उचित नहीं है । तो मेरा आपसे यह कहना है कि आज कोआॅपरेटिव सोसाइटीज् से जो लोन दिया जाता है वह लोन जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से वापिस आना चाहिए और उस पैसे को दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए । परन्तु वह वापिस नहीं आता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसलिए जो गरीब हैं, गरीब किसान हैं उनको लोन नहीं मिलता है । इसलिए माननीय सभापति महोदय, कोआॅपरेटिव का जो सिस्टम है उसको....

Page No 70

श्री सभापति : उसको ठीक करना चाहिए। श्री गंगासिंह परिहार।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौनी) : सभापति महोदय, साहूकार विधेयक के संबंध में जो अभी तक साथियों के विचार आये हैं वे आपके सामने हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साहूकार विधेयक का नाम किस तरह से रखा जाय, किस तरह से पलटा जाय, इसका मैं आगे जाकर जिक्र करूंगा। इस विधेयक के सम्बन्ध में आपके सामने यह कहूंगा कि जिस तरह से यह रखा गया है साहूकार विधेयक और इसके अन्दर कोई लिमिट नहीं रखी गई है, जिस तरह किसानों के लिए लिमिट रखी गई है कि वह छत्तीस सौ से अधिक नहीं कमा सके, जिस तरह से इन्कम टैक्स लगाने के लिए लिमिट रखी गई है—इस तरह से कोई लिमिट लेन-देन के लिए नहीं रखी गई है कि कितने हजार का लेन-देन करे, तो लाइसेन्स लेना पड़ेगा; ५०) रु० का लेन-देन करे, १००)रु० का लेन-देन करे, ५ हजार का लेन-देन करे, बीस हजार का लेन-देन करे तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा? मेरा निवेदन करना है कि अक्सर देहातों के अन्दर किसान लोग आपस में रकम लेते-देते हैं। जैसा कि अभी कई साथियों ने आपके सामने विचार रखे हैं, इसी तरह मैं निवेदन करूंगा कि देहातों के अन्दर जिस तरह से किसान मजदूरों में सीरी होते हैं उसी तरह से किसानों के भी सीरी होते हैं और किसानों में सीरी को खाने-पीने के लिए, पहिनने के लिए और शादी-विवाह के लिए या किसी और काम के लिए जरूरत हो तो वे आपस में लेन-देन करते हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों को, जो किसान मजदूर है, उन गरीबों को इस बिल के अनुसार लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। इस तरह से मैं अर्ज करूं कि वे लोग आपस में बराबर अनाज लेते देते रहते हैं। वे लोग फसल के समय बाड़ी से अथवा बिना बाड़ी लेते-देते हैं और यों भी आपस में सवाई बाड़ी के हिसाब से फसल पर अनाज बीज के लिए लेते-देते हैं और जिस समय अपनी फसल तयार होती है तो वापिस दे देते हैं। वास्तव में उनको भी क्या इस प्रकार के लेन देन में इस बिल द्वारा कोई लाइसेंस लेना होगा, यह बात स्पष्ट नहीं है।

इसके अलावा बहुत से हमारे भाई जो फौज में हैं और उनके खेत हैं और देहात के हमारे हजारों आदमी देश की रक्षा के लिये वहां पड़े हुए हैं जिनकी औरतों के पास मनीआर्डर आते हैं और वे उस रकम को किसी के पास रखती हैं। वे औरतें किसी बाहरे पास रकम रखती हैं और जमा करा देती हैं। अगर इस प्रकार से कोई लेन देन होता है और जमा खर्च होता है इसका मतलब यह होगा कि इसके लिए भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि करीब करीब ५ हजार तक की लेन-देन करने वाले काश्तकार या छोटे मोटे व्यापारियों के लिए यह प्रावधान अवश्य रखा जाने कि उनको लाइसेंस नहीं लेना पड़े। इसके साथ साथ यह भी बात आती है कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार द्वारा ये लाइसेंस दिये जावें। मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कत पैदा होगी और मेरा यह सुझाव है कि जो न्याय पंचायतें हैं तथा और पंचायतें

(श्री मंगलसिंह परिहार)

हैं उनके द्वारा ही लाइसेन्स देने का प्रावधान रखा जावे जिससे इनयाय पंचायतों और पंचायतों की आमदनी भी बढ़ सके और दूसरे लोगों की दिक्कत भी दूर हो सकती है।

(विद्युत प्रकाश महत्व)

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस नियम में अवश्य हेर-फेर लानी चाहिये वे अवश्य लाई जावें। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि इसका जो नाम रखा गया है वह गलत रखा गया है और इसके सम्बन्ध में यह बड़ी दुखभरी बात याद आती है, एक किसान की आत्मा पुकार करती है कि इस बिल को साहूकारी बिल नहीं कहा जाना चाहिये। इसके लिये मुझे किसानों की एक कहावत याद आ गई:—

"दिन धोले धाड़ा पड़े हारे भाइयों !
चाले चोर बाजार।
भरे तिजोरी पाप की औ लूटे साहूकार।"

यदि इस बिल को साहूकार बिल कहा जा सकता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह साहूकारी बिल नहीं कहा जा सकता है, इसलिये इसका दूसरा नाम परिवर्तन किया जावे। मैं यह कहूंगा कि इसको चोर बिल कहा जावे तो अच्छा होगा। एक कहावत पहले कही गई उसको फिर क्यों याद करें? हमने आज कल पुरानी बातें छोड़ दी हैं। फिर हम उल्टी रीत क्यों चलें।

पुरानी कहावत है :—

"जगत को भगतन कहे,
कहे चोर को शाह।
निरधन को धनपाल कहे,
यह देश की उल्टी राह।।"

हमारी सरकार तो सही रास्ते पर चलने वाली है इसलिये मैं हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल के नाम को भी बदल दिया जाए और इसका कोई दूसरा नाम रखा जावे।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा सा अर्ज करना रह गया है कि पहले से ही ब्याज की रकम अधिक रखी है। मगर यह साहूकार ब्याज की रकम को पहले मूल रकम में मिला लेता है। १।।) रु० सैकड़ा या दो रुपया सैकड़ा फिर अलग लेता है। इसके अलावा मुनाफा भी अलग लेता है और वह मूल रकम में शामिल करके उस गरीब सान को पूरी मूल रकम बताता है।

इसके अलावा विवाह और शादियों में रुपये लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर एक अन्नो रुपया वसर का लिया जाता है। इतना ही नहीं एक अन्नी रुपया बोहरे के नाम से अलग लिया जाता है। इसलिये इसमें जो रकम लिमिट रखी जावे उसमें यह अवश्य ध्यान रखा जावे और विचार करें कि एक किसान की आत्मा किस प्रकार से पुकार कर रही है :—

"अब मत लूटो रे म्हारा भाई,
घूम मत बोहो होय्यो।

(श्री गंगासिंह परिहार)

खा खा साऊं जोजरू,
धरती हांका रे।
प्राव्या लगा पेट के,
धन्धा करता कभो न थाकोरे।
अब मत लूटो रे म्हारा भाई,
खून मत लोहो होग्यो।"

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जरा सी देर में खत्म कर रहा हूं।

किसानों की आत्मा पुकार करती है इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं—

"सी सी करता स्यालो काढो,
फरो उगाड़ा रे।
उनाला में फिरो उबाना,
कोरा हाडों रे।
अब मत लूटो रे म्हारा भाई,
खून मत लोहो होग्यो रे।
लु में करो खरार झुलकसो,
काया सीजे रे।
आसोजा का तपे तावड़ा,
करो कमायो रे।
अब मत लूटो रे म्हारा भाई,
खून मत लोहो होग्यो रे।"

इसलिये मैं उन वकील साहबानों से जो इसकी ढींग मारते हैं कि वे किसानों के शुभ चिन्तक हैं, कहूंगा कि वे जिस समय खेतों में काम करते हैं उस समय उनकी हालत को जाकर देखें कि किस ढंग से किसान कमाता है, किस तरह से खाता है। तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में किसानों की क्या हालत है? आज आप इस बात की ढींग मारते हैं कि हमें किसानों के प्रति हमदर्दी है, हम किसानों के बड़े भारी सहयोगी हैं।

हमारी सरकार यह बिल इन सूद खोरों के लिये लाती है जो हमारे गरीब किसानों का खून चूंस चूंस कर बड़े हो रहे हैं। यह किसानों की आत्मा जानती है। वे कहते हैं:—

"मांका दुख तो पार न पावे,
और कहता आवे लाज।
मन मसोस कोरी छाती भरा,
जगत का काज।
अब तो मत लूटो रे म्हारा भाई,
खून मत लोहो होग्यो रे।"

किसानों ने अपनी फरियाद भी की, लेकिन उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी:—

"करो कहीं फरियाद सुने न कोई रे
फिरो भटकतो ठाम ठाम,
सगलो पत खोइरे।
अब तो मत लूटो रे म्हारा भाई,
खून मत लोहो होग्यो रे।"

सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाया जावे और यह ख्याल जरूर रखा जावे कि यह बिल लाया गया है इसके साथ साथ पूंजीपतियों के मकान व कम्पनियों पर भी यह सीलिंग लाया जावे। इतना कहते हुए मैं इसका समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, सदन में आज दो दिन से

(श्री अब्दुलजब्बार)

मनीलेंडर्स बिल पर वाद-विवाद किया जा रहा है। वास्तव में जिस विचार-धारा के साथ यह बिल लाया गया है कि साहूकारों को नियमित रूप से हिसाब रखना और लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके साथ साथ कर्जा लेने वाले भी इस बात से आगाह रहें कि उनको इस बिल से कोई राहत नहीं मिलेगी। इस बिल के द्वारा मैं यह कहूंगा कि किस तरह से वे कर्ज से बच सकते हैं। मैं इस बात को बहुत जोर के साथ कह सकता हूं कि हकीकत में इस बिल के द्वारा आप कर्जा लेने वाले को महफूज रख सकेंगे और उनके (सूद खोरों) के चंगुल से बचा लेंगे तो यह बिल मैं समझूंगा कि कारगर होगा। मगर आप इस बिल से उनको बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का तजुर्बा है। यह एक्ट मध्य प्रदेश में बहुत पहले से रायज है, उसके अनुसार वहां काम चल रहा है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहूंगा कि इस बिल में सबसे ज्यादा कमी है वह पूरी की जानी चाहिये और यह कि कर्जा देने वाला और कर्जा लेने वाला दोनों ही ओथ कमिश्नर की हैसियत के अधिकारी के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करावें। इस प्रकार का प्रोविजन रखें ताकि आसानी के साथ में वह जो बेई-मानी का अन्देशा माननीय सदस्यों ने बताया कि एक पैर का अंगूठा और दूसरा हाथ का अंगूठा करके अदालत में दो दावे कर देता है वह मिट जाएगा। कई बार अदालतों में ऐसा हुआ है और थम्ब इम्प्रेशन के एक्सपर्ट को अदालत को बुलाना पड़ता है और केस गलत साबित हुए हैं। ऐसे मामले कम हो जावेंगे। एक आध व्यक्ति हो सकता है जो मर सकता है अन्यथा गरीब किसानों को इससे बहुत नुकसान होता है, यह मिट सकता है। इसलिये इसमें इस प्रकार का प्रोविजन जरूर होना चाहिये कि रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार की जो हैसियत रखता है उसके सामने कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों उसे रजिस्ट्रेशन करावें तो कांग्रेस सरकार यह कहती है कि हमने देश के ८० प्रतिशत गरीब किसानों और मजदूरों का भला किया है तो यह बात और भी कारगर हो सकती है। अगर इस प्रकार का प्रोवीजन रख दिया जावे तो हकीकत में किसानों का भला होगा, अन्यथा इस बिल के पास हो जाने के बाद भी कोई भला नहीं होगा और मैं माननीय उप-मंत्रीजी को, यदि वे उप-मन्त्री बने रहे और मैं भी विधान सभा में यहीं रहा तो बता दूंगा कि आपके इस एक्ट को पास करने के बाद भी यह बिल काम करने वाला नहीं है। कितने केसेज हुंगे, यह मैं आपको बता दूंगा क्योंकि जब तक लेन-देन पर इस प्रकार एक्ट बना कर रोक लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिये तो केवल एकमात्र रास्ता यही है कि ओथ कमिश्नर या और कोई अधिकारी जिसको सरकार मुकर्रर करे उसके सामने कर्जा देने वाला और कर्जा लेने वाला-दोनों ही उस कमिश्नर के पास जाकर उस डीड को रजिस्टर करवा लें ताकि किसान की बर्बादी और तबाही न हो और अगर आप यही चाहते हैं कि किसान की बरबादी और तबाही न हो और साहूकार की बुरी नजर उस पर नहीं पड़े तो आपको यह तरीका अपनाना होगा और यह जो रास्ता आप अपनायेंगे तो वह एक प्रकार का

(श्री अब्दुलजब्बार)

रिवोल्यूशनरी तरीका और रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा जो किसी भी दूसरी जगह पर नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने बहुत से कामों में यहां पहल की है तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस काम में भी पहल करे और जो मैंने सुझाव दिया है उसको रखे, ताकि लेन-देन के जो दस्तावेज हैं वे सही तरीके से लिखे जावें और आसानी के साथ यह मालूम हो सके कि कितना रुपया काश्तकार ने साहूकार से कर्ज लिया है।

इससे आसानी के साथ मालूम हो सकेगा कि लोन लेने के लिए कागज ले जा रहा है और जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, दस्तखत कराये जाते है सेलिंग रजिस्टर पर, अकाउन्ट रजिस्टर पर तो वह अदालत में जायगा तो पता चलेगा कि हकीकत में यह वही व्यक्ति है। तो इसमें यह प्रोविजन रखना चाहिये कि जो कर्ज ले वही दस्तावेज खरीदे ताकि कोई फर्जी दस्तावेज नहीं बना सके।

इसके साथ ही साथ इसमें यह है कि कई कई मुकामों पर लेन-देन के लिये दूकानें खोली जा सकती हैं तो रेश्यो एकदम हाई या एकदम फाल नहीं होनी चाहिये, इस तरह का भी प्रावधान रखा जाना चाहिये। जैसे बुखार तेज हो तो १०५° तक पहुँच जाता है और फाल हो तो जीरो पोइंट पर आ जाय; इस तरह का रेश्यो इसमें नहीं होना चाहिये, ऐसा हिसाब-किताब रखा जाय कि जहां पैसा रखता है दस, बीस, पचास, सौ का फर्क नहीं होना चाहिये। तो रेश्यो एकदम फाल नहीं होना चाहिये। बिजनैस कहीं भी करता है, राजस्थान में करता है, ज्यादा छूट नहीं देकर पांच चार रुपये का रेश्यो में फर्क रख दिया जाय तो सरकार को भी आमदनी होगी; ज्यादा पैसा सरकार के खजाने में पहुंचेगा।

इसमें प्रोविजन है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने दावा करे वह इस बात का सर्टिफिकेट पेश करे कि उसने लाइसेंस ले लिया है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि इसमें इस प्रकार का प्रोविजन रखना चाहिये कि जो दावा करे वह साथ में उस दावे के साथ ही साथ अपना लाइसेंस नम्बर कोट करे, लाइसेंस लेने की तारीख कोट करे, ताकि अदालत को आसानी से मालूम हो जाय कि यह लाइसेंस होल्डर है, उसको बाद में टाइम देने के बजाय हम पहले ही कदम क्यों नहीं उठालें, क्या जरूरत है कि हम उसे ६ महीने का मौका दें। अभी प्रोविजन रख दें कि जो दावा किया जायगा उसमें लाइसेंस नम्बर व लाइसेंस इश्यू होने की तारीख जरूर लगाये।

वैसे हकीकत में बिल बड़ा अच्छा है, कर्ज देने वाला कर्ज लेने वाले के खून को नहीं चूसे, उसके मकान, कूएँ और जमीन पर गिद्ध की नजर न लगाये, इन सबको वह हड़प न जाय, जरासी बेईमानी करे तो उसको मालूम रहे, हर समय यह महसूस होता रहे कि उसके सिर पर तलवार लटकी हुई है और वह भी पतले धागे में बंधी हुई तलवार लटक रही है, जरा भी बेईमानी की कि उसके सिर पर करारी चोट करेगी। इस धारणा के साथ कानून बनायें तो कोई गैर कानूनी चीज नहीं हो सकेगी। इन्हीं शब्दों

(श्री अब्दुलजब्बार)

के साथ में निवेदन करूंगा कि इसमें जितनी खामियां हैं, उनको दूर किया जाय।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा। आप अपनी बात संक्षेप में ही रखें, यह अन्तिम भाषण होगा, इसके बाद में सरकार की ओर से जवाब होगा। आप ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आखिर सभापति महोदय, मुझे भी अपनी बात अच्छी तरह रखने का मौका मिलना चाहिये।

श्री सभापति : ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने आया है, इसका नाम रखा गया है राजस्थान साहूकार विधेयक; अंग्रेजी में है "राजस्थान मनीलेंडर्स बिल।" सभापति महोदय, मनीलेंडर्स का अर्थ साहूकार नहीं होता, रुपया ऋण दिया करते हैं। ऋण देने के लिये ढाई रुपया लाइसेंस फीस होगी और ढाई रुपया रिन्यूअल फीस, यह फीस देने पर उसको लाइसेंस मिल गया साहूकारी का, पांच रुपये में कोई साहूकार नहीं बन सकता। ५ रुपया देकर कोई भी ऋण देने का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, तो उसको आप साहूकार नहीं कह सकते। आप इसको रुपया उधार देने वाला बिल, ऋण देने का बिल यह नाम दीजिये, साहूकार कैसे बना सकते हैं? जिसको आपने ऋण देने का लाइसेंस दिया वह अपने मकान पर, अपनी दूकान पर साइनबोर्ड लगायेगा साहूकार बिरदीचन्द, ढाई रुपये में, पांच रुपये में उसको आपने साहूकार बना दिया; साहूकारी इतनी सस्ती चीज नहीं कि ५ रुपये में मिल सके। यह तो आपने हिन्दी की हिन्दी कर डाली। तो सबसे पहले इसको सुधारा जाय। नहीं तो ५ रुपये देकर कोई भी लाइसेंस प्राप्त कर लेगा और गांव गांव में लोग बोर्ड लगायेंगे अपने घर पर, अपनी दूकान पर साहूकारी का। जिस तरह राय बहादुरी और खान बहादुरी के खिताब दिये जाते थे उसी तरह आप ढाई रुपये में, ५ रुपये में साहूकारी देना चाहते हैं, इसको आप बन्द करें। यह खिताब भी मिले तो राजस्थान विधान सभा से।

मैं इस साहूकार बनाने वाले बिल को पेश करने वाले मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि जिससे किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचता हो। किसान गांवों में रहते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, महाजन उन लोगों को पैसा देना एकदम बन्द कर देंगे, जिस दिन से इसको पास करके भेजेंगे, गांवों में किसानों को १० रुपये का सामान उधार मिलना बन्द हो जायगा और इस तरह उस हालत में किसानों को बड़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार अगर इतनी ताकत रखती हो कि किसानों की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। अगर इस तरह की चीज नहीं है; सरकार के पास इतना रुपया नहीं है तो क्या जरूरत है कि सरकार इस तरह का बिल लाकर गांवों में एक अजाब खड़ा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कर दे ? खेती के टाइम पर किसान जायगा साहूकार के पास पैसा लेने के लिये तो वह कहेगा कि इस तरह का बिल आ गया है; मैं तुझे ऋण नहीं दूंगा, सोना चांदी का जेवर रख जा और पैसे ले जा; ६ महीने के अन्दर मेरा रुपया नहीं दिया तो तेरा सारा जेवर हजम, कोई लिखा-पढ़ी नहीं। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये किसान को मजबूर होकर बिना किसी लिखा-पढ़ी के जेवर रख कर कर्ज लेना पड़ेगा। और इस तरह उसकी गाय, भैंस, बैल, मकान, जमीन जायदाद सब कुछ जाने वाला है। किसान की इज्जत इससे बचने वाली नहीं है, यह तो किसान की इज्जत को लेकर, उनका सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी, बैल कुछ भी किसान के पास नहीं बचेगा। यह गलत स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट ने उठाया तो।

आपने इसके साथ ही साथ एक रुपये की भी छूट नहीं रखी है, कई मिनिस्टरी मेन रिटायर होने पर, विधवायें अपने बच्चों को पालने के लिये बचा कर रखा गया कुछ पैसा उधार देती हैं और यदि वे आपके कायदे के अन्दर चलती हैं तो इनको छूट होनी चाहिये। मैं ब्याज खोरी के विरुद्ध हूं, मैं खुद और मेरे कुटुम्ब के लोग ब्याज को घृणित से घृणित चीज समझते हैं, मेरा बस चले तो मैं इसको एक दिन मे बंद कर दूं, पर इसे बन्द करने से देश में झगड़ा खड़ा हो जायगा, लोगों का काम रुक जायगा।

आपके पास पैसा नहीं, कोआपरेटिव सोसाइटीज को पैसा बांटते हैं वह वसूल नहीं होता, इन्सपेक्टर जाते हैं, आपमें हिम्मत हो तो चलिये मेरे साथ, मैं बताऊं आपको, लोग कहते हैं कि इन्सपेक्टर आया है, इसे साढ़े तीन परसेंट दे दो तो अगले छः महीने और टल जायेंगे, इस तरह वसूली को रोका जाता है, आपके बैंक में पैसा नहीं आता। और वह भी क्या आपने छः-छः, सात-सात, रुपया दे रखा है, राजस्थान में आज १५० करोड़ रुपये की जरूरत है, वह आप नहीं दे सकते। वैसे यह देखने में बड़ा अच्छा दिखता है कि आप ब्याज को बिलकुल बन्द कर देना चाहते हैं; किन्तु जब ब्याज बिलकुल बंद करना देना चाहते हैं तो जब गरीब किसानों की जरूरत पूरी हो जायगी तब बंद होगा। बातों से बन्द नहीं होगा।

इसके बाद मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि साल भर में यदि ५,००० की छूट हो जाय तो गांव के छोटे-छोटे किसानों का थोड़ा थोड़ा काम तो निकल जाय, नहीं तो नहीं निकलेगा।

अब सवाल आ जाता है पुलिस के पकड़ने का उन लोगों को, जिनका जिक्र क्लॉज ४० में किया गया है। आंध्र में क्या हुआ है ? वहां भी मनीलेंडर्स बिल है। गरीबों के पास कोई चीज नहीं रह गई। वहां साहूकार कहे जाने वाले लोगों ने हर चीज हजम करली। कोई पैसा उधार नहीं देता। बम्बई की नकल भी इस बिल में की गई है, लेकिन उन्होंने भी क्लॉज ४० नहीं रखा है। अगर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कोई गलती करता है तो उसके लिए क्लॉज़ १८ में आ जाता है। अगर आप में हिम्मत है तो आप किसानों की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें यदि आपके पास पैसा है। इस वक्त कोई उधार लेता है तो पता नहीं चलता। लेकिन जब यह मालूम पड़ जायगा कि मैंने इतने पैसे फलाने आदमी से उधार लिए हैं तो जो सामाजिक रीतियां हैं, उनके अनुसार उसकी बहुत बदनामी होती है, बच्चों की शादी में भी अड़चन पड़ जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा कहना तो यही है कि जितनी क्षमता आप में है उतना ही कीजिए। तो जैसे मैंने कहा यह "साहूकार" शब्द निकाल दीजिए, उसकी जगह उधार देने वाला होना चाहिए। क्लॉज़ ४० बिल्कुल हटा देना चाहिए। उसके बाद ५,००० तक की साल भर में छूट होनी चाहिए, अगर १ परसेंट ब्याज है तो ५० रुपये एक माह में ज्यादा नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी दस आने में देता है। कितनी दफा लोन जाता है, कितनी दफा लोन आता है। इस तरह से कोई ४० या ५० रुपये माहवार कमा लेता है तो उसको मुश्किल में मत डालिए। अगर आप में क्षमता नहीं है तो लोगों में विरोध मत फैलाइये। ये लोग यहां तो कहते हैं कि किसानों को लाभ होगा और काश्तकारों से कहेंगे कि सरकार ५ रुपये भी उधार नहीं दिलाएगी। तो काश्तकारों के हक में जितना चाहता है, वह हो नहीं पाता है।

तो अंत में फिर मैं कहता हूं कि क्लॉज़ ४० को और साहूकार के नाम को हटा देना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्यों के उठने पर)

श्री सभापति : गवर्नमेंट जवाब देगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Point of order.........

श्री सभापति : कोई पोइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। थर्ड रीडिंग पर बोलियेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय सभापतिजी, राजस्थान मनी-लेन्डर्स बिल, १९६३ के संबंध में दो तरह के प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संबंध में आया और दूसरा प्रस्ताव जनता की राय जानने हेतु प्रसारित करने के संबंध में आया। मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं कि एक तरफ इस बिल के संबंध में सरकार के प्रति यह आक्षेप किया जाता है कि यह बिल सरकार ने लगभग १३ वर्षों के बाद प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्था की और दूसरी तरफ जब सरकार यह चाहती है कि यह बिल जल्दी पारित किया जाय तो इसमें इस प्रकार के प्रस्ताव रख कर देरी डालने का प्रयत्न किया जाता है।

जहां तक इस बिल की तवारीख है, यह बिल १९५९ में राजस्थान असेम्बली में पेश किया गया था। सिलेक्ट कमेटी में वह रेफर हुआ था, लेकिन पारित होने से पहले ही असेम्बली भंग हो गई, इस वजह से यह लेप्स हो गया। इसी प्रकार से दूसरी बार यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रस्तुत हुआ था लेकिन दूसरी बार भी यह पास नहीं हो सका।

तीसरी बार प्रस्तुत किए जाने पर फिर यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया और सिलेक्ट कमेटी ने इतने वर्षों की देरी के आधार पर राजस्थान और हिन्दुस्तान में आज तक क्या परिवर्तन हुए हैं, नियमों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए, बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करके यह बिल सदन के समक्ष रखा और उसके ऊपर भी दुबारा प्रवर समिति को सुपुर्द करना या जनता की राय के लिए इसको भेजना, मेरे खयाल से अनावश्यक है। इसी कारण मैं उस बात का विरोध करता हूं और विरोध इसलिए भी करता हूं कि जितने इसमें प्रावधान हैं, उस संबंध में पहले भी और अब भी काफी चर्चा................

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Point of clarification; I would like to know from the Hon'ble Deputy Minister he was the Chairman of the Select Committee, the Bill has come out of the select Committee and now he has made an amendment...

श्री सभापति : That has already been examined. The Government can move.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Let me express myself, Sir, I mean to say, that the Bill had gone to the Select Committee and he was himself the Chairman of the Select Committee, The Select Committee has given its report and now by his amendment a fundamental change is being made. It must be considered very seriously. It must again go to the Select committee because the whole law has been changed by one amendment, that you will select yourself the places, you will leave Udaipur, bring it in Kota and...

(व्यवधान)

I want a clarification on this.

श्री सभापति : वह अमेंडमेंट अभी मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I want...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Amendment has been moved.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Point of, order Sir, I want to raise another point of order. मंत्री महोदय बिल की बहस का उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं। जो बिल ओरिजिनली सदन के समक्ष बहस के लिए था उसमें मन्त्री महोदय ने स्वयं अमेंडमेंट पेश करके, उसमें एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया। इस समय अभी वह अमेंडमेंट हाउस में डिस्कस नहीं होता। अभी भी यह नहीं मालूम कि हाउस उस अमेंडमेंट को मन्जूर करेगा। यह हाउस उस अमेंडमेंट को मन्जूर नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मन्त्री महोदय ने उस अमेंडमेंट को पेश किया है इसका मतलब

Page No 79

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह है कि जो हाउस में ओरीजिनल बिल अन्डर डिस्कशन है, जो कि सिलेक्ट कमेटी ने पेश किया है उस बिल के समर्थन में मंत्री महोदय खुद नहीं रहे हैं और इसलिए मन्त्री महोदय को उस बिल के ऊपर इस बहस का जवाब देने का अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : अभी वह अमेंडमेंट मूव हुआ नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I have raised a point of clarification.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्व) : I shall clarify the position, Sir, when it comes. माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्री महोदय इस बिल का एज् ओरीजिनली सिलेक्ट कमेटी से आया था उसको मानकर उत्तर दे रहे हैं या अपने अमेंडमेंट के साथ चैन्ज्ड व्यूज् के साथ उत्तर दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको बहस का उत्तर सुनने से स्वयम् पता लग जायगा। पहले आप इसको सुन लीजिए। आपको पता लग जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, on a point of order, Sir, वक्तव्य यह प्राइज् हो जाता है कि उप-मन्त्री एक इन्ट्रेस्टेड पार्टी हो जाते हैं इस अमेंडमेंट के आने से, इसलिए आपका इसमें पहले रूलिंग होना चाहिये।

श्री सभापति : I have already given my ruling.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इन्ट्रेस्टेड पार्टी हो जाते हैं।

श्री सभापति : Order please!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इस पर रूलिंग दीजिए, डिसीजन दी जाए। उप-मन्त्री जो अमेंडमेंट इस बिल में लाने वाले हैं उनसे इस बिल को एक दम कलुषित और मार्जिन कर दिया है: उनको क्या अधिकार रह जाता है उत्तर देने का। फॉर्मली सम्यता, शराफत और इन्सानियत के नाते उनको उत्तर नहीं देना चाहिये।

श्री सभापति : You have stated the point of order. That will do. I say the amendment has not yet been moved and he has every right to make a reply.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमैन, वैसे मैं इस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूं। कानून में ऐसी कोई बाधा नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कुछ सिलेक्ट कमेटी की तरफ से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, चेन्ज करना चाहे तो रोक नहीं है और इसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट है। यह एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

Page No 80

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट मैं अभी मूव करूंगा लेकिन जिनको मैंने सबमिट किया है, सदन की बहस के आधार पर और जन-मानस को जानकर प्रस्तुत किये हैं, उसमें कानूनी बाधा कोई नहीं है। उसके असली क्या माने हैं यह मैं समय आने पर समझाऊंगा; लेकिन लीगल स्थिति का जहां तक सम्बन्ध है उसमें कोई अड़चन नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने स्वतन्त्र पार्टी का जन-मानस ले लिया है।

श्री मानसिंह महार (पामेर) : उनको हटा दोजिये, जरा ताकत रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मौका आये तो आपको भी हटा देंगे।

श्री सभापति : That would be enough.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतनी ताकत रखते हैं तो वह दिन दूर नहीं है।

श्री सभापति : I said, that was enough.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में रखे हुए दोनों प्रस्तावों का इसलिए विरोध करता हूं।

अब सवाल यह रह जाता है कि जो दूसरे मुद्दे सदन में रखे गये हैं उनकी नौबत किस प्रकार है ? कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह देरी से लाया गया, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, कई माननीय सदस्यों ने आशंकायें पैदा कीं कि इस बिल के आ जाने से देश में, राजस्थान के अन्दर, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जायगी और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी।

मैं इसकी हिस्ट्री निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में और राजस्थान में जैसा कि हम जानते हैं ८० प्रतिशत किसान हैं और वे लोग खेती करते हैं, खेती के फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ हैं, छोटे २ टुकड़े हैं, उनके कारण उनका जीवन इतना ऊंचा नहीं उठ पाया है कि वे बिना उधार लाये काम चला सकें। उन्हें आम तौर पर उधार लेने की आवश्यकता होती है; यह माना जा सकता है। उनकी आवश्यकताओं को मीट करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब तक क्या किया गया है, यह देखने की बात है। इतने वर्षों तक हमने देखा कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, सहकारी बैंक डेवलप हुए और सरकार ने भी ऋण देने की व्यवस्था की। इन तीनों एजेन्सियों के डेवलप होने पर भी जो आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकतायें हैं किसान की या अन्य जो कोई व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के अभावों से प्रभावित होते हैं, फिर भी उनकी आवश्यकतायें इन तीन जरियों के होते हुए

Page No 81

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

भी पूरी नहीं होती हैं। रूरल क्रेडिट की दृष्टि से ये मनी लैंडर्स अपना एक इम्पोर्टेन्ट स्थान रखते हैं। मनी लैंडर्स चाहे ब्याज ज्यादा लेते हों लेकिन स्पोट फाइनेन्स की स्थिति से, इमीजियेट और प्रोम्प्ट आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसमें यह एक निश्चित गुण होने के कारण बहुत सारे लोग रुपया उधार लेने की कोशिश करते हैं, रुपया उधार लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। यहां तक कि जब गरीबी बढ़ रही है, सरकार अपनी जरियों से...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप भी स्वीकार करते हैं कि गरीबी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गरीबी तो है ही। धन और ऋण की आवश्यकता है। सरकार ने अपने जरियों से उनकी पूर्ति की कोशिश की है फिर भी कोई कितना ही चाहे ऋण की आवश्यकता एक वर्ष, दो वर्ष, दस वर्ष या बीस वर्ष में समाप्त हो जायगी, यह मान कर नहीं चल सके। जब तक हमारे यहां फ्रेग्मेन्टेशन आॅफ होल्डिंग्ज् है, कल यह स्थिति आ जाय, तत्काल में मैं यह अनुभव नहीं करता, लेकिन एक रूरल क्रेडिट की विलेज के अन्दर आवश्यकता है इसको हम इन्कार नहीं कर सकते। वह आदमी कई तरीके से काम करता है; रुपया उधार देना, कमीशन एजेन्ट और लैंड लोर्ड की तरह से वह काम करता है। ब्याज का भी फायदा उठाता है, लैंड लोर्ड की दृष्टि से वह जमीन की प्रोड्यूस का भी फायदा उठाता है, कमीशन एजेन्ट की तरफ से भी वह फायदा उठाता है। इसके ब्याज लेने के कई तरीके हैं लेकिन हिसाब किताब रखने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। जैसी उसकी इच्छा होती है उसी तरह से वह रखता है। ब्याज की दर भी मुकर्रर नहीं है। कोई उस हिसाब की स्क्रुटिनी या चेक नहीं है। जिसको चाहे देना, जिस तरीके से देना चाहे उसको उस तरह से वह देता है। ये स्थितियां ऐसी हैं जिनसे इस प्रथा में दोष और अवगुण आये हैं और ये इसलिए आये हैं कि कम रकम देकर ज्यादा रकम का प्रोमिसरी नोट लिखा लिया जाता है, नकदी न देकर काइन्ड में देकर केश में उसको लिया जाता है, रसीद न देकर उससे लिखा सकता है। ऐसी कई स्थितियां आयी हैं। जहां आम तौर पर लोग कर्ज लेते हैं तो पहले वाला कर्जा और सूद भी उसमें लिखा लिया जाता है। रेट आॅफ इन्ट्रेस्ट का भी इसमें सवाल आता है और धीरे २ ऐसी परिस्थितियां आयी हैं, फौरन कर्जा देने की वजह से बहुत सारी लैंड एग्रीकल्चरिस्ट के पास से नोन एग्रीकल्चरिस्ट्स के पास पहुंच गयी है। ये सिस्टम की खराबियां हैं, जिनको कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है। साथ ही मनीलैंडर्स को विलेज क्रेडिट की दृष्टि से समाप्त करना चाहें तो आज परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि उनको समाप्त कर सकें। समाप्त करने के आज इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके स्टेट लोन्स से, सहकारी लोन्स से।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बहस में यह बताया गया कि २५ प्रतिशत लोन कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है, कुछ परसेन्टेज् स्टेट लोन से मिल सकता है और कुछ दूसरे तरीके से। लेकिन ज्यादा परसेन्टेज् मनी लैंडर्स के जरिये से ही होता है। इसलिए हमारे सामने बड़ा प्रश्न है। हमारी प्रथा को, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। किसानों को इससे जो तकलीफ है उस तकलीफ से भी बचाना चाहते हैं, साथ साथ यह भी चाहते हैं कि किसान को तकलीफ न हो, इनके साथ साथ यह भी चाहते हैं कि रेगुलराइजेशन ऑफ एकाउन्ट्स हो, लाइसेन्स हो, एकाउन्ट्स की प्रोपर स्क्रुटिनी हो जिससे पता चले कि कम देकर ज्यादा रकम तो नहीं लिखवा ली है, रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट पर अंकुश हो, पीनल चार्जेज् हों उनकी कम्प्लायेन्स करें और कोई इसको डिफीट कराने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। यह हम कर दें और यह करने में हम सफल हो जाते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए ही यह बिल लाया गया है। मैं यह नहीं कहता कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है। मैं यह अवश्यक मानता हूं कि किसानों के हित की दृष्टि से, विलेज इकोनॉमी को डेवेलप करने की दृष्टि से, भूमि सुधार से, किसान से इसका ताल्लुक रहने वाला है और सुधारों की जो एक चेन है उसके साथ यह भी एक कड़ी है और वह आवश्यक भी है, आवश्यक इस लिए कि जनता जो इससे प्रभावित होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और पूर्ति करेगा रेगुलेटेड मैनर में, कन्ट्रोल्ड मैनर में और सब्जेक्ट टू दी स्क्रुटिनी ऑफ एकाउन्ट्स। इसीलिए उधार के दोषों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है।

(६.०० म० प०)

इनको स्ट्रोंगली हिट न करें इसका प्रयत्न किया गया है। इन दोनों प्रयत्नों में समन्वित लाने के लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

यह सवाल सामने था; डेट रिलीफ एक्ट और टीनेन्सी एक्ट की धारा ४३ में जो मोर्टगेज की व्यवस्था है, जिसके अनुसार दस वर्ष से ज्यादा हो जाय तो यह मान लिया जायगा कि मूल अदायगी रहन है वह वापिस असामी ले सकता है। जितनी रकम उधार दी गई वह अदा हो गई, यह धारा ४३ में प्रावधान किया गया है। टीनेन्सी एक्ट और डेट रिलीफ एक्ट के तहत रिलीफ देने की कोशिश की गई है। शायद गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया द्वारा यह एप्रूवाई किया हुआ है। साथ ही साथ डेट रिलीफ एक्ट में प्रावधान लागू किया गया। इन सब प्रावधानों के लागू होने के बावजूद जैसे जैसे जिस जिस एक्ट में, यों तो पर्टिक्युलर क्लास के लिये ऐसे प्रावधान हैं जो रिलीफ देना चाहते हैं मनी लैन्डर्स की एट्रोसीटिज्, हाई हैन्डेडनेस, इर्रेगुलेरिटीज से इन लोगों को। इस प्रकार इन एक्ट्स में इस प्रकार के प्रावधान तो है हीं इसके अलावा सब लोगों को इसका लाभ मिल जाय, वे अलग अलग एक्ट थे उनसे कुछ क्लास के लोगों को ही लाभ मिलता था, उन सब को

Page No 83

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मिलाकर हमने मनी लेन्डर्स बिल सदन में प्रस्तुत किया है। सारे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रान्त नहीं जिसमें मनी लेन्डर्स एक्ट किसी न किसी रूप में न हो। सब जगह इसकी व्यवस्था है। हमारे यहां पर भी दो-तीन तरीकों से यह कानून लागू था, अब इसको फाइनल शेप देकर, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जिस प्रकार के प्रावधान हैं उन सब प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, हमने यह बिल प्रस्तुत किया है, जिन प्रावधानों को उचित समझा उनका समावेश करते हुए यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्दर रोयल कमीशन ऑन एग्रीकलचर, १९२८, के licence, registration, regularisation, scrutiny of accounts, provsion for punishment for infringement of provisions; इस तरह के जितने भी प्रावधान थे उस कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए समावेश किया गया है।

माननीय चेयरमैन, इस बिल के अन्दर कुछ विशेष बातें भी रक्खी हैं जो आम तौर पर कई जगह के बिलों में नहीं हैं। फाइनेन्स सब-कमेटी थी उसके अलावा रोयल कमीशन ऑफ एग्रीकलचर ने जो कुछ मुद्दे उठाये थे उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुये, कुछ और जगह के बिल्स थे उनमें जो प्रावधान थे उनके अनुसार इस बिल में प्रावधान रखने की कोशिश की है। लाइसेंसिंग एण्ड रजिस्टरिंग के प्रावधान की जरूरत क्या है, यह भी सवाल उठाया गया। मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रावधान हिन्दुस्तान की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें सबमें प्रावधान है, इसलिये हमने भी रखा है।

मैन्टीनेन्स ऑफ अकाउन्ट्स को लोग-बाग इस प्रकार रखते हैं जिस प्रकार वे रखते आये हैं। अब इस बिल के द्वारा उस अकाउन्ट के लिये प्रोपर फॉर्म बताया गया है उसी प्रकार उनको अकाउन्ट्स रखने होंगे। इसके साथ साथ यह भी प्रावधान रखा है कि डेटर को वह एन्यूअल स्टेटमेन्ट दे कि इतनी तारीख को उसका इतना जमा हुआ, इतना ब्याज का, इतनी उसकी सिक्योरिटी है, यह सब स्टेटमेन्ट उसको दे और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को दे। इसके साथ साथ दूसरे पर्टीक्युलर्स का भी इसमें समावेश किया गया है, पीरियोडिकल रिटर्न्स का समावेश किया गया है, रिसीट का समावेश किया गया है।

एक सवाल यह भी उठाया गया कि इसमें रेट ऑफ इन्टरेस्ट क्यों नहीं रखा गया। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि फाइनेन्स सब-कमेटी की राय थी कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट स्टेच्यूट में न रखा जाय। क्योंकि रेट ऑफ इन्टरेस्ट की दरों में दस साल के भीतर कई परिस्थितियां आ सकती हैं जिसमें रेट ऑफ इन्टरेस्ट बदलना पड़ जाय। आपको याद होगा १९११ में इतना डिप्रेशन आया था, कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट बहुत हाई हो गया था, उसमें लाखों किसानों की जमीनें मनी लैंडर्स के पास चली गई थीं। इतना डिप्रशन आया कि ४८ प्रतिशत, पचास प्रतिशत और साठ परसेन्ट तक इन्टरेस्ट चला गया। उसके बाद वार (war) शुरू होने के बाद प्राइसेज बढ़ीं और वापिस रेट ऑफ इन्टरेस्ट घटी। इसी वजह से १९४५ में जो फाइनेन्स कमेटी

Page No 84

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने अपनी रिकमन्डेशन दी थी उसमें यह रिकमन्ड किया था कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट को स्टेच्यूट बुक में न लीजिये, अलग से लीजिये : नोटिफिकेशन के जरिये जिस प्रकार की जरूरत हो रेट ऑफ इन्टरेस्ट प्रेसक्राइब किया जावे। इसका मतलब यह नहीं कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट के बारे में सरकार मनी लेन्डर्स को छूट दे देगी या किसानों को मार देगी, या यह कह देगी कि तुम्हें रेट ऑफ इन्टरेस्ट दो परसेन्ट ही लेना पड़ेगा। बल्कि सारी रिव्यू सिचुएशन ऑफ स्टेट करने के बाद इस प्रकार का रेट फिक्स करने का प्रावधान है; रेट प्रेसक्राइब न करते हुए इस तरह का प्रावधान किया गया है।

सुपरवाइजिंग एजेन्सी की बात भी कही गई। अगर हम इन्सपेक्टिंग और सुपरवाइजिंग एजेन्सी कायम नहीं करते हैं तो मनी लेंडर्स बिल पास करने से क्या फायदा ? अब तक इस प्रकार की व्यवस्था सारे जगहों के बिल्स में नहीं थी, इस सब-कमेटी की राय के मुताबिक इसका समावेश इसमें किया गया है।

इसी प्रकार अन्य जो भी रिकमन्डेशन्स इस कमेटी की थीं उन सबका समावेश करने का इस बिल में प्रयत्न किया गया है। उसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जितना अच्छा हो सकता था, इसको बनाने का प्रयत्न किया गया। इस पर दो रोज से बराबर बहस चल रही है। इन दो दिनों की बहस के दौरान में कई मुद्दे उठाये गये, वे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन मुद्दों को उठाने वालों की दृष्टि से। अगर उन मुद्दों पर गहराई से विचार करें तो यह उनको भी मालूम हो जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा भी उठाया; लाइसेन्स की म्याद जो साल भर की रक्खी है उसकी जगह पर्मानेन्ट लाइसेन्स हो जाना चाहिये। मैं इस मुद्दे के बारे में निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में एक अमेंडमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी लाया गया है। जो तरह तरह की विचारधारा सुनने को मिलीं, जिसमें कुछ का कहना था कि सारे राजस्थान के लिए एक ही लाइसेन्स हो, कुछ ने कहा कि जिन्दगी भर के लिए एक ही लाइसेन्स हो, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी राय जाहिर की कि पर्टिक्यूलर पीरियड के लिए लाइसेन्स हो। इस प्रकार सारी मान्यताओं को विचार में रखकर यह मुनासिब समझा कि अगर हम लाइसेन्स तीन साल की म्याद कर देते हैं और लाइसेन्स फीस तिगुनी कर दें, तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सरकार ने एक साल की जगह तीन साल की म्याद करने की तरमीम पेश की है। इसके अलावा अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है और इसके विपरीत जाता है, उसका लाइसेन्स पहले भी कैन्सिल हो सकता है। कानून के अनुसार इस प्रकार का आचरण करने वालों, का लाइसेन्स कभी भी कैन्सिल हो सकता है, यह भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन इन बातों के अलावा तीन साल में लाइसेन्स का रिन्यूअल हो, इसमें कोई हानि नहीं है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यहां पर यह भी बताया गया कि जो हजारों लाखों का व्यापार करते हैं उन पर लाइसेन्स फीस पांच रुपया, दो रुपया क्यों रखी ? इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो टैक्सेज़ का और दूसरा फीस का। इसमें हमने फीस रखी है न कि टैक्स। फी कमेन्स्योरेट होनी चाहिये, जो सर्विसेज़ हम रेन्डर करते हैं उससे उसका मिलान होना चाहिए। अगर मिलान नहीं होता है तो वह फीस नहीं कहलाती है, वह टैक्सेशन कहलाता है। जिसके लिए वैधानिक स्थिति आप जानते ही हैं, कहां कहां से कन्सेन्ट लेनी पड़ती है, स्टेच्यूट लेना पड़ता है। अभी मैं वैधानिक बातों की ओर जाना नहीं चाहता, वह सवाल जब आयगा तब बताऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्लॉज़ २७ के तहत....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या यह मोटर ड्राइवर लाइसेन्स फीस से भी कम नहीं है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मोटर ड्राइविंग लाइसेंस की जो फीस है वह भी फीस ही है, वह कोई पांच हजार, दो हजार नहीं है, जहां हम इसके लिए पांच सौ रुपये की बात करें। मैं आपसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यह टैक्स नहीं है, फीस है। फीस किस बात की कि जो सर्विस रेन्डर की है, हमारे लिए स्टेटमेंट की अदला-बदली आदि....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार की बात बजट के डिस्कशन के समय गवर्नमेंट ने एश्योरेन्स दिया था, हमारी तरफ से सजेशन आने पर एज़ ए फिस्कल मेजर हम लाइसेन्स लगा सकते हैं। जिसको फाइनेन्स अन्दाज़ करे, किस तरह से अन्दाज किया गया, क्या इस किस्म की बात नहीं आई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार की चर्चा हुई थी, इसको एग्जामिन किया गया; मैं इसकी बहुत गहराई में जाना नहीं चाहता। इसमें कॉन्स्टट्यूशन भी सामने आया और जिसके अनुसार लॉ डिपार्टमेन्ट की भी राय ली गई, उसमें कहा गया कि टैक्स और फीस में फर्क है। लाइसेन्स के लिये २००), ५००) रु० लेना, ये बातें कॉन्स्टीट्यूशन के विपरीत पड़ती हैं। यह तो टैक्सेशन की तारीफ में आ जाता है। टैक्सेशन स्टेच्यूट होता है उसके लिए जिन जिन चीजों जरूरत होती है वे सारी करनी पड़ती हैं।

यह टैक्सेशन का स्टेच्यूट नहीं है, इस लिये निवेदन करना चाहता हूं कि उसका सवाल यहां पर पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर क्या ऐसी गवर्नमेन्ट के सामने कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लाइसेन्स फीस सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिये नहीं है। मनीलेंडर्स एक्ट सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिये नहीं है, बल्कि मनीलेंडिंग

Page No 86

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का जो व्यापार है, उसको रेगुलेट करने के लिये है। ग्रामदनी बढ़ाने के लिये नहीं है। इसलिये इसको उस रूप में नहीं लेना है कि जो बजट सेशन के वक्त कहा गया था कि घाटे की पूर्ति हो जावेगी, तो वह पूर्ति इससे नहीं होनी है, घाटे की पूर्ति करने की मंशा से यह बिल नहीं लाया गया है। इसका सम्बन्ध तो केवल रेगुलेटिंग एण्ड कन्ट्रोलिंग ग्रॉफ मनी-लैंडिंग बिजनेस से है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर क्या यह समझा जावे कि गवमेर्नन्ट ने बड़ी लाइटली यह कह दिया था कि इससे घाटे की पूर्ति हो सकेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कहने की ग्रोर एश्योरेन्स की बात नहीं कहता। इस प्रकार की चर्चाएं हुई थीं।

एक माननीय सदस्य : सारे राजस्थान से आपको कितना पैसा मिल जावेगा इससे ?

श्री सभापति : Please ignore it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह असेस करना कठिन है। जहां दूसरी स्टेटों में भी यह लागू है बिल, वहां के ग्रांकड़ों को भी देखें, जैसे यू. पी., मध्यप्रदेश के ग्रांकड़ों को देखें, तो मालूम पड़ेगा कि उनके ग्रांकड़े भी बड़े वेराई करते हैं। एक साल ग्राठ हजार है, तो दूसरे साल में २४ हजार हो गये। तो ये इस प्रकार के बड़े वेराइड फिगर्स हैं। इसके कारण कुछ हो सकते हैं, मनीलैंडिंग एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोपर न हो, ग्रथवा कुछ हिस्सों में लोग लाइसेन्स माइन्डेड हों, कुछ में न हों, जैसे अपने यहां कुछ हिस्सों में जहां यह एक्ट ग्राज भी लागू है; जैसे ग्रजमेर में है या जो बम्बई से या मध्यप्रदेश से हिस्से हमारे में ग्राये हैं वहां है, तो वहां के लोग ग्राज लाइसेन्स माइन्डेड हो गए हैं। वे ग्रधिक लाइसेन्स जल्दी ले सकते हैं तो वहां से ग्रामदनी हमें ग्रधिक मिल सकती है, बाकी के हिस्सों से कम हो सकती है। तो धीरे धीरे यह पद्धति चलेगी। तो इसलिये ग्राज यह कहना मुश्किल है कि कितने लाइसेन्स ले लिए जावेंगे ग्रौर उनसे कितनी ग्रामदनी होगी।

रजिस्ट्रार ग्रौर ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के ग्रपॉइन्टमेंट के सम्बन्ध में क्लॉज के बारे में भी कहा गया। उसके ग्रन्दर है :

"Whether public officers or not"

इन शब्दों से कयास करके यह भी उदाहरण देना शुरू कर दिया कि रामकिशोरजी व्यास या दामोदरलालजी व्यास हो जावेंगे। नाम लेकर चर्चा की गई।

माननीय चेयरमेन महोदय, इस नियम को गहराई से पढ़ें तो हमने जो सदन में विचार व्यक्त किये थे, उनमें साफ किया था कि यह हमने एडवान्स में एक व्यवस्था की है। यह विचार भी व्यक्त किये गये थे कि क्यों न पंचायतों को, ज्यादा पंचायतों को, वे ग्रधिकार दे दिये जावें। किसी ने म्युनिसिपैलिटी ग्रौर जिला परिषदों की भी बात

Page No 87

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कही । तो हमने तो यह कहा है कि "Govt. Officers or not" का मतलब हमारा जो है, स्पष्टतया कहना चाहता हूं, यह था कि यदि किसी स्टेज पर सरकार यह मुनासिब समझे तो रजिस्ट्रार और दूसरे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पॉवर, लाइसेन्सिग ऑथोरिटी के पॉवर पंचायत समिति और जिला परिषदों और लोकल बॉडीज् को देने का फैसला करे तो उस वक्त नया स्टेच्यूट लाने की जरूरत नहीं पड़े । यह था । और इसी दृष्टि से यह प्रावधान किया गया है । अगर इसमें कोई शंका हो और उसका समाधान मेरे कहने से न होता हो तो मुझे कोई उत्सुकता नहीं है, "or not" शब्दों को रखने मे ।

इसी तरह से यहां पर यह भी कहा गया कि यह मनीलैंडर्स बिल एक पोलिटिकल स्टन्ट है । इस दृष्टि से यह लाया गया है, वरना तो सरकार की मंशा इसके विपरीत है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने मनीलैंडर्स बिल का विरोध किया है वही पोलिटिकल स्टन्ट पैदा कर रहे हैं ताकि गावों में जाकर उन मनी लैंडर्स की या जो यह धन्धा करते हैं और जो इसकी परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, उनकी सहानुभूति वे प्राप्त कर सकें । इस दृष्टि से उन्होंने इसे पोलिटिकल स्टन्ट कहा है । कांग्रेस की दृष्टि से यह स्टन्ट नहीं है । हम वास्तव में यह चाहते हैं कि यह रूरल क्रेडिट सिस्टम रेगुलर फॉर्म में चले और इसी दृष्टि से इस बिल को पेश किया है ।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि बहुत सी विधवाएं, माइनर्स और मिलिटरी पर्सोनल्स और गरीब किसान आपस में एक दूसरे को लेन-देन करते हैं अथवा एक हजार, पांच हजार वालों का उदाहरण देकर बताया गया कि उनकी लाइसेन्स फीस इतनी होगी, आमदनी इतनी होगी, उनको इस व्यवस्था में डालने से कोई लाभ नहीं, स्वयं को उनको किसी को लाभ नहीं सिवाय परेशानी के । इस वजह से उनकी इच्छा थी कि ये लाइसेन्स में एग्जम्प्टेड होने चाहिये । या फिर कोई लिमिट फिक्स होना चाहिये या इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये जिससे इस प्रकार के लोगों को कोई न कोई रिलीफ दिया जा सके । तो मैंने जो यह तरमीम पेश की है वह इन सारी विचार-धाराओं को जानने के बाद प्रस्तुत की थी । इससे मेरी कोई यह मन्शा नहीं है कि मैं कोई उदयपुर को छोड़ दूं, या चितोड़ को छोड़ दूं, अलवर को छोड़ दूं, या भरतपुर को छोड़ दूं । इसकी मन्शा सिर्फ इतनी ही है कि एक पॉलिसी के रूप में किसी को कोई एग्जेम्पशन देना जरूरी हो तो उसकी तहत वह दिया जा सके । एक हजार तक को देना चाहें तो दे सकते हैं और यह राजस्थान सरकार के दिमाग की ही बात हो, ऐसा नहीं है । यह जन मानस की बात है, उसको एकोमोडेट करने की बात है । तो इस पर हमने जब छान-बीन की तो दूसरी स्टेटों में भी इस प्रकार का प्रावधान हमें मिला । तो हमने भी अपनी परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रावधान रखा है । इसके पीछे कोई डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं है । एक के

Page No 88

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

साथ अच्छा व्यवहार करने और दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने की भावना नहीं है।

केवल उन बहुत सी चीजों का, जिनका समावेश हम इस कानून में और जगह नहीं कर सके उनका समावेश किया गया है। जैसे बहुत से अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनमें बताया गया है, गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग्ज़ का सवाल आता है, स्टेच्यूटरी बोर्डों का सवाल आता है, एक हजार तक के लोगों को एग्ज़ेम्पशन का भी सवाल आता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह एग्ज़म्पशन का भी क्लॉज़ रखा गया है।

'काइन्ड' का भी सवाल आया। यदि हम मनीलैंडर्स बिल में से 'काइन्ड' वाली चीज को हटा देते हैं तो इसका मतलब दूसरा निकल जाता है। जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आजकल काइन्ड का भी रिवाज़ है। बहुत से लोग अनाज उधार देते हैं और बाडी सहित लेते हैं तो उसको भी कन्ट्रोल करना जरूरी है, वर्ना तो रूरल क्रेडिट सिस्टम कैश से बदल कर काइन्ड में चला जावेगा और आज जो दोष और खामियां कैश रूरल क्रेडिट सिस्टम में हैं वे कल काइन्ड में चली जावेंगी। इसलिये चूंकि हम इन दोषों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित नहीं करना चाहते इसलिये काइन्ड को भी इन्क्लूड किया है। तो मैं मुख्तसर वाक़यात सदन के सम्मुख रख चुका हूं और चूंकि इस बिल के विषय में कई माननीय सदस्यों ने कई किस्म के अमेन्डमेन्ट्स हाउस में मूव किये हुए हैं और उन पर भी बहस होगी, इसलिए मैं उन सब बातों पर चर्चा न करता हुआ, जिस समय अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे उस समय मैं जबाब दूंगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(६.२० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या आप यह एश्योर करते हैं कि इस बिल का भी कहीं वही फेट तो नहीं होगा जो पहले दो दफा हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, हम जो बिल ला रहे हैं वह पारित होगा और पारित होने के बाद प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया के पास जायेगा, वहां से उनके सिग्नेचर होकर वापिस आयेगा और वहां से आने के बाद रूल्स बनेंगे और फिर यह लागू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य-गण अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Any other ?

(विराम)

I put them all to vote.

(विराम)

Page No 89

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए आये हैं वे स्वीकार किये जायें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इसके लिए २ प्रस्ताव थे और आपने अभी तक सिर्फ २ को ही लिया है। एक तो उसी सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए था। दोनों के ऊपर वोटिंग हो गया क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एक तो उसी सिलेक्ट में भेजने के लिए था और दूसरा दूसरी सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए था।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ ले लिया गया है तो automatically that is negatived.

(विराम)

Clause 2, Shri Chander Singh.

(संशोधन पेश नहीं किये)

श्री मोहनराज।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए गए :—

श्री मोहनराज (बाली):

In sub-clause (9)—

(i) In the first line of part (b) insert the words "or Trust" between the words "any Society" and the words "or association"; and in the last line insert the word "Educational" between the words "religious" and "or charitable."

(ii) In the first line of part (c) insert the words "any statutory board or a State undertaking or a Co-operative Society", between the words, "Government" and "or".

(iii) Omit sub-part (iii) of part (i).

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(i) Sub-clause (2) be replaced by the following :—

"(2) 'business of money-lending' means the business of advancing loans in regular course of business whether or not in connection with or in addition to any other business but it shall not include casual advance of money by individuals not engaged in money-lending business."

(ii) In sub-clause (9) : after part (cc) add the following new part :—

"(ccc) a casual advance or deposit by an individual to or with trader or any individual."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(i) In line one of sub-clause (9)- Between the words "at interest" and "whether" insert the words "or otherwise".

(ii) In sub-clause (9) after part (a) insert the following new part (aa) :—

"(aa) the money advanced by a mortgagee to a mortagager on the security of Agricultural land or a House."

(iii) At the end of part (b) of sub-clause (9) add the words "or educational institution whether private or of Government."

(iv) In part (c) of sub-clause (9) between the words 'or by" and "any" insert the words "or to".

(v) In sub-clause (13), omit parts (ii) and (iii) and also the word "or" occurring at the end of part (i).

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(i) After sub-clause (c) the following new sub-clause be inserted :—

"(cA) 'near relatives'means all the members of the family, members of father-in-law's family, sister and members of sister's family, uncle and members of uncle's family, business partners and members of partner's family."

(ii) In part (a) of sub-clause (9), after the words," a Co-operative Society" insert the words "a near relative."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(i) In sub-clause (9), delete sub-part (iii) of part (i).

(ii) In sub-clause (15).

(1) in part (a) between the words 'made' and 'after' insert the words before or'.

(2) in part (b) between the

Page No 91

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

words 'made' and 'after' insert the words 'before or.'

(3) in part (c), between the words 'given' and 'after' insert the words 'before or'.]

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है उसके अन्दर मैंने इन शब्दों को जोड़ने के लिए संशोधन रखे हैं और उन संशोधनों की आवश्यकताओं पर मैं अपने विचार रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संशोधन जो मैं सुझा रहा हूं वह यहां पर ठीक समझ रखे जाने के बाद और जोड़े जाने के बाद बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।

क्लॉज़ २ के अन्दर जहां तक किसी भी रजिस्टर्ड संस्था या एसोसियेशन है इसके साथ में मैं चाहता हूं कि 'ट्रस्ट' शब्द और जोड़ा जाये क्योंकि कई इस तरह के ट्रस्ट बने हुए हैं जो कि सार्वजनिक हित के लिए हैं और उनके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति है और वह सम्पत्ति जहां कहीं भी, जिन लोगों के पास में ऋण के रूप में दी जाती है, जिससे उन्हें इन्टरेस्ट मिलता है और उस ट्रस्ट के पास जो भी प्रापर्टी है उसका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाता हो या ऐसी संस्थाओं के लिए होता हो जो कि सार्वजनिक हित के काम में लगी हुई हैं, इसलिए मैं यह उपयोगी मानता हूं कि ट्रस्ट की जो सम्पत्ति है और वह ट्रस्ट अगर कोई ऋण देने का काम करता है तो उसको इस बात की छूट मिलनी चाहिए और इस एक्ट के जो प्रावधान हैं वे इसके ऊपर लागू नहीं होने चाहिए।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उसी सब-क्लॉज़ (६) के अन्दर जो गवर्नमेन्ट या गवर्नमेन्ट से ऑथोरिटी लिए हुए लोकल बॉडीज़ को जो छूट दी हुई है उसके साथ में कोई भी स्टेट्यूटरी बोर्ड बना हुआ हो या कोई स्टेट अण्डरटेकिंग हो, और को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए तो इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है इसलिए उसकी तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह के जो बोर्ड बने हुए हैं जो गवर्नमेन्ट की ऑथोरिटी में आते हैं और जिनका वर्किंग और फंक्शनिंग गवर्नमेन्ट ऑथोरिटी के अन्दर है उनको भी इससे एग्जाम्पशन मिलना चाहिए और यह बहुत आवश्यक है, वर्ना इस तरह के बोर्ड जो कि लोन एडवान्स करेंगे उनको भी इसके अन्दर दिक्कतें आ सकती हैं और वे दिक्कतें बोर्ड या दूसरी स्टेच्युटरी बॉडीज़ हैं जिनको कि गवर्नमेन्ट मान्य करे, उनके फंक्शन में भी इससे बाधा आ सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इन शब्दों का जोड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है।

तीसरी चीज जो अर्ज कर रहा हूं वह यह है कि क्लॉज़ ६ का जो थर्ड पार्ट है और उसका सब-पार्ट (३) है उसको ओमिट कर दिया जाये और वह इस बात पर है कि जो जागीरदार, लैंडलॉर्ड्स अगर अपने टीनेन्ट को ५०) रुपये तक का कर्जा देता है जो वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है। मैं इसलिए इस क्लॉज़ को इसमें से हटाना चाह रहा हूं कि इस क्लॉज़ के रहने से लेन-देन का,

Page No 92

(श्री मोहनराज)

सहकारी धंधे का एक नये नाम के अन्दर चलना प्रचलित रहेगा। लोग काश्तकारों से उनकी जमीन ट्रान्सफर करके अपने नाम पर करवा कर भी इस धंधे को जीवित रखेंगे और उसका एक्सप्लोइटेशन और उसका शोषण जारी रहेगा। जब हमने यह प्रावधान किया है कि काश्तकारों को उनकी आवश्यकताओं के लिए सारा का सारा ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा हो और जब हम यह सोच रहे हैं कि गांवों के अन्दर जो भी लेन-देन का धंधा करते हैं उनका नियंत्रण किया जाये इस विधेयक के द्वारा, तब फिर इस प्रकार की यह छूट रखना मेरा ख्याल है कि दूसरे नाम से शोषण को जारी रखना का ही एक तरीका होगा। इसलिए इसको हटाया जाये। हो सकता है हममें से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां या ऋण देने वाली दूसरी सहकारी संस्थायें इतनी सक्षम अभी नहीं हैं, इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि वे इस कमी की पूर्ति कर सकें। लेकिन उनका यह तर्क इसके खिलाफ भी लागू होता है, लेकिन जब हम यह चाह रहे हैं कि हमारे यहां लेन-देन करने वालों के द्वारा जो समाज के गरीब तबके हैं उनका शोषण हो रहा है उसको खत्म किया जाये, तो हमें यह जरूर सोचना पड़ेगा कि उनके शोषण करने के चाहे और बड़े जो भी रूप हों उनको बिलकुल खत्म किया जाये। जहां तक आर्थिक नीति का सवाल है, शोषण करने वालों का और शोषित जनता का अगर हमें शोषण करने वालों की प्रवृत्ति को मिटाना है, जो शोषित लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करना है तो इसमें मध्यस्थता का कोई मार्ग नहीं होना चाहिए।

जहां तक ये दो सिस्टम हैं उनके को-एग्जिस्टेन्स में मैं कतई विश्वास नहीं करता हूं। अगर हमारी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज इसमें कमजोर हैं, अगर उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे सब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें, फिर भी स्वयं समाज के लिए यह एक आवश्यक कदम है, और हमको यह मंजूर करके चलना पड़ेगा कि जब तक साहूकारी संस्था को गांवों के अन्दर रियायत देने वाली चीजों को बिल्कुल नहीं करने दें, उस संस्था को खत्म नहीं कर दें, तब तक यह शोषण बन्द नहीं हो सकता और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस तरह के विधेयक को पारित करें और इसमें आवश्यक संशोधन हैं उनको लें, ताकि उनका शोषण बन्द हो सके। जब तक हम इसमें अपवाद कायम रखेंगे तो उन लोगों का शोषण जारी रहेगा; तो मैं यकीनन मानता हूं कि सहकारी संस्थाएं ग्रामों में नहीं चल सकती हैं। आज जो सहकारी संस्थाओं की शिकायतें आती हैं, आज सहकारी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, आज सहकारी संस्थाएं हैं वे लिक्वीडेशन में चली गई हैं, उनका दिवाला निकल गया है, लोगों को वक्त पर कर्जा नहीं दे पाती हैं, लेकिन उसके मूल में जो चीज है कि गांवों में जो लेन-देन की पद्धति करते हैं और हजारों और लाखों रुपये का काश्तकार को बीज और खाद के रूप में देते हैं, जब उनके धन्धे को आघात लगता है तो चाहते हैं कि गांव के अन्दर

(श्री मोहनराज)

सहकारी संस्थाएं नहीं पनपे और जब वे नहीं पनपती हैं तो वे दावा करते हैं कि हमारा जिन्दा रहना जरूरी है, वर्ना भारत के किसान मर जायेंगे। उनकी कमाई पर, उनके शोषण से जिन्दा रहने वाले गांवों में इस तरह की दलील और तर्क देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम वास्तव में समाज के जो अर्पंग हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए यह बिल पास करने जा रहे हैं तो इसके अन्दर जो अपवाद रखे गये हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है, कि उन अपवादों का फायदा लेकर, उनकी कमजोरी से फायदा लेकर, शोषण करने के लिए ये जो तरीके हैं उनसे फिर हावी हो जायेंगे और हम जो प्रगति की ओर जा रहे हैं उसमें बड़ी भारी रुकावट पैदा करेंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि इसके अन्दर जो दूसरे सुझाव आये हैं और अभी उपमन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था अपवादों के बारे में कि जो इस तरह के लोग हैं जो कि धन्धा करके गुजारा करते हैं और दूसरे जो धन्धा नहीं करते हैं उनको इस तरह की छूट मिलनी चाहिए, इस तरह का संशोधन भी रखा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो छूट दी गई, इस प्रकार की जो रियायत दे भी दी गई तो इस विधेयक की जो मन्शा है, जो स्प्रिट है, वह सारी खत्म हो जायगी। दूसरों के नाम से, विधवा रिश्तेदारों के नाम से लाइसेन्स लेकर इस धन्धे को करने वाले करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की छूट मिल जायगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी क्लॉजेज हैं उनके अन्दर जहां कहीं भी इस प्रकार मेरे जो सुझाव हैं, जो संशोधन हैं, उनको स्वीकार करेंगे और यह बिल शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जायगा।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी क्लॉज २ के सब-क्लॉज (२) के अन्दर मेरा संशोधन यह है कि सब-क्लॉज (२), जो कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा पारित बिल में रखा गया है, उसको हटा कर यह क्लॉज रखा जाय :

"(2) 'Business of money-lending' means the business of advancing loans in regular course of business whether or not in connection with or in addition to any other business but it shall not include casual advance of money by individuals not engaged in money-lending business."

उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि अपने राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उसमें कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो कि मनी लैंडिंग यानी पैसे के लेन-देन को व्यवसाय की तरह से करते हैं और कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि व्यवसाय की तरह तो नहीं करते हैं, पर एक आदमी को पैसे की जरूरत हुई तो दूसरे से ले लिया, जैसे धान है खेतों में बोने का तो एक काश्तकार दूसरे काश्तकार से बीज लेता है और उसकी फसल पर अदायगी करता है, लेकिन जैसे कि इस बिल में प्रावधान रखे हैं कि कोई भी कर्जा, चाहे केश में हो या काइन्ड में हो, वह कर्जे की तारीफ में आयेगा, और उसकी परिभाषा जो दी हुई है जब

Page No 94

(श्री तेजाराम गहलोत)

परिभाषा के अनुसार बिजनेस ऑफ मनीलैंडिंग में आयेगा। तो मैंने सुझाव रखा है कि केजुअल लैंडिंग ऑफ मनी है उसको एक्सक्लूड किया जाय, क्योंकि एक काश्तकार दूसरे काश्तकार से जब जरूरत पड़े तो सात, छः महीने के लिए पैसा ले ले।

काश्तकार लेन-देन का व्यवसाय नहीं करता है, मनी लैंडिंग का बिजनेस नहीं करता है, और जैसा कि इस विधेयक का मंशा है आप लेन-देन के व्यवसाय को रेग्युलेट करना चाहते है, तो वह केजुअल लैंडिंग ऑफ मनी है वह मनी लैंडिंग बिजनेस की तारीफ में नहीं आना चाहिए और इसी भावना से मैंने सुझाव प्रस्तुत किया है। जैसा कि प्रावधान अभी है कि जो कोई भी रुपये का या चीज का लेन-देन करेगा, चाहे वह कभी भी करे या हमेशा करे, तो जैसा कि अभी परिभाषा दी है उस पर यह बिल लागू होगा। इसके बजाय मनीलैंडिंग रेग्युलेट होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान नहीं रखें और उन आदमियों को जो आपस में एक दूसरे से लेन-देन केजुअली करते हैं, उनको इनसे छूट होनी चाहिए। इसमें जो आज एक आर्थिक समस्या गावों में है वह हल होती है। अगर आप जैसा कि अभी है रखेंगे तो इसमें वह समस्या हल नहीं होकर उल्टे उसको, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लाइसेन्स होल्डर्स के पास आना पड़ेगा और इस तरह से बहुत सा पैसा जो है आज एक दूसरे के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं और जो एक आर्थिक समस्या आपस में सुलझा सकते हैं वह समस्या बनी रहेगी और उसके लिए लाइसेन्स होल्डरों के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से आर्थिक-संकट और बढ़ जायगा और जब वह बढ़ेगा तो उसमें किसी तरीके [illegible] सच्चाई का सिद्धान्त उसमें ऑपरेट करेगा और लेन-देन-प्रकारेण ज्यादा सूद लेने के [illegible] करेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो केजुअल एडवान्सेज़ है उसको मनी लैंडिंग बिजनेस से एक्सक्लूड किया जाय तो यह समस्या सुलझ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह संशोधन पेश करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २......

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा संशोधन और है। मेरा दूसरा संशोधन क्लॉज २ में है और वह यह है कि सब-क्लॉज़ (६) के पार्ट (सी सी) के बाद एक सब-क्लॉज़ (सी सी सी) और एड किया जाय। वह यह है कि :

"(ccc) a casual advance or deposit by an individual to or with trader or any individual."

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो है, जैसे जैसे अपने देश में विकास की योजनाएं सफल होती जाती हैं आदमियों के पास में पैसा बढ़ता जाता है, और जिन काश्तकारों के पास में, जिन ग्रामीण भाइयों के पास में अपनी जरूरत से बढ़कर जो पैसा होता है उस पैसे का अगर ब्लॉक रखा जायगा तो राष्ट्र के हित में नहीं होगा। इसके अलावा बहुत से आदमी जो कि सर्विस पेशा हैं, जो

Page No 95

(श्री तेजाराम पहलोत)

कि विधवाएं हैं और जिनके पास में जरूरत से बढ़कर पैसा है, और अगर उस पैसे को बैंक के अलावा और कहीं डिपोजिट कराना चाहती हैं और उसको यदि हम मनी लैंडिंग बिज़नेस में लेंगे या इस एक्ट की परिभाषा में लायेंगे तो नतीजा यह होगा कि उन आदमियों के पास अवकाश तो है नहीं कि अपने सरप्लस पैसे को व्यापार आदि में लगा सकें। कई विधवाएं अपने भरोसे मन्द रिश्तेदारों के पास में रुपया जमा कराती हैं सेफ-कस्टडी के लिए या जरूरत के वक्त पर काम में ले लें। तो जो डिपोजिटर है और जो लोन लेता है उसमें फर्क होता है। लोनी लोन तो जरूरत के मुताबिक लेता है और जो डिपाजिटर है वह किसी के ऊपर विश्वास होता है उसके पास जमा कराता है, और जैसी जैसी स्थिति होती है उसको ब्याज भी मिल सकता है, लेकिन डिपोजिट अमाउन्ट तो साहूकार या जो पैसे वाला है उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन लोन के अन्दर तो खुद का आग्रह काम करता है। इसलिए अगर डिपोजिट अमाउन्ट को इस एक्ट के अधिकार क्षेत्र से अलग नहीं रखेंगे तो लाखों और करोड़ों रुपया जो कि नौकरी करने वालों के पास, विधवाओं के पास, या और किन्हीं संस्थाओं का इस तरह का पैसा है वह पैसा एकदम मार्केट से हट जायगा, और इसके कारण बड़ा भारी आर्थिक संकट हमारी प्रगति पर आ सकता है, और इस बात पर इस तरह की सुविधा इस बिल में रखने की जरूरत है। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है कि डिपोजिट ऑफ एमाउन्ट को चाहे व्यक्ति विशेष के पास में हो या व्यापारी के पास में हो, इसकी परिभाषा से हटा देना चाहिए। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्लॉज ३ व ५ संशोधन हैं। मेरा पहला संशोधन सब-क्लॉज (९) के बारे में है और क्या मैं समझता हूं कि जो मौजूदा लोन का डेफिनेशन आपने लो है :

"'loan' means an advance at interest, whether of money or in kind, but does not include......"

उसके नीचे जो बातें हैं मैं उनकी ओर नहीं जाता लेकिन जो रुपये उधार दिये जाते हैं ब्याज पर उनके लिए लोन की डेफिनिशन दी है। अब क्या होगा कि जितने भी साहूकार होंगे वे मूलधन में सारे ब्याज को जोड़ कर उसके बाद में डॉक्युमेंट लिखायेंगे और ऐसी सूरत में उसमें यह शर्त लिख देंगे कि यह जो मैंने मूलधन उधार के रूप में दिया है वह बगैर ब्याज के दिया है और उसके बाद इसमें से एक क्लॉज भी उन पर लागू नहीं होगा और वह खुले आम व्यापार कर सकता है।

इसके अतिरिक्त 'लोन' की परिभाषा में बहुत विस्तृत दायरा भी आ गया है। किसी आदमी को जरूरत होगी, दो-तीन महीनों के लिए जो लोग रकम देते हैं, मित्रों को या

Page No 96

(श्री विजयसिंह झाला)

सम्बन्धियों को मामूली ब्याज पर हालांकि वे बिजनेस नहीं करते है और इज्जतदार लोग हैं, वे भी आपकी इस परिभाषा में आ जाते हैं इसलिए मैंने शब्द जोड़े हैं कि जो मौजूदा परिभाषा है उसको इस तरह से लिखा जाय :

"Loan" means an advance at interest or otherwise, whether of money......"

"प्रदरवाइज" में कोई नियम गवर्नमेन्ट बना सकती है और उसके आधार पर जो इन्टरेस्ट है उसको नियम बनाकर लिमिटेड या विस्तृत जैसा चाहे कर सकती है।

इसके साथ ही दूसरा मेरा संशोधन है सब-क्लॉज (६) के नीचे ही एक प्रोविजो और जोड़ा जाय। वह इस आशय का है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन रहन रखता है तो उस पर यह विधेयक लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपकी इन्टरेस्ट की परिभाषा है और जिस प्रकार लोन की परिभाषा है और जिस प्रकार मनी लेंडर की परिभाषा है वह लैंड मोर्टगेज करेगा उस पर भी लागू होता है। यह इसलिए जरूरी है कि यह विधेयक लागू होने पर मनी लेंडर्स की मोनोपोली हो जायगी। ऐसी स्थिति में भूमिहीन किसान अपनी भूमि को रहन इसलिए रखता है कि रकम कठिनाई में काम में आवे, नेसेसिटी में काम में आवे उसमें रुकावट हो जायेगी...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह आर्ग्युमेन्ट समझ में नहीं आया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह आर्ग्युमेंट आपकी समझ में तब आयेगा जब गांवों में जाकर बसेंगे। आप अलवर शहर में रहते हैं, आपके पास मित्र है इसलिए आपको मालूम नहीं है कि किसानों को क्या तकलीफ होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने बहुत रहन रख ली हैं क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : मेरे पास जितना रहन है वह सब आप ले लें और आपके पास मिल है, अपनी प्रोपर्टी एक्सचेन्ज कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्जूर है।

श्री विजयसिंह झाला : आप लिख दें कि हम प्रोपर्टी एक्सचेन्ज करने को तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस के सामने कह रहा हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे पास प्रोपर्टी नहीं है। माननीय सदस्य का एक मकान ही मिल जायगा तो मैं समझता हूं बहुत कुछ हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर न करें।

श्री विजयसिंह झाला : मैं भी कह रहा हूं कि तैयार हूं, आप प्रोपर्टी ट्रान्सफर करवा दें।

मैने इसलिए यह प्रावधान रखा है कि बहुत से आदमी अपने साथियों से रुपये उधार

(श्री विजयसिंह झाला)

लेते हैं और अपनी नेसेसिटी की पूर्ति के लिए किसान अपनी जमीन गिरवी रखते हैं। जो आदमी मामूली पैसों से जमीन गिरवी रखेंगे तो जब तक लाइसेन्स नहीं लेंगे तब तक गिरवी नहीं रख सकते। इन्टरेस्ट की परिभाषा में आपने लिखा है कि कोई आदमी किसी तरह का ब्याज ले तो वह ब्याज का धंधा माना जायगा। वह अगर जमीन गिरवी रखवा लेता है तो ब्याज के धंधे में आ जाता है। इसलिये मैं संशोधन रखूंगा कि जो काश्तकार है, चाहे आप लिमिट कर सकते हैं, उन पर यह लागू नहीं होना चाहिए।

इसके बाद तीसरा संशोधन मेरा यह है।

At the end of part (b) of sub-clause (9), add the words 'or educational institution whether private or Government."

आज बहुत सी इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वे गवर्नमेंट द्वारा संचालित हों या प्राइवेट तौर पर चलती हों, उनको कोई न कोई ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि कुछ आदमियों से पैसा लेकर अपनी पूर्ति करती हैं। मामूली ब्याज उनको दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एज्युकेशनल पर्पज के लिये, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स के लिये लिमिटेड पैसा उधार देते हैं उनके लिये लागू नहीं होना चाहिये ताकि सहायता इन इन्स्टीट्यूशन्स को मिलती रहे और उसमें बाधा नहीं पड़े। आप इनको सेक्शन २५ या २७ के नीचे निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन लाइसेन्स नहीं लेना पड़े जो एज्युकेशन पर्पजेज के लिये देते हैं उनको।

उपाध्यक्ष महोदय, चौथा मेरा संशोधन है।

"In part (c) of sub-clausse (9), between the words 'or by' and 'any' insert the words 'or to'.

जितनी भी लोकल ऑथोरिटीज़ हैं उन लोकल ऑथोरिटीज़ को ऋण देते हैं उन पर आपने यह विधेयक लागू नहीं किया है और नहीं होना चाहिये, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन लोकल ऑथोरिटीज़ कुछ व्यक्तियों से उधार लेते हैं उन पर आप खण्ड २५ या २७ लगायेंगे और लाइसेंस लेने को मजबूर मत करें ताकि जब आवश्यकता पड़े तब कुछ व्यक्ति लिमिटेड आवश्यकता के लिए पैसा दे सकें। यह लोकल ऑथोरिटीज़ के विकास के लिये अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पांचवां संशोधन मेरा यह है:

'In sub-clause (13), omit parts (ii) and (iii) and also the word 'or' occuring at the end of part (i)."

आपने सब-क्लॉज़ १३ के अनुसार रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की परिभाषा दी है और आज जब कि हमारे राजस्थान में कम से कम ६० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो केवल हिन्दी जानते हैं और ३ परसेन्ट ऐसे हैं जो

Page No 98

(श्री विजयसिंह झाला)

अंग्रेजी जानते हैं और उन ३ परसेन्ट को कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं समझता हूं यह हिन्दी के लिये अपमान होगा कि आप इस विधेयक में अंग्रेजी को स्थान दें। डॉक्युमेन्ट्स अंग्रेजी में भी लिखे जायेंगे। इसका मैं हमारे दल की तरफ से घोर विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सिर्फ हिन्दी होनी चाहिये क्योंकि ९० परसेन्ट लोग हिन्दी जानते हैं और केवल ३ परसेन्ट नहीं जानते हैं पर वे भी हिन्दी बोल सकते हैं, इसलिये इस प्रोवीजन की आवश्यकता नहीं है। अतः 'रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हिन्दी ही होनी चाहिये।

इन पांच संशोधनों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला संशोधन है सब-क्लॉज़ (६) के बाद (६ए) और जोड़ने के बारे में। यहां पर एक डेफिनिशन "Near relative" की और होनी चाहिये :

"(6A) 'Near relative' menas all the members of the family, members of father-in-law's family, sister and members of sister's family, uncle and members of uncle's family, business partners and members of partner's family."

इस संशोधन को रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि अधिकतर व्यापार अपने यहां अपने भाइयों के नाम पर, अपने लड़कों के नाम पर, अपनी बहिन के नाम पर जरूरत पड़ने पर नीयर रिलेटिव्ज से उधार लेता है। शादी विवाह पर, भाई-बहिन की शादी-विवाह पर या और किसी मौके पर रुपये की जरूरत होती है तो रिलेटिव्ज़ से उधार लेते हैं। ये रुपये न तो ब्याजूणे होते हैं और यदि होते भी हैं तो नाममात्र का ब्याज होता है। इसलिये मेरी इच्छा थी कि इस प्रकार का एग्जेम्प्शन होना चाहिये कि जो अपने पुत्र, भाई, पिता-माता के नाम पर, अपनी माता के नाम पर किसी नियरेस्ट रिलेटिव से उधार लेकर काम चलाते हैं, उनके लिये कम से कम यह होना चाहिये कि यह उन पर लागू नहीं हो।

दूसरा मेरा संशोधन सब-क्लॉज (९) के (ए) में है : "...but does not include...... (d) a loan advanced by a co-operative society."

इसको भी राजस्थान सरकार ने एक्ट के द्वारा एक्जेम्प्शन दिया है loan advanced by a co-operative society को, कल जो डिस्कशन हुआ था, उसमें कुछ सदस्यों ने शंका प्रगट की थी कि आज-कल जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा रुपया उधार दिया जाता है वह वाजिब आदमी को, हकदार को नहीं मिलता है और कोई दूसरा झूठे दस्तखत करके रुपया ले जाता है। इस तरह किसानों को रुपया नहीं मिलता है। लेकिन यदि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को जो एग्जाम्प

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

दिया है, उस पर भी इस कानून को लागू कर दिया जाय तो किसानों का हित होगा। यदि उन्हें हिसाब रखने के लिये पास बुक दे दी जाय और उनमें एन्ट्री भी ली जाय तो कम से कम कोर्ट में जाकर क्लेम तो कर सकेंगे, या कम से कम यह मालूम तो होगा कि किसके नाम पर एन्ट्री हुई है। और उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे देंगे। इसलिये अगर आप इस एग्जेम्प्शन को विड्ड्रॉ कर लेंगे तो इससे बड़ा हित होगा किसानों का। लोन एडवान्स्ड बाई दि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को राजस्थान मनीलैंडर्स बिल से कन्ट्रोल किया जाय क्योंकि इन्टरेस्ट की रेट तो वैसे ही कन्ट्रोल होती है, लेकिन जो शंका उठाई जाती है कि किसानों को लोन नहीं दिया जाता, जो उन को लोन दिया गया वह उनको नहीं मिलता है, वह किसको मिल जाता है यह तो भगवान जाने इस शंका को दूर करने के लिये अगर राजस्थान मनीलैंडर्स बिल से कन्ट्रोल हो जाय तो हिसाब-किताब इसके हिसाब से रखना पड़ेगा और कोआपरेटिव का इन्सपेक्टर कभी भी जाकर उसको इन्सपेक्ट कर सकेगा....

श्री रघुनाथ बिश्नाई (सांचोर) : आप कोआपरेटिव मूवमेंट को फेल करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : True to his party's principles.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : Party's principles......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पहले ही कह दिया है कि जनसंघ जल्दी से जल्दी इस प्रकार की सुविधा चाहता है कि जो कर्जदार हैं उनको सहूलियत मिले।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने शंका प्रगट की थी, आपकी पार्टी के और लोगों ने शंका प्रगट की थी कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा जो लोन दिया जाता है उसमें घोटाला होता है। इसलिये कोआपरेटिव सोसाइटीज़ पर से एग्जेम्प्शन हटा दिया जाय तो कौनसा नुकसान होने वाला है। जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिलेटिव्ज को एग्जेम्प्ट कर दें और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ पर से हटा दें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is what they want.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके अमेंडमेंट की इन्टेन्शन है कि कोआपरेटिव सोसाइटी को इसके पर्व्यू में ले आयें और रिलेटिव्ज़ को इसके पर्व्यू से निकाल दिया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरे दो संशोधन थे, उनको मिक्स्ड कर दिया है, इसलिये आपको शंका हो गई है। कोआपरेटिव सोसाइटी पर लागू हो जाने से....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : रिलेटिव्ज़ को एग्जेम्प्शन में क्या ले लेना चाहिये ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह कोई विशेष बात नहीं है, आपस में लेन-देन होता है, अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो आपस के आदमी से उधार ले लिया, सम्बन्धी से ले लिया। यह आपका भी विचार है, इसलिये मैंने अमेंडमेंट रखा है कि उसको आप टच नहीं करेंगे। अगर आप इस विचार से सहमत नहीं हों तो आपकी मर्जी है। ये दो संशोधन मेरे क्लॉज २ में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज् २ इस कानून में सबसे महत्व पूर्ण क्लॉज् है, क्योंकि यह इस कानून की बुनियाद है जिसमें सब परिभाषाएं दी हुई हैं और जिनके अनुसार ही इस सारे कानून की व्याख्या की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो मैंने संशोधन किये हैं उनका भी मैं हवाला देना चाहता हूं और इसके अलावा जो कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन पेश किये हैं उनके सम्बन्ध में जो मेरे विचार हैं वे भी मैं कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहला तो यह कि इस कानून की जो मन्शा है, देहातों में गलत प्रेक्टिस मनी लैंडिंग की पड़ी हुई है, जिससे आमसाधारण लोगों का एक्सप्लोइटेशन होता है, उसको बन्द करने का है, यह नहीं कि लोगों को कर्ज न मिले, उसको बन्द करने का नहीं है। लेकिन इसमें जो क्लॉज् दिया हुआ है, जिसमें क्लॉज् ६ में जो 'आई' पार्ट है, जिसमें मैंने अमेंडमेंट पेश किया है, उसमें यह प्रोवीजन है कि अगर कोई लैंड लॉर्ड अपने टीनेन्ट को कर्ज दे, पचास रुपया फी एकड़ के हिसाब से तो वह इस कानून के तहत नहीं आयेगा। मैं समझता हूं कि यह क्लॉज् लाकर इस कानून के मकसद को काफी हद तक खत्म किया जा रहा है। दरअसल तो उस जागीरदार तबके, जिसके सामन्ती शोषण से आज हम किसानों को, देहात की जनता को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तबका अब सामन्ती तरीके से देहात के किसानों को लूटने के दूसरे तरीके अपना रहा है, जमीन पर ज्यादा लगान लेने का उसे अवसर न मिले, बटाई ज्यादा वसूल करने का अवसर न मिले तो अब बड़े बड़े मुआवजे और बड़ी बड़ी और चीजें जो उन्हें मिलीं, उनसे वह आहिस्ता आहिस्ता मनी लैंडिंग का काम हाथ में लेता जा रहा है, और यही कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने देखा होगा, इस सदन में उन तबकों को जो पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं, स्वतन्त्र पार्टी या थोड़ी बहुत जनसंघ, उनकी तरफ से घोर विरोध इस बिल का भी किया जा रहा है......

श्री विजयसिंह झाला : On a point of information,......

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री विजयसिंह झाला : गलत इन्फोर्मेशन दी जा रही है, वह........

Page No 101

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, जो कोई सदस्य बोलता है, वह गलत इन्फोर्मेशन उस आधार पर देता है तो सदस्य पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :This is no point of order.

श्री विजयसिंह झाला : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आप सभापति पद पर आसीन नहीं हैं। आप नीचे कुर्सी पर बैठी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I will look after this.

श्री विजयसिंह झाला : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जब कोई झूठी बात कहे........

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : सब बात मत कहो।

श्री विजयसिंह झाला : झूठा कलंक पार्टी पर लगाता है और वह बात पार्टी की तरफ से नहीं कही गई है तो पार्टी के सदस्यों को अधिकार होना चाहिए कि उस वक्त ही खड़े होकर वह स्टेटमेंट दे सकें.......

श्री उपाध्यक्ष : विवाद के दौरान परस्पर कई बातें कही जाती हैं, पर्सनल आक्षेप लगाये जाते हैं.......

श्री विजयसिंह झाला : झूठा है आक्षेप।

श्री उपाध्यक्ष : वह पार्टी का हो सकता है। लेकिन सामान्यतया सभी पार्टियाँ अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं और शाइस्ता तरीके से कर सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे जनसंघ से आने वाले माने मेरे मित्र को बात तो बहुत बुरी लगी है, परन्तु फैक्ट तो फैक्ट ही है। अभी जो उन्होंने संशोधन पेश किया कि जो मार्टगेजीज जमीन को रहन रख कर....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : On a point of information......

श्री रामानन्द अग्रवाल: कर्जा देते है .....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : On a point of order, जो आपके अमेंडमेंट हैं उन पर ही आप बोलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have right to move my amendment and also to oppose the others' amendments which I don't like and also to support the amendments which I like.

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have got the right to oppose the amendments.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इसलिए जो इसमें बात आई, क्लॉज २ सब-क्लॉज (६) का पार्ट (I) का तीसरा हिस्सा, उसमें ऐसी चीज आती है कि वापिस वह सामग्री लड़के के द्वारा दूसरे तरीके से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसानों का एक्स्प्लोइटेशन कराने का मौका दिये जाने की कोशिश है। वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेताओं की आम तौर पर नीति है कम्प्रोमाइज़ करने की, उन तबकों को एकोमोडेट करने की, सामन्ती शोषण को किसी न किसी प्रकार जारी रखने की, उसका यह उद्देश्य है लेकिन मैं यह समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य जो वास्तव में इस ईविल को दूर करना चाहते हैं, कांग्रेस में भी वे तत्व हैं, जो बावजूद दरों को जो पार्टी में इस बिल का विरोध कर रहे हैं; इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह बिल पास होना चाहिए और गांवों में जो कर्जदार हैं उनके हित में इस कानून में प्रावधान किये जाने चाहिए।

(७.०० म० प०)

मैं समझता हूं कि वे इस बात को पसन्द करेंगे और इस क्लॉज़ को इस बिल में से निकाल देंगे ताकि इस प्रकार की बोहरगत जो पहले से शुरू है वह दूसरे क्लॉज़ से बच जाए और बोहरों को बच निकलने का मौका न मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा संशोधन है वह इसके सब-क्लॉज़ (१५) में है और यह तमाम एक्ट के संबंध में है। यदि इसकी बुनियाद में जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे शब्दों की दृष्टि से, तो यह संशोधन बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन मैंने इस संशोधन के जरिये इन तमाम दावाजात या उन तमाम प्रोसीडिंग्ज़ को जो इस कानून की तहत आती हैं, उनको भी शामिल किया है, जिससे कर्जा जो इस कानून को लागू होने से पहले किसी वक्त लिया गया हो और उसके संबन्ध में दावाजात हो या मुकदमा हो, वे तमाम दावे कवर होने चाहिये। इस संशोधन के जरिये मैं इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि आज हमारे सामने क्या समस्या है? आज राजस्थान में किसान बहुत बड़ी तादाद में कर्जदार है और यह भी देखा है कि पुराने लम्बे-लम्बे अर्सों के कर्जे लोगों पर चले आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अब आश्चर्य होता है कि हमारी इस सरकार ने जागीरदारों के डेट को कम करने के लिये तो एक विशेष कानून पास किया और ११ करोड़ रुपयों को जो जागीरदारों को लोन के रूप में दिए गये थे और जो उनकी तरफ पुराने थे, वे माफ कर दिये, लेकिन जहां तक यहां पर यह मनीलेंडिंग बिल लाया जा रहा है, उसमें किसानों को राहत देने की बात है, वह इसलिये लाया जाता है कि आगे उनके साथ ज्यादतियें नहीं हों। लेकिन प्रश्न यह भी है कि जिस हालत में आज हमारी रूरल इकोनोमी है, आज हमारी देहाती जनता है उनको इससे विशेष तौर से किस तरह राहत दिखाई जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी प्रोग्रेसिव सरकारों ने इस प्रकार कदम उठाया है कि जो पर्टीकुलर पीरियड का कर्जा हो गया है उसको राइट ऑफ कर दिया है और इस तरह से किसानों को राहत दी है। यह सरकार, इसमें इस प्रकार का प्रावधान रख कर कि पुराना कर्जा जो इस तारीख से लागू होने से पहले का लागू नहीं होगा, इसका मतलब यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होगा कि जो राजस्थान में पुराने इन्डेटेडनेस की पोजिशन है उसको सरकार का स्केल डाउन करने का इरादा नहीं है, सरकार इसके लिये उनको कोई रिलीफ देना नहीं चाहती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही फन्डामेन्टल क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी कमेटी को, किसी भी स्टेट की कमेटी की रिपोर्ट को ले लें, आपको उनके रेकॉर्ड को देखने से मालूम होगा कि पंजाब सरकार ने इस प्रकार की कमेटी बैठाई और इसके लिये कदम उठाया और दूसरी जगह भी इसके सम्बन्ध में कदम उठाया गया है। लेकिन आज हमारी राजस्थान सरकार ने, १६ वर्ष हो गये; लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जिससे देहाती जनता पर कर्जा है उसको किसी तरह से स्केल डाउन किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी हो सकती है, जब हम इस एक्ट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दें तो वे तमाम दावाजात जो कर्ज से ताल्लुक रखते हैं कितने ही अर्से पहले कर दिये गये हों, पर भी वह एक्ट उन पर लागू होना चाहिये। यह जो सब-क्लॉज़ (१५) में है, इसका हर धारा में जिक्र है :

"Suit to which this Act applies" means any suit or proceeding..." Now 'proceedings, means executive Proc eedings also."

इसका मतलब यह कि यह धारा मेन सेन्टर है, यह एक प्रकार की जान है, यह सारे एक्ट की आत्मा है, यदि यह इस हद तक महदूद रहे कि इस एक्ट के लागू होने तक प्रोसीडिंग हो तो मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी कमी होगी और जो बहुत बड़ा काम आप करना चाहते हैं वह एक स्ट्रोक ऑफ पेन से खत्म करने की कोशिश है। इसलिये मैं इस एमेन्डमेंट को मूव करके, मैं चाहता हूं कि यह सूट को जहां पर डिफाइन किया है, मैं समझता हूं कि एग्जिक्युशन प्रोसीडिंग में शामिल है। इसके बारे माननीय मन्त्री उत्तर देते वक्त इसको एक्सप्लेन करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सूट्स की डेफिनिशन है: "Suit means execution proceedings".

श्री रामानन्द (अग्रवाल) : इसमें एग्जीक्युशन आ गये तो मैं पहले के तमाम एग्जिक्युशन प्रोसीडिंग्ज़ को, जो पहले के कर्जे दिये गये हैं उनको इस एक्ट में लागू करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई एमेन्डमेंट्स पेश हुए हैं उनके संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक यह एमेन्डमेंट इसके पहले सेन्टेंस में किया गया है, इसका पहला सेन्टेन्स वास्तव में बहुत ही डिफेक्टिव है। अभी जनरल डिबेट के समय सामने आया कि लोग आइन्दा प्रिन्सिपल को इन्टरेस्ट में जोड़ कर खाता बना लेते हैं और किश्तों में लेते हैं और वे किश्तें इस डेफिनिशन में नहीं आवेंगी। इसलिये जो यह इन्टरेस्ट है वह it may be express of implied, इस तरह का कोई प्रावधान इसमें होना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने इसमें एक एमेन्डमेन्ट रखा है शायद वह इसकी पूर्ति नहीं करे, इसको शायद और कन्फ्यूज़ कर दे इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन

(श्री राधानन्द अग्रवाल)

कहूंगा कि वे अपनी तरफ से इस पर विचार करके कोई एमेन्डमेन्ट लावें।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मनी एडवान्स करता है तो वह मनीलेंडिंग बिज़नेस के लिये करता है, यह माना जाना चाहिये कि यह लोन है वह इन्टरेस्ट के लिये ही दिया गया है। यह मान कर चलना चाहिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी कुप्रथा है उसको वैसी की वैसी छोड़ देंगे और इसलिये वे मनीलेंडिंग करने वाले पकड़ में नहीं आवेंगे और ज्यादा इस प्रकार से करने लगेंगे कि १००) रु० के दो सौ रुपये लिखवा लेंगे और किश्तों में उनको वसूल करते रहेंगे। इस प्रकार वे कानून के बन्धन में नहीं आवेंगे।

दूसरी बात, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी कि मॉर्टगेज, जो जमीन गिरवी रखवा कर लोन देते हैं उनको इससे एग्ज़ेम्प्ट करना चाहिये। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के लोग जो सिक्योर्ड लोन देते हैं और जो किसानों की जमीन को गिरवी रखवाते हैं उनको किसी प्रकार से मनीलेंडर्स नहीं माना जाए और उनको किसी तरह से राहत मिलेगी, वह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की और उनकी पार्टी की नीति है कि पहले सेन्टेन्स में यह कह देते हैं कि हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं, जैसा कि उन्होंने ओपनिंग में भी कहा और पीछे की तमाम स्पीच और सेन्टेन्सेज़ इस प्रकार के जो उसको कबर में दफनाने की बात है, इस प्रकार के हमारे माननीय सदस्य बातें करते हैं। हम कहते कि आप बड़ा भारी स्वागत करते हैं, लोगों को वैसे कर्जा नहीं देकर जमीन गिरवी रखवा कर कर्जा देना चाहते हैं जो सिक्योर्ड लोन है। उसमें आप उनको मुसलसल करवाना चाहते हैं।

दूसरा माननीय सदस्य जनसंघ के हैं उन्होंने एमेन्डमेंट रखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इसके परव्यू में लिया जावे और नीयर रिलेटिव हैं उनको निकाल दिया जावे। उनकी पार्टी की नीति है, वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ जहर खाये बैठे हैं लेकिन कोऑपरेटिव के लिये कह दिया इसलिये कि उनके नेता ने कह दिया, मैं यह कहूंगा कि इस तरह के एमेन्डमेंट लाकर वे फायदा पहुंचाने के बजाय उनकी कब्र खोदने की जरूर कोशिश करेंगे।

खैर, यह उनकी नीति है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन तबकों के लिये, जनता के लिये इस बिल को लाया जा रहा है, उनके हित में नहीं है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जहां तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन है कन्ट्रोल में है। हां, यह बात है कि इसमें अव्यवस्थाएं हैं पर वे इससे हल नहीं होने वाली हैं। इसलिये मैं इन दोनों एमेंडमेंट्स का विरोध करता हूं। कुछ एमेंडमेंटस इस प्रकार के लाये गये हैं जिनमें विधवाओं के नाम पर, लड़ाई का मामला चला तो फौजियों के नाम पर और किसी के नाम पर मनी लेंडर्स की तरफ से वकालत की गई है, एक तरह से जैसे रहम की सी दरख्वास्त की गई है कि विधवाओं के नाम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर, फौजों के नाम पर ब्लेक मार्केट के लिये रास्ता खुला छोड़ दो, ताकि इस प्रकार के अमेंडमेंट को स्वीकार करने के बाद विडोज़ के नाम से धन्धा करके ब्लेक मार्केट करलें। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के एक माननीन सदस्य की तरफ से इस प्रकार का अमेंडमेंट सर्कुलेट हुआ है कि जो ५ हजार तक का कर्जा देते हैं उनको एग्जेम्पट कर दिया जाय। यह अमेंडमेंट अगर स्वीकार लिया जाय तो फिर इस बिल का किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं। इस तरीके के लोग देहात से फैले हुए हैं। उन्होने बड़ी आसानी से कह दिया कि ५ हजार रुपया कर्ज देने वाला ५०) रुपये माहवार कमाते हैं और इस तरह का धन्धा करने वाले मामूली लोग हैं। मैं समझता हूं, वे भी देहात के रहने वाले हैं, वे जानते हैं, सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं, १) रु० सैकड़ा माहवार पर कहीं किसानों को कर्ज मिलता हो, यह बात तो कसी पर भी देखी नहीं गवनमेंट। खुद जानती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज भी जानती हैं कि देहात में ब्याज दो पुराने पैसे की रुपया, यानी तीन रुपया की सैकड़ा से ज्यादा परसंटेज पर कर्जा दिया जाता है और कर्जा देते वक्त कटौती और लेते हैं। माल देते वक्त साहूकार का भाव अलग लगता है और माल लेते वक्त अलग भाव लगता है। देते वक्त एक सेर कम देता है और लेते वक्त एक सेर ज्यादा लेता है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपने धन्धा किया होगा इसलिये आपको मालूम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ५ हजार तक की छूट की बात कहते हैं, पर इन लोगों का हिसाब लगायें तो इन लोगों को आमादनी ५ हजार के लेन-देन के व्यापार में टर्न ओवर ५००) रुपया तक होता है, ५०८) रुपया तक की माहवार आमदनी इनको ५ हजार के लेन-देन में हो जाती है। तो इस तरह से अगर यह लूप होल छोड़ेंगे तो जिस तरह सीलिंग में लोगों ने डिविज़न ऑफ फेमिली करके सीलिंग में बचने का तरीका निकाला उसी तरह इसमें भी होगा और एक ही फेमिली के १० आदमियों के नाम से पांच पांच हजार का धन्धा अलग अलग दिखाकर पचास हजार तक के लेन देन को इस कानून में एग्जेम्प्ट करा लेंगे। तो इस तरह का प्रोविजन रखा कर आप इस कानून को बिल्कुल इवेड कराने की बात कर रहे हैं, इस कानून को बिलकुल खोखला और बेकार बनाना चाहते हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्य श्री तेजारामजी गहलोत ने बेजुअल लोन्स के बाबत अमेंडमेंट दिया है, किसान फसल पर आपस में एक दूसरे से बीज लेते हैं तो मेरा निवेदन है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इस पर ब्याज वगैरह नहीं होता इसलिए वह पहले ही कानून में कवर्ड नहीं है, तो इसमें इस कानून से कोई हैरेसमेंट होगा, यह बात नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : When will it be implied ? आपने कहा है कि इन्ट्रेस्ट इम्प्लाइड है, बाड़ी लेते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : When it is not implied ? बाकी पर तो साहूकार देते हैं, किसान नहीं देते ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राइट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह कहा गया है कि पेंशनर हैं, नौकरी पेशा हैं उनको दिक्कत हो जायगी तो इसके लिए प्रोविजन है । एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन के बारे में माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है तो उनकी मंशा के माफिक इसमें ऑलरेडी प्रोविजन है, इसलिए इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं ।

इन बातों के साथ माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं और जिन अमेंडमेंट्स का मैंने विरोध किया है उनका विरोध करता हूँ और जिन अमेंडमेंट्स का मैंने समर्थन किया है, उनका समर्थन करता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष, बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन तरमीमें पेश की हैं; पहली तरमीम तो यह है कि क्लॉज २ के सब क्लॉज (६) में 'और ट्रस्ट', 'और एशोसियेसन' 'इन शब्दों से पहले और एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाय । दूसरी तरमीम यह पेश की है कि पार्ट (सी) में "any statutory board or a State Undertaking or a Co-operative Society" यह जोड़ कर इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाय और तीसरी तरमीम यह है कि कि (i) के सब पार्ट (iii) को डिलीट कर दिया जाय ।

जहां तक पहली और दूसरी तरमीमों का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें एग्जेम्ट करने का सवाल उठ सकता है, जो लोन देते हों, पर एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन या दूसरे इन कामों के लिए लोन देते हों, ऐसा प्रश्न अधिक उत्पन्न नहीं होता तो भी वर्तमान में इसके (बी) पार्ट में यह मौजूद है । 'relating to a public & religious charitable object," ये शब्द हैं इनमें यह सब शुमार हो जाता है । ये सब इनको वर्तमान डेफिनिशन में ही शुमार हो जाते हैं ।

कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग प्रावधान है । स्टेट अण्डरटेकिंग्ज या स्टेचुटरी बोर्ड का रुपया उधार देने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

तीसरा जिस पार्ट को डिलीट करने का आपने अमेंडमेंट रखा है वह (आई) का सब पार्ट (iii) है, जो इस प्रकार है :

"(iii) a loan, by a landrord o his tenant, of not more than fifty rupees per acre of land held bv the tenant; Explanation—The expression 'tanant' shall have the meaning assingned to it in the Rajasthan Tenany Act, 1955 (Rajasthau Act 3 of 1955);"

Page No 107

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और इसके साथ एक्स्प्लेनेशन है। इसको डिलीट करने की तरमीम रखी है। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है इस तरमीम से मैं सहमत हूं, और इसको डिलीट करने की मैं स्वीकृति देता हूं। यह सब पार्ट डिलीट कर दिया जाय।

इसके बाद में श्री तेजारामजी ने अमेंडमेंड रखे हैं, उनका सबसे पहला अमेंडमेंट जिसको और भी माननीय सदस्यों ने रखा है मनी लेंडिंग बिज़नेस को डेफिनिशन में तरमीम करने के सम्बन्ध मे है, इसके लिये उदाहरण भी दिये और ऐसा बताने की कोशिश की कि बहुत से लोग केज्युअली, रिश्तेदारी और दोस्ती की वजह से जिन्स में, कैश में ट्रान्जेक्शन करें उनको छूट मिलनी चाहिये। एज़ ए मैटर आफ फैक्ट्स इसमें हर चीज डिफाइन्ड मिलेगी, १९२७ का इंग्लैंड का मनी लैंडर्स एक्ट है, ब्रिटिश मनीलैंडर्स एक्ट, उसके आधार पर इसकी डेफिनिशन है और इसका यह मतलब है कि रेगुलेरिटी, कन्टिन्युइटी, फिक्सिटी होनी चाहिये तभी मनीलेंडिंग का बिज़नेस कहलाता है। यदि किसी आदमी ने अपने रिश्तेदार या दोस्त की मदद के लिये उसको ५०० रुपये कर्ज दिये और वह यदि उससे ब्याज लेता है तो भी यह मनीलेंडिंग बिजनेस की तारीफ में नहीं आता क्योंकि यह सिंगल ट्रान्जेक्शन है, इसमें कोई रेगुलेरिटी, कन्टीन्युइटी, फिक्सटी नहीं है इसलिये इसे मनीलेंडिंग का बिज़नेस है, ऐसा शुमार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रिवी कौंसिल, इन्डियन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट हैं। इसलिये जो सुझाव (ए) और (बी) में केज्युअल को बढ़ाने का किया है और जो शब्द बढ़ाने का लिये मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने इसके सम्बन्ध में 'रिलेटिव' शब्द बढ़ाने का जिस बैक ग्राउन्ड से कहा, और किसी दूसरी मंशा से इसके प्राविज़न्स को डिफीट करने की मंशा हो, वह बात अलग है, पर जिस बैक ग्राउण्ड से कहा है वह सब इसमें मौजूद है, in face of the Ruling of the various decisions of the High Court.से स्पष्ट है।

इसलिए माननीय तेजारामजी ने इस सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट्स रखे हैं मैं उनको स्वीकार नहीं करता।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में एक अमेंडमेंट तो वह रखा है, जिसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं, और दूसरे दो अमेंडमेंट्स हैं। उसमें एक अमेंडमेंट है इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए। इसको महत्वपूर्ण बात समझकर माननीय सदस्य ने तरमीम के रूप में रखा है। वे इस तरमीम रखने से पहले सारे एक्ट को स्टडी कर लेते और उसके अन्दर इस तरह के प्रावधान यहां कर देने से सारी स्कीम डिस्टर्ब होती है या नहीं, उसका अनुमान होता तो शायद इस तरमीम को नहीं रखते।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे एक्ट की स्कीम यह है कि हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से न लेकर, बल्कि इस सेक्शन....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That is what I say.

Page No 108

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक इस स्कीम का सवाल है, हमने स्पष्टतः यह बताया है कि "Before the commencement of this Act" और इसकी वजह इसके अन्दर जैसा आपका क्लॉज ११ है, इसमें आपने कोई तरमीम नहीं चाही २० ए में और दूसरे प्रावधानों....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे कम सक्यूलेट होंगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब जैसा क्लॉज ११ है :

" After the expiry of months from the date on which this Act comes into force, no court shall pass a decree in favour of a money-lender in any suit filed by a money-lender to which this Act applies, unless the Court is satisfied that at the time when the loan or any part thereof to which the suit relates was advanced the money-lender held a valid licence"

यह सारी स्कीम है और उधर आप कहते है कि इस प्रावधान में " Before the commencement of this Act. " के ट्रान्जेक्शन पर लागू हो। इसके अन्दर दो मुद्दे हैं। पहले तो सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाने से सारी स्कीम डिस्टर्ब होती है, जिसका कोई ऐप्रोप्रिएट अमेंडमेंट नहीं है। इसलिए दोनों के आधार पर मैं माननीय सदस्य की तरमीम को अस्वीकार करता हूं।

इसके अलावा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ तरमीमें रखी हैं। मैंने उस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि मैं उन तरमीमात से असहमत हूं और मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

इसलिए जो एक तरमीम मैंने मन्जूरी की है उसके अलावा बाकी तरमीमात जो माननीय सदस्य ने रखी हैं वे अस्वीकार की जायं या मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इन्हें वापस लें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of information, हम वापस लें उससे पहले मेरा एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स जो कर्जा देती हैं उस पर तो लागू हुआ या नहीं, वह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन जब कर्जा लेती हैं और ऐसे आदमी से लेती हैं जो कि....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिल अगर ध्यान से देखें तो रूरल इकोनोमी और रूरल क्रेडिट को रेग्युलेट करने के लिए हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : जो दावा दायर करे उसमें लाइसेन्स नम्बर पहले न कोट किया जाय तो आपको कोई ऐतराज है या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह थर्ड रीडिंग में आ जायगा।

श्री अब्दुल जब्बार. उप-मन्त्री महोदय कहते है कि उसमें लाइसेन्स नम्बर पहले कोट

(श्री अब्दुल जब्बार)

किया जाय। जो प्रोवीजन्स यहां रखे हैं दावा दायर करने के ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आइमेन्स नम्बर कोट कर दिया जाय, यह बहुत गौण चीज है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : You have not replied to the other amendmentment'—with the interest or otherwise' There is some difficulty regarding that.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I am sorry, उपाध्यक्षजी, एक तरमीम यहां रखी गई है कि " इन्टरेस्ट " के आगे और अदरवाइज' शब्द बढ़ा दिया जाये, मैं इस तरमीन से सहमत नहीं हूं; कारण यह है कि सब क्लॉज ६ में जो इनटरेस्ट की डेफीनिशन दी हुई है उसको यदि पढ़ लें तो उनके विचारों की मन्शा पूरी होती है :

" interest' includes any sum,by whatsoever name called, in excess of the principal paid or payable to a money-lender in consideration of or otherwise in respect of a loan, but does not include any sum lawfully charged by a moreylender for or on account of costs, charges or expenses in accoraance with the provisions of this Act or any other law for the time being in force"

तो इसके होने की वजह से चाहे वह किसी नाम से चीज आता है, अगर उस एक्ट या रूल्स में प्रवाधान है फीस या दूसरी चीजें, उनके अलावा कोई चीज लेता है, वह इन्टरेस्ट बन गया। इसलिये यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में कोई तरमीम की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I want to reply.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर हर अमेंडमेंट पर इस प्रकार हर एक मेम्बर देना शुरू कर देगा ....

उपाध्यक्ष : There is no right of reply.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have a right to speak.

श्री उपाध्यक्ष : But when there is a third reading......

श्री रामानन्द अग्रवाल : Even during the general discussion this view was not taken...

श्री उपाध्यक्ष : You have a right to speak but when there is a third reading and that is specially reserved if there is anything to be said. According to the Procedure, therefore, you will please stick to that.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am asking time according to the procedure.

श्री उपाध्यक्ष : Well there is nothing like that.

Page No 110

श्री रामानन्द अग्रवाल : I may refer to rule 277.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेज ७७ पर है :

'Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right to reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker.

स्पीकर साहब इन्कार फरमा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : It is quite clear. And if you have to say, you will get chance. Because if I allow you, I will have to allow everybody and that will waste the time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This point was not at all brought out. The Hon. Minister has put a point of view which is not according to law or according to the facts. If you give me sometime, I shall clarify that situation. It is a basic question.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The Government is not prepared to apply it from retrospective effect.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Government may not be prepared but it is a stand and we want to convince you.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Shri Mohan Raj, will you please withdraw your rest of the amendments.

श्री मोहनराज (बाली) : मैं विद्ड्रा करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मन्शा है कि डिलीशन के अमेंडमेंट के अलावा जितने अमेंडमेंट्स श्री मोहनराज ने रखे है उनको विद्ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : One has been accepted.

श्री उपाध्यक्ष : केवल उसके अलावा । प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मोहनराज ने रखा है "Omit sub-part (iii) of part (i) 'उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मैं अपने अमेंडमेंट्स को विद्ड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है........

श्री मोहनराज : उपाध्यक्ष महोदय जो अमेंडमेंट ड्रोप किया गया है उसके साथ

Page No 111

(श्री मोहनराज)

जो एक्सप्लेनेशन है वह भी ड्राप किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो है ही।

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(विराम

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : One of my amendments has been accepted. I stand for the other.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ पर जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, यथासंशोधित, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला

खण्ड ३ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Replace the words "such persons whether public officers or not" by the words "any Public officer."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Delete the words "such persons, whether public officers or not, as it thinks proper, to be' appearing after the word 'appoint.']

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ पर मेरा संशोधन है और मैं समझता हूं कि वह संशोधन मेरा स्वीकार किया जायगा और यदि नहीं किया जायगा तो हम किसी भी हालत में जनसंघ की तरफ से उस बिल को सहन नहीं करेंगे, इस सदन में बैठकर साथ ही साथ यह भी घोषणा कर दूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमने गिनती की है, कितने भूतपूर्व मिनिस्टर ऐसे हैं जो निठल्ले बैठे हैं, हारे हुए हैं जिनकी ३७, ३८ की संख्या आती है जो निठल्ले बैठे हुए हैं उनको जगह देनी है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 'निठल्ले' शब्द अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ठहले कहिये।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा मतलब यह है कि जिन्होंने पैसा कमाया है और कमाना चाहते हैं क्योंकि वे हार गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसी पर बोलिये।

श्री विजयसिंह झाला : मैं कहना चाहता हूं कि कुछ उन नेताओं को रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल बनाना चाहते हैं इसलिये इसमें जो प्रावधान है, रजिस्ट्रार कौन होगा उसमें लिखा है : "The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such persons, whether public officers or not..."

चाहे वह पब्लिक ऑफिसर हो या गैर सरकारी आदमी हो उसको भी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल इस क्लॉज़ के अनुसार बना सकते हैं। नियम बनाने का प्रावधान है। नियम बनाते वक्त कोई आधार या क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल के लिये होगा, जो आपका प्रोविजो है, वह उसमें भी आपने नहीं रखा है। तो मैं समझता हूं कि आज के युग में, इस प्रजातन्त्र युग में सरकार कोई ऐसी शक्ति अपने हाथ में लेती है उसका उपयोग करते समय अपनी पार्टी ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सके, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते।

उसके बाद रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल के जो शक्ति दी है या पॉवर्स दिये हैं उनके अनुसार वह जब कभी चाहेगा, जो मनी लेंडर मनी लेंडिंग का धन्धा करता है उसको भी और उसको शक हुआ किसी व्यक्ति पर कि वह मनी लेंडिंग का धन्धा करता है वह उसके घर की तलाशी ले सकता है। उसका रिकॉर्ड देख सकता है, उस पर जुर्माना कर सकता है ५००) रु० प्रतिदिन। छः महीने की सजा का प्रावधान है। ऐसी शक्ति आज पार्टी बाजी के आधार पर, राजनैतिक आधार पर, प्रजातन्त्र के युग में रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल को देना हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिये दो शब्द इसमें मैं हटवाना चाहता हूं। पब्लिक ऑफिसर के बाद "or not" शब्द रखे हैं, उनको आप हटा दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको खतरा मालूम हो रहा है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी चिल्लाहट पर खतरा मालूम हो रहा है।

उपाध्यक्ष : Order please।

श्री विजयसिंह झाला : आप बारह महीने इधर बैठ जाइये, आपको भी खतरा मालूम हो जावेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भादरा) : जब आप नहीं होंगे।

श्री विजयसिंह झाला : हम नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please : (उपमंत्री महोदय से) You don't care to reply each and every interruption.

श्री विजयसिंह झाला : उधर के यदि न बोलें तो कहने का मौका ही नहीं आवे।

(श्री विजयसिंह झाला)

वे बार बार इन्टरप्ट करते है । यह शोभा की बात नहीं है ; हम जावेंगे उससे पहले आप जावेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : कहां जावेंगे ?

श्री विजयसिंह झाला : कामराज प्लान सबसे पहले ले डूबेगा तो आपको ले डूबेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Does not matter. You ignore it.

श्री विजयसिंह झाला : हमारी पार्टी की तरफ से हम यह सिफारिश करते है कि जल्दी से जल्दी इनको कामराज प्लान में ले लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं प्रस्ताव रखूंगा कि रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल के लिए "or not" शब्दों का प्रयोग किया है उससे किसी गैर सरकारी आदमी को नियुक्त सरकार कर सकती है । गैर सरकारी आदमी आप नियुक्त न करें, इसके लिये आप इनको हटा दीजिये । इस प्रकार के शब्द रख कर आप उस शक्ति के अन्तर्गत अपने हारे हुए साथी को या मिनिस्टर को या किसी नेता को आप नियुक्त करना चाहते है, रजिस्ट्रार को न्याय करने का, एक जज का अधिकार दिया है, इसलिये न्याय के दृष्टिकोण से भी, व्यवहार के दृष्टिकोण से भी और प्रजातन्त्र के तकाजे के दृष्टिकोण से भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते इसलिये आप "or not" शब्दों को हटा दीजिये, इसमें मेरा केवल इतना ही संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (प्रलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है "or not" शब्द के अलावा और आस-पास जो शब्द है "such persons, whether public officers or not, as it thinks proper, to be..."

उन शब्दों को डिलीट करने के लिये है । मकसद इस अमेंडमेंट का वही है जो माननीय सदस्य ने अभी कहा था; लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था जनरल बहस में उसमें उन्होंने यह कहा था कि हमारा "or not" शब्द से मकसद यह है कि जो इलेक्टिड बॉडीज है उनको हम फ्युचर में कभी भी अधिकार दे सकें । अगर ऑनेस्टली उनका यही इन्टेन्शन है तो मैं समझता हू, वे अपनी तरफ से अमेंडमेंट करके "or not" के बजाय "or any elected body"; इस तरीके का स्टेच्यूट में ही इन शब्दों को रख देते हैं तो इसकी मंशा पूरी हो हो जायगी । उन्होंने यह भी कहा है "or not", शब्द से माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो उनको रखने का उनका बहुत बड़ा आग्रह भी भी नहीं है । तो समझता हूं कि वे इन दोनों बातों में से एक बात स्वीकार कर लें । चाहे तो इन शब्दों की जगह इलेक्टेड बोडी लिखें या इनको हटा दें, मैं अपना अमेंडमेंट उस हालत में वापिस लेता हूं । चाहे जिसको मंत्री महोदय पॉवर्स लेकर अपाइन्ट करना चाहें

Page No 114

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह उचित नहीं है। मंत्री महोदय उसको हटा दें, मैं समझता हूं कि वह सदन की भावना के अनुकूल होगा। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि किस वजह से इसको प्रटेजेक्ट किया गया है, सन्देह पैदा होता है और किन बातों के लिये इन्सिस्ट किया जा रहा है, स्टेच्यूट में लाया जाय। केवल भाषण में बातें कह देते हैं उससे महदूद न रखा जाय। एक तो कोर्ट्स यहां की बहस को इन्टरप्रेट करते हुए यहां की बहस को देख कर जुडिशियल कार्यवाही नहीं करते, यह कोई रिलेवेन्ट बात नहीं होगी, जो इन्टेन्शन है माननीय मंत्री महोदय का वह स्टेच्यूट में लाना चाहिये।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इस सरकार की ओर से जो भी सोलेमनली एश्योरेन्सेज दिये गये, प्लेजेज दिये गये, कई बार तो उसी सदन में उससे पीछे हट गये या दूसरे सदन में आकर पीछे हट गये; कहने लगते हैं कि हमने लीगल ओपीनियन नहीं ली थी, कॉन्स्टीटयूशन नहीं देखा था। ये इस किस्म की बातें हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी कही हुई बातों से पीछे हटने की बात करती है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के अनुसार नहीं है। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल किसी दूसरे की गवर्नमेंट हो सकती है। इस प्रकार के आर्बिट्रेरी पॉवर्स किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दिये जाने चाहिये, जो, दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग करके किसी भी पार्टी के नाम से इस्तेमाल किये जा सकते है; खास तौर से जो पार्टी इन पॉवर है वह बदनाम हो। आज आप अपने किये हुये पापों को धोने का कोशिश कर रहे हैं, कहां तक वे धुल कहां तक नहीं धुल पायेंगे, वह दूसरी बात है। जिस हद तक आपके काम हैं, जिस तरीके से कार्य करते हैं, फेवरटिज्म नेपोटिज्म, करप्शन को आपने पनपाया है जिससे आप पर कोई भला आदमी विश्वास नहीं कर सकता है। इस गवर्नमेंट के एश्योरेन्स पर कोई विश्वास नहीं। हम इसे इन्सिस्ट करेंगे, आप चाहें तो दोनों आल्टर्नेटिव्ज में से किसी को मन्जूर कर लें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मन्त्री राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ में जो तरमीम प्रस्तुत की है कि और यह शंका जाहिर की है कि जहां 'पब्लिक ऑफीसर्स' आते है, ये शब्द 'or not' हैं इनको रखने से यह आशंका होती है सरकार कभी भी उन लोगों को जो ऑफीसर नहीं है, रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जनरल के पॉवर दे सकती है, इसलिये ये शब्द न रहें। मैंने बहस के पहले भी कहा था और मैं उसको फिर दोहराता हूं कि हमने जो वर्ड्स रखे हैं वे केवल इस लिये रखे है कि आज तो पंचायतों और न्याय पंचायतों का प्रारम्भिक मामला होने की वजह से ऐसा अनुभव नहीं करते, इन सब कामों को अन्जाम दे सकते थे। यह प्रावधान इसलिये रखा गया है कि कभी भी पॉवर्स इनको देने की बात आवे तो बिना कानून में तरमीम किये अधिकार दे दिये जांय, इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है। लेकिन अभी इस बारे में जो शंकायें व्यक्त की गई थीं, इस संबन्ध में कहा गया था कि इस प्रावधान मे यह शंका होती है तो इसको रखने मे मेरा कोई आग्रह नहीं; हालांकि मैं आपकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ हूं...

Page No 115

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काफी बिकते हैं।

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : फिर भी मैं इस समय जो मैंने बात कही उसके मुताबिक मैं इस तरह की तरमीम करता हूं :

"In clause 3, for the words, 'persons, whether publico fficers or not' substitute the word 'officers'.

बाकी के शब्द विलोपित हो जाते हैं। जिससे इसके अन्दर ऐसी आशंका नहीं रह सकती; इसलिये इस तरमीम को प्रस्तुत करता हूं, फिर यह सवाल पैदा नहीं होगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : "Such public officer" क्यों नहीं कर देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'Officer' is a 'public officer.'

श्री उपाध्यक्ष :(श्री विजयसिंह झाला व श्री रामानन्द अग्रवाल से) माननीय मन्त्री महोदय के संशोधन रखने के बाद क्या आप अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले मेरा अमेंडमेन्ट ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : These two are withdrawn.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उपमन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा संक्षेप में ही कहें ताकि इसको पारित कर दिया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य क्लॉज यह है :

"5.......Save as provided in section 46, no money -lender shall, after the exp ration of six months from eht date on which this Act is brought into force, carry on or continue to carry on the business of money-lending except in the area for which he has been granted a licence and except in

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

accordance with the terms and conditions of such licence."

मैंने इसके नीचे प्रोवीजो जोड़ने का प्रस्ताव रखा है :

"Provided that no person shall be bound to apply for a licence to carry on the business of money-lending if his total investment in money-lending business does not exceed Rs. 5,000 and this Act shall not apply to him except for the purposes of Sections 25 and 27."

अभी पहले यह शंका की थी कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो मनी लैंडिंग करते हैं और रेट चार्ज करते हैं, उन पर सेक्शन २५ और २७ लागू होता है । जहां तक रेट ऑफ इन्टरेस्ट का सवाल है उस पर कन्ट्रोल होगा, वह उससे ज्यादा रेट ऑफ इन्टरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता । सेक्शन्स २५ और २७ इस पर लागू होंगे । उनको लाइसेंस लेने की जिम्मेदारी न रखी जाय, लाइसेन्स उसी व्यक्ति को दिया जाय जो पांच हजार से अधिक का धन्धा करता है । डेटर पर कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है, उससे ज्यादा फीस लें वह प्रोवीजन इसमें लागू होता है जो भी स्टेट ने रेट प्रेस्क्राइब्ड की है वही उस पर लागू होती है । जो छोटे छोटे लोग हैं जो बहुत कम रुपया उधार देते हैं उन पर सेक्शन २६ व २७ के अलावा लागू होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I want to oppose this amendment.

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था माननीय सदस्य ने जो अभी अमेन्डमेन्ट रखा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं । जिस रूप में अमेन्डमेन्ट आया है, जनसंघ का इस बिल को किस रूप में सपोर्ट है यह इससे प्रगट होता है । यह दूसरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का है । मोर्टगेजी का एग्रीमेन्ट कर दे और दूसरा पांच हजार तक का कर्ज देने वाले को जिसके लिए कहा गया कि इनको सिर्फ लाइसेन्स की बात से बचाना चाहते हैं इस तरह से जो बचाना चाहते हैं वह इस बिल में पीठ पीछे से छुरा भोंकना है । एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का अमेन्डमेन्ट लाकर छुरा घोंपते हैं, यह नीति जनसंघ ने अपनायी है । इससे बड़ी वकालात मनीलैंडर्स की और कोई नहीं हो सकती । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट का जो माननीय सदस्य ने रखा है सख्त विरोध करता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बातें कहनी होंगी । जो आपत्ति की है उसमें मुझे आपत्ति नहीं कि आप पनिशमेन्ट दें । मेरा अनुभव यह है कि जो लाइसेन्स रखने की पद्धति है, लाइसेन्स हिसाब रखने की क्वार्टर्ली रिटर्न की बात है उसके लिए कह रहा हूं । बाकी दूसरी....

श्री उपाध्यक्ष : You cannot speak second time.

Page No 117

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो मान्नीय सदस्यों ने रखा है, उसकी बहस में गहराई में जाना नहीं चाहता मैं और अग्रवाल से माने वालों ने भी कह दिया है तो मैं इतना ही कह देना काफी समझता हूं कि मैं इस प्रकार के प्रस्ताव का, जिस रूप में यह रखा गया है, विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से भी अनुरोध करूंगा कि वे इसे वापिस ले लें। मनी लैंडिंग बिल की स्कीम में इस प्रकार के प्रावधान, जैसा उन्होंने चाहा है, अनुकूल नहीं पड़ता है इसलिए वे इसे वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : I want to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह सम्मति है कि उनको इसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं इसे वापिस लेता हूं।

(संशोधन वापिस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६ श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संशोधन इस प्रकार है :

In sub-clause (4) —

(a) in part (a), for the figure "5", substitute the figure "15" ;

(b) in part (b), for the figures "5" and "2" subtitute the figures "15" and "6" respectively.

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज् ६ के अन्दर 'ए' पार्ट में फिगर ५ के बजाय १५ करने का प्रस्ताव मैंने किया है और पार्ट बी में २ को ६ से सब्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव किया है। ये संशोधन इस कारण से किये हैं क्योंकि पहले लाइसेन्स का ड्यूरेशन एक साल का था, उसे बाद में तीन साल का प्रोपोज किया है। तो जब जब वह तीन साल का होना है तो उसी प्रोपोर्शन में लाइसेन्स फी भी होनी चाहिए। तो यह अमेन्डमेन्ट कॉन्सीक्वेन्शयल है, इसलिए इसे स्वीकार किया जावे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : संशोधन इस प्रकार है : In part (a) of sub-clause (b) replace the figure "5" by the figure "25".

Add the following provise to sub-clause (4) :—

"Provided that where the money lending business increases more than twenty thousand rupees. The licence

Page No 118

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

fee shall be chargeable at the folol-wing rates :—

more than Rs. 25,000 but less than Rs. 50,000 Rs. 50

Upto Rs. one lakh and for every subsequent lakh of rupees. Rs. 100

उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल से सदन का समय पांच मिनट बाकी रहा है तो या तो समय बढ़ा दिया जावे या मुझे कल कन्टीन्यू करने की इजाजत दी जावे।

इतने कम समय में तो अपना कथन समाप्त नहीं कर सकूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं बढ़ाया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अब आप ८ बजे मुझे अपना कथन समाप्त करने को कहें तो इसमें कोई तुक नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका अमेन्डमेन्ट कोई स्वीकार तो होगा नहीं, इसलिए नहीं भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो मैं बोलूं, तब तक के लिए समय बढ़ाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें तब तक नहीं बढ़ेगा समय। जितना समय है उतना ही रहेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इतने में तो क्या बोल सकूंगी ? बीच में ही रहना पड़ेगा। मुझे सिर्फ दस मिनट बोलना है। ज्यादा लम्बा-चौड़ा बोलना नहीं है। तब तक समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट तो हैं ही, आप बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : अब तो इस घड़ी में पांच ही रह गये हैं। उधर की घड़ी में दस हैं, पर इधर की में तो पांच ही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पांच मिनट में तो मैं पूरा नहीं बोल सकूंगी, उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : कल बोल लेना।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जिस उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत किया गया है उस बिल और उद्देश्य का मैं स्वागत करती हूं। मैं ही क्या कोई भी समझदार व्यक्ति इस बिल का स्वागत करेगा। जिसमें जरा सी भी मानवता होगी, वह इसका स्वागत किये बिना नहीं रह सकता।

यह बिल जिस मूल उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत किया गया है, वह मूल उद्देश्य यह है कि आज तक बोहरों के द्वारा जो हमारे किसानों के ऊपर, कर्जदारों पर, और गरीबों के ऊपर जुल्म और ज्यादती...

श्री विजयसिंह झाला : On point of Order, Sir, इस घड़ी में पांच मनट बाकी हैं और उसमें दस मिनट बाकी हैं। किसे सही मानें ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने वाली घड़ी को।

Yes, continue pleese.

(व्यवधान एवं शोरगुल)

Order ! order please !! No disturbence. Order please !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो मेरे विचार से यह बिल प्रस्तुत करने का हमारा जो मूल उद्देश्य रहा है वह यह है कि आज दिन तक किसान वर्ग पर, कर्जदारों पर, गरीबों पर बोहरों द्वारा जो जुल्म और ज्यादती होती रही है उनको उससे मुक्त किया जावे।

अब हमें इस दृष्टि से इस बिल को देखना है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इस बिल को रखा है, हमारी उस मन्शा को, हमारे उस उद्देश्य को, हमारे उस मकसद को यह बिल कहां तक पूरा कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या खामियां रह गई हैं, उसमें अब किन संशोधनों की आवश्यकता है ताकि इस बिल को पूरी तरह से कारगर बनाया जा सके।

इसीलिये सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के नियमों की ओर हमारे उप-राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान खींचना चाहती हूं। किसी भी बोहरे को लेन-देन करने के लिये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह लाजमी हो कि उसका रजिस्ट्रेशन हो। यह कदम उचित व वाजिब है। पर इसके साथ में एक छूट भी दी गई है जिसके प्रति मैं अपनी असहमति प्रकट करती हूं।

जब कोई बोहरा, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, अगर किसी कर्जदार पर दावा करता है तो वह अपनी पुरानी रजिस्ट्रेशन की फीस को जमा करवा कर दावा कर सकेगा और उससे वसूली कर सकेगा। मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है, झूठ है, बिलकुल गैर वाजिब है। मेरा सुझाव यह है कि इस क्लॉज् के साथ एक क्लॉज् और जोड़ दिया जाए और वह यह हो कि जब कोई बोहरा किसी के ऊपर दावा करे, पुरानी फीस रजिस्ट्रेशन की जमा कराकर रजिस्ट्रेशन करावे, लेकिन जब उस पर दावा हो जावे तो जिस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उस तारीख तक ब्याज लेने का हकदार वह नहीं हो।

यह क्लॉज् जोड़ना, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही आवश्यक है। इससे हमें दो फायदे मिलेंगे। पहला यह होगा कि जिस मकसद के साथ हमने यह बिल रखा है उसमें सहायता मिलेगी और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन कराना हमारा मकसद है उसमें अपने आप बोहरों की ओर से सहयोग मिलेगा। बोहरा सोचेगा कि यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो मेरा ब्याज डूब जावेगा। इस डर से अपने स्वार्थवश वह आगे होकर रजिस्ट्रेशन करावेगा। इसलिये इसको अवश्य जोड़ा जावे, नहीं तो बोहरे लोग कई प्रकार से

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

अपने आपको छिपाने की कोशिश करते रहेंगे।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो रखी गई है वह कम है उसे बढ़ाया जावे। यह फीस रखी गई है सिर्फ पांच रुपया। मैं कहूंगी कि इसे पच्चीस तो रखियेगा ही। यह तो नाम मात्र की फीस रखी गई है। हम चाहे जिस दृष्टिकोण से सोचें, पांच रुपये की फीस बिलकुल गैरवाजिब है और बहुत ही कम है।

जब कि हम चारों ओर देखते हैं कि दूसरे जो जनहित के कार्य हैं, समाज कल्याण की चीजें हैं उन पर तो बहुतों पर रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत ज्यादा है; मिसाल के तौर पर मैं रेडियो की लाइसेन्स फीस की बात कहती हूं। रेडियो सिर्फ मनोरंजन की सामग्री ही नहीं है, ज्ञान वर्धक वस्तु भी है। यह जनता के हित की चीज है, पर इस हितकारी चीज पर भी फीस ली जाती है १५) रु०।

तो इन बोहरों पर जो नाना प्रकार से किसानों को गरीबों को लूटते आये हैं, उनका खून पीते रहे हैं, और ब्याज लगाकर, काटे के साथ और कटवा मित्तो का ब्याज और न जाने किन किन तरीकों से ब्याज बढ़ कर आज तक किसानों को चूसते रहे हैं, उन पर आप लगाते हैं सिर्फ ५ रु० की फीस लाइसेन्स लेने की। मैं इसे किसी तरह से इन्साफ नहीं मानती। यह बहुत ही कम है।

मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह फीस बढ़ाकर कम से कम २५) रु० की जावे, २५) रु० से कम की कतई नहीं। यह इससे किसी हालत में कम नहीं की जानी चाहिये। यह फीस उचित ढंग से लगाई जावे। आपने तो सीरियल्स पर, गरीबों की पेट की रोटी पर टैक्स लगा रखा है। आप इसे बढ़ा कर उसे कम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमें एक सोशल जस्टिस का भी ख्याल रखना है। यह कभी सोशल जस्टिस नहीं होगा कि एक बोहरा जो पांच-सात हजार का व्यापार करता है उस पर० भी आप वही फीस रक्खें और जो पचास हजार, लाख या दो लाख का बिजनेस करता है, और उससे हजारों-लाखों की कमाई करता है जिनके पैसों पर बड़ी बड़ी कम्पनियां चलती हैं और न जाने कितनी उथल-पुथल करते हैं उन पर भी वही फीस लगाते हैं तो यह कोई सोशयल जस्टिस नहीं है। यह नितान्त वाजिब होगा कि आप ऐसे व्यक्तियों पर उनकी हैसियत के अनुसार लाइसेन्स फीस लगावें। कितना रुपया उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी कैपिटल मनी कितनी है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस लगाई जानी चाहिये।

(८.०० म० प०)

जिसकी ज्यादा आमदनी है, एक सोशियल जस्टिस है, एक बिलकुल न्याय की चीज है कि एक गरीब के ऊपर और एक अमीर के ऊपर एक सा कैसे लगाया जा सकता है? मेरा निवेदन यह है कि यह जो फीस

Page No 121

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

रजिस्ट्रेशन की लगाई जाये यह ५०,००० का जहां तक लेन-देन करते हैं वहां उनकी फीस ५० रुपये होनी चाहिए, लाख तक जिसका लेन-देन हो उसकी फीस १००) रुपये होनी चाहिए, २ लाख का लेन-देन हो तो उसकी फीस २०० रुपये होनी चाहिए और ज्यों ज्यों ज्यादा का लेन-देन हो उसके ऊपर लाइसेन्सिंग फीस और ज्यादा इसी अनुपात से होनी चाहिए, जो भी मुनासिब हो वह लें और इस फीस को बढ़ाया जाना निहायत ही जरूरी है।

तीसरे उपाध्यक्ष महोदय, जो ब्याज की सीमा निर्धारित करने का सवाल है वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेन्स का सवाल है। यह ऐसा सवाल है जिससे हमारे सारे का सारा किसान समाज आज तक इन महाजनों के द्वारा, इन बोहरों के द्वारा शोषित किया जाता रहा है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी और सदियों से इस सूद के राक्षस ने हमारे लोगों का खून पी लिया है और समाज को जर्जर कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि सदन का समय ५ मिनट के लिए बढ़ाया जाये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आप (श्री रामप्रसाद लड्ढा) कन्विन्स हो रहे हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I am convinced.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इन बोहरों का जो जुल्म हमारे समाज के ऊपर हुआ है उसको इस सदन के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो समझता न हो। सभी लोग किसी न किसी रूप में इनके भुक्तभोगी हो चुके हैं। हमारे गांवों की हम दशा देखते हैं तो सारे के सारे लोग बोहरों के कर्ज से दबे हुए हैं, उनकी बुरी दशा हो रही है। मैं कहती हूं कि आज समाज के जितने बड़े शत्रु ये हैं उतना कोई नहीं है। इनके इन जुल्मों को लेकर कितनी ही कहावतें हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गई हैं, जैसे 'खोपरा की भैंस'। किसी एक बोहरे ने एक किसान को खोपरा दिया, नारियल दिया और उसका ब्याज धीरे धीरे लेते लेते खोपरे के बदले उसकी भैंस ली। यह एक ही नजीर नहीं है, बल्कि ऐसी आपको अनेकों नजीरें मिलेंगी........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्होंने तो इधर वालों से हाथी ले लिया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आज इस कहावत को हमारे राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है :

'वाणियां थारी वाण, कोई नर जाणें नहीं,
पाणी पीवे छाण, लोही अनछाण्यो पीवे।'

तो यह जो हमारी कहावतें हैं ये हमारे अनुभवों के आधार पर हैं और अपने ही अनुभव नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों के आधार पर हैं। हम लोग भुक्त भोगी हैं और तभी ये अब जनकी कहावतें हमारे सामने आई हैं। मेरा ख्याल है उपाध्यक्ष महोदय, कि

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

हमारे सन्त तुलसीदासजी जो रामयण के लिखने वाले हैं वे भी इन बोहरों के जरूर शिकार रहे थे। तभी उन्होंने रामायण में त्राहि त्राहि करके लिखा :

'धन हरे धीरज हरे, रहे दास का दास,
तुलसी कबहूं न कीजिए वणिक पुत्र विश्वास।'

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मंत्रीजी भी वणिक पुत्र हैं, उनका भी विश्वास मत कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप हाथी वालों की परवाह मत कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सूद का ऐसा सवाल है जिसको सदन में बहुत गौर के साथ इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि आज सूदखोरी की आदत है, माफ कीजिए है यह कटु सत्य लेकिन हमारा समाज इससे बदनाम हो चुका है। आज बंगाल में बंगाली की डिक्शनेरी लिखी गयी है, शब्द कोष लिखा गया है उसमें मारवाड़ी का अर्थ जानते हैं क्या लिखा है, 'सूदखोर'।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और लड्ढा साहब का अर्थ क्या लिखा है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बंगाली भाषा की डिक्शनेरी में मारवाड़ी का अर्थ सूदखोर और खून चूसने वाला, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नजीर काफी है, हमारी आंखें खोलने के लिए। सूद की प्रथा को लेकर हमारी क्या रेप्यूटेशन है और लोगों पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं तभी हमारी रेप्यूटेशन इस तरह की बनी है। मौजूदा बिल के अन्दर सरकार ने यह निश्चित किया है कि ब्याज की एक सीमा निर्धारित कर दी जायेगी। मैं इसका तहेदिल से स्वागत करती हूं। लेकिन साथ ही सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिये हैं। सरकार का कहना है कि हम बाद में सीमा निर्धारित करेंगे। यहां मेरी असहमति है। मेरा कहना है कि इसके साथ ही यह जोड़ दी जाये। इससे कई फायदे होंगे। पहला तो यह फायदा होगा कि सीमा जो निर्धारित की जायेगी उसके ऊपर सदन में बहस हो सकेगी और उस पर सदन की छाप और लग जायेगी और स्वीकृति हो जायेगी। दूसरा फायदा हमें यह होगा कि एक्ट में इसके लगाने से यह सारे राजस्थान में हो जायेगी और सभी लोग जो किसान हैं और दूसरे हैं वे भी इससे वाकिफ हो जायेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने बाद में सीमा निर्धारित की तो अलग अलग एरिया में नोटीफिकेशन करना पड़ेगा, कहीं पर नोटीफिकेशन हो जायेगा, और कहीं पर रह जायेगा और कहीं पर रह जायेगा और कहीं पर बाद में होगा। तो एकदम सारे राजस्थान में लागू नहीं हो सकेगा। दूसरे यह कि जनता को इसके बारे में पूरा पता नहीं लगेगा। इसलिए यह सीमा बिल के साथ ही निर्धारित कर दी जाये। मेरे ख्याल से ब्याज की सीमा निर्धारित करें तो सिक्योर्ड ब्याज पर १० परसेन्ट और अनसिक्योर्ड पर १२ परसेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगी, घण्टी आपकी बज गयी है। मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगी कि आप इसके बारे में सोचें और जो मैंने संशोधन पेश किये हैं उनको आप लागू करें तो हमारे इस बिल का बहुत कुछ मकसद पूरा हो जायेगा। अगर इसमें कुछ ढिलाई रह गई है या कानून की बारीकियां रह गयी हैं तो आप इस कानून को ऐसा कड़ा बनायें कि जिस उद्देश्य के साथ इस बिल को रखा गया है वह उद्देश्य पूरा हो सके।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

क्योंकि हम पर्सनल एक्सपीरियेन्स से कह सकते हैं कि सरकार "डाल डाल तो व्यापारी पात-पात"। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इधर बैठने वाले मुझसे कल कह रहे थे कि हमारे पास ५३२ तरकीबें हैं........

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ के २.३० बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ८.०५ बजे गुरुवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ के म० प० २.३० बजे तक स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक १७ सितम्बर, १९६३)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

गांधीनगर में चोरियां।

गंगानगर शुगर मिल मजदूरों की यूनियन।

ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों द्वारा रक्षा कोष के लिये वसूली।

भरतपुर में पिछड़े वर्ग के कर्मचारी।

गंगानगर में थानेदार।

कोटा में बैठक।

कोटा के पुलिस कर्मचारियों का निलम्बन।

राजस्थान स्टेट रोडवेज।

समाज-कल्याण विभाग का बजट।

नगर-पहाड़ी रोड का निर्माण।

एडवर्ड मिल ब्यावर के प्रॉविडेन्ट फन्ड की राशि।

गंगानगर जिले में समाचार-पत्रों के डिक्लेरेशन।

आयुर्वेद के प्रोफेसरों की निर्धारित योग्यतायें।

जैसलमेर में डाकू।

भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये होस्टल।

राज्य में पानी व बिजली के रेट।

नेशनल बॉल बियरिंग कम्पनी में बोनस।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये सुरक्षित स्थान।

गंग नहर पर हरे पेड़ों की नीलामी।

फौजदारी मामले।

राजस्थान कालेज के भवन का निर्माण।

स्टेट ट्रान्सपोर्ट से लाभ व नुकसान।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिविजन।

तालाब की दीवार।

जयपुर नगर में सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विस के लिये परमिट।

जलदाय विभाग के कर्मचारियों को रिवाइज्ड ग्रेड।

लेखकों एवं संवाददाताओं को अनुदान।

जयपुर-अजमेर रूट का राष्ट्रीयकरण।

कस्बा कामां को बिजली की सप्लाई।

Page No 125

आयुर्वेद औषधालय की मरम्मत।

गिरवा तहसील में सड़कें।

पब्लिक गार्डन्स पर खर्चा।

गंगापुर में चोरियां।

स्थगित प्रश्न ८१

(३-९-६३)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय।

(१०-९-६३)

एडवर्ड मेमोरियल भवन।

(११-९-६३)

गुमनाम पत्र।

२. स्थगन प्रस्ताव ८१

थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर में किसी एक १६-१७ वर्ष के व्यक्ति की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने से संबंधित श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य विधान सभा, स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

सदस्यों की जानकारी के लिए गृह मंत्री, श्री मथुरादास माथुर, ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ८८

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा, ने अजमेर अमलगेमेटेड इलेक्ट्रिसिटी, कम्पनी, अजमेर द्वारा १ अगस्त, १९६३ से बिजली की दर में ३ नये पैसे प्रति यूनिट और बढ़ा देने से उत्पन्न स्थिति की ओर विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। विद्युत मंत्री, श्री हरिश्चन्द्र, ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा ९१

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियमों १२७ के अन्तर्गत श्री भीमसेन, श्री नाथूलाल करोल, श्री राधाकृष्ण गायल ने बीकानेर में चारे की कमी तथा जयपुर व टौंक जिलों में फसलों की क्षति सम्बन्धी विषय पर चर्चा उठाई।

श्री राम प्रसाद लड्ढा, उप-राजस्व मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया।

Page No 126

५. उप शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य १००

प्री-यूनिवर्सिटी की १९६४ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये जनरल इंगलिश के पार्ट "ए" में ८० प्रतिशत अंक प्राप्त करने, पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कालेज में प्रवेश न मिलने, परीक्षा तथा शिक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने एवं कोटा में चल रही विद्यार्थियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-शिक्षा मंत्री, ने एक वक्तव्य दिया ।

६. विधायी कार्य

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ १०१

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी बहस की गई । वाद-विवाद के पश्चात् प्रस्तुत संशोधन अस्वीकार किये गये । विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर, विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ ।

खण्ड २—संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३—संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४-५—बिना संशोधन स्वीकार किये गये ।

खण्ड ६ पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक रात्रि के ८ बज कर ५ मिनट पर गुरुवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६३, को दिन के २.३० बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३ की कार्य-सूची

राजस्थान साहूकार विधेयक-१९६३ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ का उत्तर देखिये)

सूची पत्र 'अ'

चोरी की घटनायें १-८-६३ से ३०-८-६३ तक हलका थाना गांधी नगर—गोवर्नमेंट कोलोनी

नम्बर शुमार	नाम मुस्तगीस	उनवान मुकदमा	नाम मुलजिमान	माल मसरुका	बाल बाज-याफता	रिपोर्ट	झूंठा	एफ० आर० प्रदम पता	जेर तफतीश
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	श्री शिव प्रसाद पान्डेय प्लोट नं० जी ८४२	केस नं० ७४ ता० २९-७-६२ धारा ४५४।३८० ता० हि०	—	२००	—	१	—	१, ५-९-६२	—
२	श्री विमल कुमार जैन, राज० एसम्बली, प्लोट नं० जी ७५५	केस नं० ८५ ता० २४-८-६२ धारा ३८० ता० हि०	—	५०	—	१	—	१, ९-९-६२	—
३	श्री एस०एल० नारायन, प्लोट नं० सी-६३ ।	केस नं० ११८ ता० १-११-६२ धारा ३८० ता० हि०	—	५०	—	१	—	१, १५-११-६२	—
४	श्री झालचन्द पुत्र प्रतापजी परिहार, क्वाटर नं० एफ २०	केस नं० ५८ ता० २७-५-६३ धारा ४५४।३८० ता० हि०	—	२००	—	१	—	—	१
५	श्री बसन्तलाल पुत्र केदारनाथ प्लोट नं० जी ८०७ ।	केस नं० ७ ता० २४-७-६३ ४५४।३८० ता० हि०	—	२००	—	१	—	—	१
६	श्री तिलकराज पुत्र हरबन्सलाल क्वाटर नं० जी० ७९०	केस नं० १३ ता० ३-८-६३ धारा ४५४।३८० ता० हि०	—	३००	—	१	—	१, २७-८-६३	—
		योग :—	—	रु० १०००	—	६	—	४	२

सूची पत्र 'बी'

१	श्री तिलकराज पुत्र हरबंसलाल क्वार्टर नं० जी ७९०	केस नं० १३ ता० ३-८-६३ धारा ४५४।३८० ता० हि०	—	३००	—	१	—	—	१

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ का उत्तर देखिये)

थानेदारों की सूची जो गंगानगर जिले के रहिबाशी है एवं उसी जिले में इस समय तैनात हैं :—

क्र.सं.	नाम	मौजूदा तैनाती तारीख	समय जो इसके पद पर जिला गंगानगर में बतौर थानेदार के तैनात रहे :—
१	२	३	४
१.	श्री रामनारायण पी.एस.आई.	१०–६–६३	१७–८–५४ से १७–१–५६
२.	श्री अवतारसिंह पी.एस.आई.	८–५–६१	बतौर थानेदार पहिले इस जिले में तैनात नहीं रहे।
३.	श्री भुपेन्द्रसिंह पी.एस.आई.	२४–५–६३	,, ,,
४.	श्री रामजस पी.एस.आई.	७–६–६३	,, ,,
५.	श्री मनोहरलाल एस.आई.	१६–११–६२	,, ,,
६.	श्री मनफूलसिंह एस.आई.	२७–१–६३	१९५३–५४
७.	श्री धनवन्तसिंह(प्रोब०)एस.आई.	८–४–६३	बतौर थानेदार पहिले इस जिले में तैनात नहीं रहे।
८.	श्री रामलाल एस.आई.	६–५–६३	,, ,,
९.	श्री प्रीतमसिंह एस.आई.	२४–४–६३	,, ,,
१०.	श्री जसवन्तसिंह एस.आई.	६–८–६३	,, ,,
११.	श्री प्रतापसिंह एस.आई.	१६–८–६३	,, ,,
१२.	श्री इकबालसिंह एस.आई.	१५–३–६३	९–१२–५७ से १८–९–५६
१३.	श्री महावीरसिंह एस.आई.	८–८–६१	२४–१०–५८ से २४–१०–६१

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६५ का उत्तर देखिए)

श्री गंगानगर जिले में जो समाचारपत्रों के डिक्लेरेशन प्रभावशील थे उनका विवरण तथा अन्य सूचनाएं निम्नलिखित हैं :—

सं०क्र०	नाम समाचार पत्र	नाम सम्पादक	तारीख डिक्लेरेशन	तारीख जब्ती डिक्लेरेशन	तादाद अंक जो १९६३ में प्रकाशित हुए	
१.	आहूति	श्री जगदीशचन्द्र चलाना, गंगानगर	२८–२–६३	–	२	साप्ताहिक
२.	सीमान्तसन्देश	श्री कमलनयन, गंगानगर	१०–८–५१	–	१४	,,
३.	चुनौती	श्री कुलदीप वेदी	२७–५–५६	२४–४–६३	–	,,
४.	जनमुक्ति	श्री सत्यपाल शर्मा, सूरतगढ़	७–८–६३	–	७	,,
५.	पूर्वोदय	श्री नंदपाल वर्मा	फरवरी ६२	–	–	,,
६.	भेदी	श्री रघुवीरसिंह, गंगानगर	१०-११-६१	२४–४–६३	–	,,
७.	उद्बोधन	श्री पन्नालाल शर्मा, नोहर	१२–६–६२	–	६	,,
८.	लाल सबेरा	श्री बालकृष्ण शर्मा	११–८–६२	२४–४–६३	–	,,
९.	धनंजय	श्री बिहारीलाल टांटिया	२–७–६२	२४–४–६३	–	,,
१०.	सुभाग	श्री मुन्नीलाल	१-१०-६२	२४–४–६३	–	,,
११.	सफीर	श्री प्रीतमसिंह भट्टी	२–३–६३	–	–	,,
१२.	मनीष	श्रीयुधिष्ठिरराज शर्मा, नोहर	८–४–६३	–	५	पाक्षिक (fortnightly)

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ का उत्तर देखिए)

List in respect of the Question No. 283/IAM

Appointment (D) Department.

NOTIFICATION.

Jaipur, June 16, 1959.

No. F. 21 (7) Apptts/C/55- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan makes the following rules regulating recruitment to posts in, and conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Ayurvedic Services.

THE RAJASTHAN AYURVEDIC SERVICES RULES, 1959.

Extract copy of Rule 12.

12. Academic qualifications and experience. A candidate for direct recruitment to the Service :—

(1) must hold a degree in Ayurvedic Medicine of university recognised by the Commission.

OR

must hold a diploma in Ayurvedic Medicine granted by a recognised institution after successfully completing a course extending to at least five years.

(2) must have practised as a registered practitioner in Ayurvedic Medicine or taught in an Ayurvedic College for at least five years, after obtaining the degree or diploma required under clause (i), and

(3) must possess a good working knowledge of Hindi written in Devnagri Script.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८०४ का उत्तर देखिए)

उन विभागों की सूची जिन्होंने निश्चित कोटा (१२।।) प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की भर्ती की । १-४-६० से ३१-३-६१

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के भर्ती किये गये व्यक्ति

क्र. सं.	विभाग	कुल रिक्त स्थान	गजटेड	सर्वोडिनेट	मिनिस्टीयल
१	२	३	४	५	६
१.	जिलाधीश चित्तोड़गढ	७	....	...	३
२.	जिलाधीश सिरोही	२	....	....	२
३.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	२७	....	....	१०
४.	जिलाधीश जयपुर	३	....	....	१
५.	जिलाधीश बाड़मेर	१३	....	....	२
६.	जिलाधीश चूरू	४१	....	२	४
७.	जिलाधीश पाली	१४	...	....	८
८.	जिलाधीश स. माधोपुर	१	....	....	१
९.	जिलाधीश अजमेर	१३	...	...	७
१०.	जिलाधीश झूंझुनूं	७	....	....	१
११.	उपआयुक्त, उपनिवेशन, भांखरा योजना हनुमानगढ़	१७	...	....	४
१२.	संचालक समाज कल्याण विभाग	३६	....	६	२
१३.	मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर योजना	८७	...	१०	४
१४.	संचालक आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण	१	...	१	....
१५.	महानिरीक्षक जनरक्षा विभाग	३८५	....	५५	...
१६.	संचालक जन चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवा जयपुर	१५६	...	२८	....

१७. संचालक पशु पालन विभाग	३६	....	५	....
१८. पंजीयक राज. सचिवालय जयपुर	२८	....	...	१०
१६. मुख्य लेखाधिकारी	३	...	....	२
२०. भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर	३	....	....	३
२१. मुख्य वन संरक्षक वन विभाग	२४	....	३	२
२२. देवस्थान आयुक्त उदयपुर	३	....	....	२
२३. महानिरीक्षक कारागार विभाग जयपुर	१४	...	१	१
२४. संचालक गजेटियर्स जयपुर	१	...	....	१
२५. संचालक स्थानीय निकाय जयपुर	५	....	....	१
२६. पंचायत एवं विकास विभाग जयपुर	११	...	....	२
२७. संचालक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर	१८	...	२	....
२८. संचालक जन सम्पर्क विभाग, जयपुर	७	....	१	५
२६. मुख्य वन संरक्षक कोटा	२१	...	१	१०
३०. महा निरीक्षक जन रक्षा विभाग जयपुर	५१६	....	१०५	१७
३१. राज्य सेवक बीमा योजना	८	...	....	२
३२. सचिव नगर विकास प्रन्यास जयपुर	५	...	१	....

Page No 133

उन विभागों की सूची जिन्होंने निश्चित कोटा १२।। प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की भर्ती की ।

१-४-६१ से ३१-३-६२ तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के भर्ती किये गये व्यक्ति ।

क्र. सं.	विभाग	कुल रिक्त स्थान	गजेटेड	सबोर्डिनेट	मिनिस्टीरियल
१.	संचालक बीमा विभाग, जयपुर	५६	....	...	१८
२.	जिलाधीश जयपुर	१६	....	...	६
३.	जिलाधीश सिरोही	१५	....	....	३
४.	जिलाधीश अलवर	४	....	....	१
५.	जिलाधीश भरतपुर	१७	...	....	१७
६.	जिलाधीश जालौर	२	....	....	२
७.	जिलाधीश झूंझुनूं	६	...	....	२
८.	जिलाधीश भीलवाड़ा	३	....	....	१
९.	जिलाधीश सवाई माधोपुर	६	....	...	१
१०.	जिलाधीश बाड़मेर	७	....	....	२
११.	जिलाधीश कोटा	३	...	....	३
१२.	जिलाधीश चूरू	४	...	...	२
१३.	जिलाधीश टोंक	३	....	....	३
१४.	विद्युत् निरीक्षक	६	....	....	१
१५.	संचालक संस्कृत शिक्षा जयपुर	११	....	४	२
१६.	मुख्य अभियन्ता निर्माण विभाग भवन व पथ	४०	....	....	२७
१७.	संचालक उपनिवेशन चम्बल योजना कोटा	६	....	....	१
१८.	संचालक समाज कल्याण विभाग जयपुर	२५	....	७	२
१९.	पंजीयक राजस्व मंडल अजमेर	१३	५	....	८
२०.	संचालक उद्योग एवं रसद विभाग उदयपुर	१०३	....	१६	३
२१.	आबकारी व कर विभाग आयुक्त उदयपुर	६	१	....	....
२२.	मुख्य लेखाधिकारी	५	....	....	१
२३.	स्थानीय निधि लेखा परीक्षक	६	....	....	१

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ का उत्तर देखिये)

LIST OF TREES AUCTIONED IN GANGCANAL DIVISION, SRI GANGANAGAR DURING 1960-61
(1 4.1960 to 31-3-1961)

S. No.	Name of Channels	Nos. of trees auctioned	Notice issued	Date of auction.
1.	O Minor RD 18 to 60 (Forms & fallen)	52	459. D/9.5.60	31.5.60
2.	Chunabad Rest House (Fallen)	4	575. D/15.5.60	31-5-60
3.	P. S, D sty RD 3-73 (Berms & Banks)	262	932. D/1.6.60	10.6.60
4.	P. S. Disty 65 to Tail (Berms & Banks)	289	1159 D/2.7 60	29.7.60
5a.	R.B.Lower Disty O-52	157	1473 D.12.8.60	28.8-60
5b.	,, 32- Tail			
6.	R.B. Upper Disty 0-29 (Berms & Banks)	39	,, ,,	29.8.60
7.	Jalluki Minor 0-18 (Berm and Bank)	70	1472 D./12.8 60	,,
8.	Sangrana Minor 12-17 (Fallen)	21	,, ,,	28.8.60
9.	Feeder 21-37 ...	72	1925 D/28.11.60	12 12 60
10.	Z Disty 15-61 (Fallen & Dry)	19	,, ,,	,,
11.	Gang Canal 369-423	109	1628 D/3.10 60	26.10.60
12	M.L. Ditoh 0-Tail	68	,, ,,	,,
13.	B. Minor 0-14			
14.	Feeder C-36	48	,, ,,	,,
15.	C. Minor 0-1	18	,, ,,	,,
16.	D. Minor 3-4			
17.	L.N. Ji 0-Tail	44	,, ,,	,,
18.	J. Minor 0-17	12	,, ,,	,,
19.	Hindumalkot RH	35	,, ,,	29.10.60
20.	A Minor 0-Tail	87	,, ,,	,,
	Total	1406		

LIST OF TREES AUCTIONED IN GANGCANAL DIVISION, SRI GANGANAGAR DURING 1961-62
(1.4.61 to 31.3.62)

S No.	Name of Channels	Nos of trees auctioned.	Notice issued	Date of auction.
1.	Minor RD 14-36 left (Berms & Banks)	73	790 D/20.6.61	6.7.61
2.	Rest House Compound Ganganagar. (Dry & Fallen)	14	,, ,,	,,
3.	B.B. Disty RD 108-Tail	30	387 D/22.6.61	7.7.61
4.	Z Disty RD 19-45 (due to construction of road by P.W.D. (B&R) Deptt)	330	1143 D/16.8.61	2.9.61
5.	Rest House compund Ganganagar (Fallen)	12	1143 D/16.8.61	2.9.61
6.	L.N.P. RD 37 to 57 Left (Berms)	153	1509 D/9.10.61	27.10.61
7-	Feeder & Bhagsar RD 38-56 (Berms)	469	,, ,,	,,
8.	Rest House Compund Netewali (Dry & Fallen)	17	1613 D/21.10.61	5.11.61
9.	Chunabadh Rest House	19	1257 D/23.12.61	7.1.62
10.	D.D. Minor RD 7-19	82	,, ,,	,,
11.	Common Banak Disty No. 2 and L. N. P.	160	283 D/9.1.62	20.1.62
12.	Feeder RD 37-66	561	,, ,,	21.1.62
13.	Rest House Ganganagar & S E. Benglow.	107	,, ,,	,,
14.	Rest House Compound Shivepur.	190	,, ,,	22.1.62
15.	Gang Canal RD 398-408 left	227	203 D/31.1.62	15.2.62
16.	Gang Canal RD 408-423 left	206	,, ,,	,,
	Total	2650		

LIST OF TREES AUCTIONED IN GANGCANAL DIVISION, SRI GANGANAGAR DURING 1962-63
(1.4.62 to 30.9.62)

S.No.	Name of Channels	Nos of trees auctioned	Notice issued	Date of auction.
1.	BB. Disty RD 70-Tail Right	294	98 D/23.1.62	10.2.62
2.	Hirn wali Disty RD 0-31 Left side	421	465 D/10.3.62	24.3.62
3.	T.K. Minor RD 0-Tail Right	446	553 D/23.3.62	10.4.62
4.	T.K.Minor RD 0-Tail Left	674	" "	"
5.	Bala Minor RD 0-17 Right & Left	482	" "	"
6.	H.H. Disty RD 0-7 Left	402	653 D/14.4.62	28.4.62
7.	H.H. Disty RD 7-19 Left	490	" "	"
8.	Disty No. 3 RD. 0-22 Left	237	" "	"
9.	Disty No. 3 RD 0-22 Right	59	" "	"
10.	Karniji Disty RD 49500-70300	88	717 D/2.5.62	16.5.62
11.	Feeder RD 233-237	45	1011 D/23.5.62	6.6.62
12.	Rest House Sulamanki	138	529 D/4.6.62	19.6.62
13.	M.K. Disty RD 0-16 Both side	499	1098 D/28.6.62	15.7.62
14.	G.G. & Netewali Head	39	1185 D/30.7.62	17.8.62
15.	Netewali Rest House	41	" "	"
16.	M.L. Disty RD 0-15 Right	374	" "	20.8.62
17.	Shivepur Gang Canal feeder L.N.P. Minor etc. (Dry & fallem)	174	" "	"
18.	Netewali Rest House	57	" "	"
	Total	4980		

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर देखिये)

Statement showing the Expenditure during the last two years in B Divisions

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
				Figures in lacs					
S.No.	Name of Divisions	Repairs Buildings		Repairs Commnicattions		Original Works Buildings		Original Works Communications	
		1961-62.	1962-63	1961-62.	1962-63.	1961-62	1962-63	1961-62	1962-63
1.	Jaipur City I.	7.17	6.53	4.14	3 28	41.46	27.66	0.71	0.08
2.	Jaipur City II.	-	1.99	-	0.07	-	10.74	-	-
3.	Jaipur District.	1.43	0.90	9.94	10.28	28.41	15.50	11.02	7.84
4,	Alwar	1.51	1 42	10.90	9.23	7.84	5.43	16.22	1.12
5.	Bharatpur	1.77	1.64	20.00	13.19	12.88	6. 2	24.23	19 09
6.	Jhunjhunu	0.57	0.62	4.98	5.30	14.36	6 01	18.68	12.35
7.	Ajmer Dn. I.	2 55.	1.78	8.88	[illegible].49	27.82	14.04	8.97	0.38
8.	Ajmer Dn. II.	-	0.62	-	10.39	-	6.85	-	6.86
9.	Kota	2.69	1.74	24.16	9.53	15.90	11.86	19,42	6.92
10.	Chambal Mandi Kota.	-	0 31	-	5.08	16.33	1[illegible].14	-	3.69
11.	Jhalawar.	-	0.66	-	11 07	-	3.33	-	9 64
12.	Tonk	1.23	1 00	10.63	7.12	10.86	32.93	13.22	10.34
13.	City Divn, Jodhpur.	2.68	2.49	8 58	7.20	26.67	10.94	11.95	6.89
14.	West Divn, Jodhpur.	0.67	0.63	6.01	7.66	21.52	17.34	10.13	4.84
15.	East Dn, Jodhpur.	-	0.87	-	6.19	-	16.32	-	5.31
16	Sirohi.	1.28	0.77	6.80	5.52	25.35	7.54	11.75	4.78
17.	Bikaner.	2.30	1.91	9.10	5.81	40.79	24.69	19.61	1.10
18	Constn, Dn. Bikaner.	-	0.35	-	5.64	-	5.44	-	10.46
19.	Shri Ganganagar.	0 81	0.84	3.21	4.62	23.60	5.04	25.78	17.39
20.	Hanumangarh.	0 15	0.18	2.22	3 50	15.52	12.93	16.64	17.55
21.	Udaipur.	2.65	2 14	8.14	9.34	28.85	27 22	8 26	4.32
22.	N. H. W. Dt. Udaipur.	0.23	0.20	9.01	8.44	.92	0.61	19.09	7.77
23.	Dungarpur.	0.69	0.68	5.31	7.23	5 48	5.53	10.51	11.65
24.	Bhilwara.	0.85	0.79	6.07	6.00	21 46	8.85	10.93	8.61
25.	Chittorgarh.	0.71	0.61	5.99	4.60	18.43	20.57	13.69	13.04
26.	N. H. W. Dn. Jaipur.	-	0.06	-	8.12	-	0.80	-	12.50

परिशिष्ट ८

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित व स्थगित प्रश्नोत्तर)

जलदाय विभाग के कर्मचारियों को रिवाइज्ड ग्रेड

८१२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ता. १ सितम्बर, १९६१ से जलदायी विभाग के अलावा अन्य विभागों के मजदूरों एवं अन्य कर्मचारियों को रिवाइज्ड ग्रेड दिया जा रहा है ? अगर हां, तो जलदायी विभाग के कर्मचारियों को उक्त रिवाइज्ड ग्रेड अब तक क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

उत्तर

रिवाइज्ड ग्रेड में स्थायी कर्मचारियों को १-९-६१ से फिक्स किया गया है तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों को २७-९-६१ से फिक्स किया गया है ।

लेखकों एवं संवाददाताओं को अनुदान

श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वर्ष ६२–६३ में राज्य में किन्हीं लेखकों एवं संवाददाताओं को अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किसकी सिफारिश पर किस किस को और कितना कितना ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

नहीं । किसी लेखक अथवा संवाददाता को १९६२–६३ में कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

जयपुर-अजमेर रूट का राष्ट्रीयकरण

८१४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर-अजमेर रूट का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तथा किस तारीख से स्टेट रोडवेज़ की गाडियां इस रूट पर चलने लगीं ?

(ख) इस तारीख से पहले इस रूट पर किन २ बस ऑपरेटर की कितनी २ और किस किस नम्बर की गाड़ियां आर. टी. ए. के किस २ नं. तथा कितनी २ अवधि के परमिट से चल रही थीं ?

(ग) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व चलने वाली प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की गाड़ियों के परमिट की अवधि बहुत पहले समाप्त हो गई थी और ये गाडियां अनधिकृत रूप से इन रूट्स पर चल रही थी ?

(घ) यदि हां, तो आर. टी. ए. द्वारा स्वीकृत परमिट की अवधि के उपरान्त कितने समय के लिये किसकी आज्ञा से चलीं और क्यों ?

(ङ) इन बस ऑपरेटर्स को कौन२ से ऑल्टर्नेटिव रूट्स दिये गये हैं तथा कितना कितना मुआवजा ?

कृपया प्रश्नों से सम्बन्धित तालिकाएं सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) जयपुर-अजमेर रूट का राष्ट्रीयकरण दिनांक २७-११-६१ से हुवा। स्टेट रोडवेज़ की बसें ता० १-३-६२ से चलने लगी हैं।

(ख) इसकी सूची संलग्न है।

(ग) जयपुर-अजमेर रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर्स की गाड़ियां पूर्णतया अधिकृत रूप ही से चलती रही थी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जिन २ बस ऑपरेटर्स को जो २ आल्टर्नेटिव रूट्स दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची

JAIPUR-AJMER ROUTE ALTERNATIVE GRANTED

S No.	Name of operators	Pt.No.	Alternative route granted	Dt.of meeting
1.	Shri Amarchand Tamra	1704	Jaipur-Pilani-Loharu	16/17th.Dec. 61
2	M/s Amar Tpt. Roadways	1771	Mathura-Kama-Kosi	„
3.	M/s Shri Gulabsundersingh	1605	Jaipur-Pilani-Loharu	„
4.	Shri Malik Ram	1713	—do—	„
5	Shri Ramtaram Tikkiwal	1714	Tonk-S Madhopur	„
6.	M/s Prahladchand & Co	1715	Jaipur-Lohrau	„
7.	Shri Chuharmal Lalwani	1717	—do—	„
8	M/s RajMotorWorkers Tpt Co	1718	—do—	„
9.	M/s Asiatic Bus Service	1720	—do—	„
10.	M/s Tela Ram & Bros.	1721	—do—	„
11.	M/s Pursharthi Drivers Co. Soceity	1724	—do—	„
12.	Shri Gopal Lal Yadav	1727	Alwar-Mathura	„
13.	Shri Pratapsingh Surana	1730	Jaipur-Pilani-Loharu	„
14	Shri Vidyadhar Tpt. Jaipur	1731	—do—	„
15.	Snri Mularaj Sethi	1732	—do—	„
16.	Shri D. S. Kothari	1734	Mathura-Kama-Kosi	10/11thNov.61
17.	Shri Roopnarain Prakash	1735	Alwar-Mathura	16/17thOct.61
18	M/s Girdharisaran Janakisaran	1807	Jaipur-Pilani-Loharu	„
19.	M/s Madanlal Fatehsingh	1813	—do—	„
20	Shri Fatehsingh	1811	—do—	„
2 .	Shri Jagansingh	1817	—do—	„
22.	M/s Aram Bus Transport	1822	Tonk S. Madhopur	10/11th Nov.61
23.	Shri Ghanshyamdutt	1823	Jaipur-Pilani.Loharu	„
24.	M/s Social Workers Tpt.	1827	Bharatpur. Delhi	16/17th Oct.61
25.	Shri ManguSingh DilipSingh		Tijara-Bhiwari	April,63
26.	Shri Tarachand Sapra		—do—	„

JAIPUR-KISHANGARH ROUTE

1.	Shri Sohan Bux	812	Kishangarh-Diggi	10/11th Nov. 61
2.	Shri Sohan Devi	805	Sambhar-Chaksu	27.2.62
3.	Shri Indualji	770	Jaipur-Pilani-Loharu	16/17th Oct. 61

4. Shri Rassolbux	486	Jobner-Asalpur	16th, 17th Oct; 61
5. Shri Udaimal Lodha	501	Ajmer-Pushakar	10/11th Nov. 62
6. Shri Wali Mohd.	493	Sambhar-Chaksu	27.2.62
7. Shri Baia bux Tak	493	—do—	„
8. Shri Mohd. Umar	485	Jaipur-Pilani-Loharu	3/4.5.62
9. Shri Shekh Hirrohazi	935	—do—	„
10. Shri Hazi Ajmeri	491	—do—	„
11. Shri Noor Mohd.	491	—do—	„
12. Shri Nizamuddian.	489	—do—	„
13. Shri Harijan Yatayat.	631	—do—	16/17th Oct. 61
14. Burhanbux.	488	—do—	„
15. Shri Bali Shah.	487	—do—	„
16. Shri Abdulrehman Mohdin.	492	—do—	3rd,4th May, 1962
17. Lalta Pd. Harnamsingh		—do—	„
18. Shri Baljitsingh.		—do—	„

AJMER-HARMARA

1. M/s Bhagumadas Chandmal	AH(V)	Ajmer-Srinagar	
2. Shri Gulabdavi, Ajmer	152	Beawar-Nasirabad	10th,11th. Nov. 61

AJMER-KISHANGARH

1. Shri Udaimal Lodha			
2. —do— Ajmer-Srinagar	205	Kishangarh-Arain	—do—
3. —do— —do—			—do—
4. Balwantsingh		Ajmer-Pushkar	—do—
5. M/s Pratapsingh Rathore		Vijainagar-Kekri	—do—
6. Sh. Vijaisingh Rathore		—do—	—do—
7. Sh. Udaimal Lodha		Ajmer-Pushkar	—do—

AJMER-JAIPUR

1. Sardarmal Dasot	RJX 259	25.12.61
2. Didaram Murlidhar	RJL 5563	—do—
3. Mangusingh Dalipsingh	RJL 6137	—do—
4. Amarchand Tamra	RJL 6765	—do—
5. Gulab Surendrasingh	RJL 5994	—do—
6. Dulatram Badlani	RJX 255	—do—
7. Tarachand Sapra	RJL 5411	—do—
8. Premchand & Co.	RJL 5570	—do—

9. Rewachand Ganumal	RJL 5011	25.12.61
10. Rajasthan Tpt. Services	RJL 899	—do—
11. Amar Tpt. Services	RJL 7721	—do—
12. Amar Singh	RJL 5933	—do—
13. Malik Ram	RJL 5566	—do—
14. Ramratan Tikkiwal	RJL 5612	—do—
15. Vimladevi	RJL 6672	—do—
16. Prahladchand and Co.	RJL 5811	—do—
17. Chuharmal Lalwani	RJX 272	—do—
18. Raj Motor Workers Tpt. Coop. Socy.	RJL 5674	—do—
19. Darumal Ganumal	RjL 5514	—do—
20. Asiatic Bus Service	RJL 5628	—do—
21. General Motor Bus Service.	RJX 278	—do—
22. Bhungramal Jethanand	RJL 5723	—do—
23. Tolaram & Bros.	RJX 258	—do—
24 Pursharthi Driver Tr.	RJL 4454	—do—
25. Ex. Serviceman Coop. Tpt.	RJZ 112	—do—
26. Gopallal Yadav.	RJL 4454	28.12.62
27. Western Indian States.	RJL 5622	—do—
28 Jawaharlal J. C. C.	RJL 6867	—do—
29. Partap Shingh Surana.	RJZ 1061	—do—
30. Vidya Dhar Tpt. Co.	RJL 5688	—do—
31. Malikraj Sethi.	RJQ 2989	28.12.62
32. Ashok Yatayat Samvoy.	RJL 6120	
33 D. S Kothri.	RJQ 2452	
34. Roopnarain Prakashchand	RJL 6807	
35. Vasumal Uttomal	RJL 6802	29.12.62
36 Krishna Bus Service	RJU 339	6.9.62
37. Soni Bus Motor Service	RJL 5673	7.9.62
38. Ramchandra	RJL 5947	—do—
39. Girdhari Saran Janki Saran	RJL 6285	
40. Ved Vyas	RJZ 1352	
41. Madholal Fatehsingh	RJL 6353	—do—
42. Fatehsingh	RJL 6113	8.9.62
43. Jagannath Singh	RJL 6766	16 9.62
44. Nanshankar	RJZ 324	24.9.62
45. Aram Transport	RJL 6787	25.9.62

46. Ghanshyam Dutt	RJL 6409	30.9.62
47. Social Workers Tr. Assn.	RJL 6143	13.11.62
48. Bodulal Harijan	RJL 4811	29.10.62

JAIPUR-KISHANGARH ROUTE

1. Udaimal Lodha	RJL 3871	27.1.61
2. Laltaparsad Harnamsingh	RJL 3429	—do—
3. Harijan Yatayat Samvoy	RJL 2924	—do—
4. Noor Mohd.	RJL 6383	—do—
5. Baljitsingh	RJZ 996	—do—
6. Balabux Tax	RJL 5991	—do—
7. Amriksingh	RJA 613	29.1.61
8. Smt. Sohanbai	RJL 1521	27.1.61
9. Wali Mohammad	RJL 5525	—do—
10. Haji Ajmeri Abdul Gani	RJL 2586	—do—
11. Nazamudin	RJL 1231	—do—
12. Abdul Rehman Mohddin	RJL 3312	—do—
13. Mohamad Umar	RJL 3396	—do—
14. Roshan Bux	RJL 7i6	31.1.61
15. Hira Haji Rahimbux	RJL 4991	27.1.61
16. Burahbux	RJL 6761	—do—
17. Rasolbux	RJL 5561	31.1.61
18. Sultan Singh Rathore	RJL 2997	27.1.61
19. Ummed Singh Rathore	RJL 2994	—do—
20. Idulji Alvia	RJL 3013	—do—

AJMER-KISHANGARH ROUTE

1. Udaimal Lodha	RJL 5351	21.9.61
2. Pratap Singh Rathore	RJL 3165	26.7.60
3. E. N. S. Mehta	RJL 3009	21.8.60
4. Vijai Singh Rathore	RJZ 61	7.2.62
5. Automobile Transport	RJZ 764	—do—
6. —do—	RJZ 763	—do—
7. Udaimal Lodha	RJZ 251	—do—
8. —do—	RJZ 351	—do—
9. —do—		

KISHANGARH AJMER SARWAR

1. Balwant Singh	RJL 2980	29.6.60
2. M/s Jaihind Coop. Society	RJL 1370	29.1.61

AJMER HARMARA

1. M/s Bhagwandass Chandmal	RJZ 283	11.8.61
2. Smt. Gulabdevi	RJX 258	31.1.60

कस्बा कामां को बिजली की सप्लाई

८१५. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा कामां को बिजली सप्लाई का कार्य एक साल से शुरू है ?

(२) क्या यह सही है कि डीग से कामां तक अभी बिजली के लट्ठे नहीं लगाये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बिजली का सामान पर्याप्त मात्रा में वहां नहीं सप्लाई हो रहा है ?

(४) क्या यह भी सही है कि कस्बा पहाड़ी और कस्बा जुरहड़ा को कामां से ही बिजली सप्लाई होगी ?

(५) यदि हां, तो साथ साथ इन दोनों लाइनों पर भी आवश्यक सामान पहुंचाने की योजना कब तक अमल में लाई जावेगी ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी नहीं।

३. जी हां।

४. अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

५. प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद औषधालय की मरम्मत

८१६. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आयुर्वेद औषधालय उदयपुर के भवन की फर्श की क्या हालत है ? क्या मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फर्श की मरम्मत कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

आयुर्वेदिक औषधालय भवन उदयपुर की फर्श कहीं कहीं मरम्मत तलब है। अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) को मरम्मत कार्य कराने के लिए निवेदन किया हुआ है।

गिरवां तहसील में सड़कें

८१७. श्री ओंकारसिंह (गिरवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गिरवा तहसील में अगले दो सालों में कौन कौन से गांवों में सड़कें बनाई जाने वाली हैं ?

उत्तर

१. इस तहसील में काफी सड़कें बन चुकी हैं। योजना अनुसार और कोई नई सड़क बनाने की योजना नहीं है।

पब्लिक गार्डन्स पर खर्चा

८१८. श्री हरिप्रसाद शर्मा, (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पब्लिक गार्डन्स का सन् ६०–६१, ६१-६२ व ६२-६३ का कितना कितना बजट है ?

(२) इसमें कितनी कितनी राशि सरकारी बंगलों पर खर्च हुई है तथा कितनी कितनी पब्लिक गार्डन्स पर ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी बंगलों पर आवश्यकता से अधिक खर्च होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

१. पब्लिक गार्डन्स का बजट निम्न प्रकार था।

१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३
८,००,०००	७,५०,०००	८,१२,०००

२. सन्	पब्लिक गार्डन्स	बंगलों गार्डन्स
१९६०-६१	८,०८,४६४	६५,२७३
१९६१-६२	७,३५,६८७	७३,२२०
१९६२-६३	७,०२,४८१	१,२३,७४०

३. बंगलों के बगीचों पर खर्चा आवश्यकतानुसार ही होता है किन्तु जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में निर्धारित सीमा से अधिक आवश्यकतानुसार ही खर्च होता रहा है। निर्धारित सीमा में वृद्धि किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

गंगापुर में चोरियां

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अगस्त, १९६२ से जुलाई, १९६३ तक कस्बा गंगापुर में कितनी चोरियां हुई हैं तथा उनमें से अब तक कितनी बरामद हुई हैं ?

उत्तर

कस्बा गंगापुर में अगस्त सन् ६२ से जुलाई सन् ६३ तक नकबजनियों सहित कुल ३० चोरियों हुई जिनमें से अब तक ९ बरामद हो चुकी हैं।

स्थगित-प्रश्न

(३-९-६३)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय

४००. श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लड़कियों के लिये कितने छात्रावास हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) कौन कौन से छात्रावासों में कितनी कितनी लड़कियां हैं ?

(३) हर साल इन छात्रावासों में कितना खर्चा होता है ? प्रत्येक छात्रावास के आंकड़े अलग अलग बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा लड़कियों के सात छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सन् १९६२–६३ के व्यय के प्रांकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थाव में संचालित कन्या छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	छात्रावास का नाम व स्थान	जिला	प्रवेश संख्या १९६३–६४	खर्चा १९६२–६३
१.	राजकीय कन्या छात्रावास, सागवाड़ा, डूंगरपुर	डूंगरपुर	१९	१२,७४१
२.	राजकीय कन्या छात्रावास, खेरवाड़ा	उदयपुर	२५	११,५५०
३.	राजकीय कन्या छात्रावास, कोटा	कोटा	२४	६,०००
४.	राजकीय कन्या छात्रावास, जोधपुर	जोधपुर	१७	६,७००
५.	राजकीय कन्या छात्रावास, जयपुर	जयपुर	१७	६,८७३
६.	राजकीय कन्या छात्रावास, बीकानेर	बीकानेर	१३	३,२९४
७.	राजकीय कन्या छात्रावास, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	३३	९,०००
		योग—	१४८	५६,१५८

स्थगित-प्रश्न

(१०-९-६३)

एडवर्ड मेमोरियल भवन

६१२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में एक 'एडवर्ड मेमोरियल' भवन है ? यदि हां, तो यह कहां स्थित है ?

(२) क्या यह सही है कि यह भवन सरकार द्वारा मैडिकल कॉलेज के होस्टल के लिये उपयोग में लाया जा रहा हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या यह सही है कि पहले जयपुर स्टेट के समय में और उसके बाद भी उक्त भवन 'मुसाफिर खाने' के रूप में काम में लिया जाता था ?

(४) क्या सरकार यह अनुभव नही करती है कि राज्य की राजधानी जयपुर में आने वाले यात्रियों की बढती हुई संख्या को देखते हुए ऐसे भवन उनके लिये खोल दिये जाने चाहिये ?

(५) क्या यह सही है कि 'एडवर्ड मेमोरियल' राज्य सरकार द्वारा अस्थायी उपयोग के लिये लिया गया था ? यदि हां, तो कितने समय के लिये ? क्या सरकार इसे खाली करने का विचार नहीं रखती है ? यदि नहीं रखती है, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी हां, मान प्रकाश सिनेमा के पास स्थित है।

२. जी हां, सन् १९५९ से।

३. जी हां।

४. यात्रियों को इस प्रकार की और भी सुविधायें प्राप्त हैं।

५. निकट भविष्य में खाली होने की सम्भावना नहीं क्योंकि होटल के लिये और कोई उपयुक्त भवन नहीं है।

स्थगित-प्रश्न
(११-९-६३)

६४०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Will the Law Minister be pleased to state :—

(1) Is it a fact that a high judicial Officer of the Rajasthan Government wrote an anonymous letter against the Chief Justice of the Rajasthan High Court ?

(2) Is it a fact that the High Court sought the opinion of an Hand-writing Expert for identification of the hand-writing of the letter ?

(3) Is it a fact that the hand-writing expert gave his opinion that the letter was in the hand-writing of Mr. D. C. Sharma ?

(4) What action has the Government taken against Mr. D. C. Sharma ? If not, why not ?

उत्तर

1. Yes. It is true that such an anonymous letter was received and it was suspected that some judicial officer had a hand in it.
2. Yes. It is a fact that the High Court sought the opinion of some Hand-writing Experts for identification of the handwriting of the letter.
3. Yes. The expert gave the opinion that the letter appeared to be in the handwriting of Shri D. C. Sharma, District and Sessions Judge.
4. The matter was then referred to the Advocate General of the State, who disagreed with the opinions of the Handwriting Experts, and opined that it would be difficult to sustain a proceeding against the officer The matter was, therefore, dropped.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	३	म० पू० २ बज	म० प० २ बजे
२	अन्तिम	हुग्रा	हुआ
७	अन्तिम से २	नहीं	नहीं
९-१०	शीर्षक	तावांकित प्रश्नोत्तर –१७ सितम्बर, ६३–तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर-१७ सितम्बर, ६३ –तारांकित प्रश्नोत्तर
९	२	ज्यदा	ज्यादा
११	अन्तिम से ४	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१२	८	यह	यह
१२ व १३	क्रमशः १८, २४,७,व१३	श्री राधाकिशन गोयल	श्री राधाकृष्ण गोयल
१४	१९	क्वश्चन	क्वेश्चन
१८	१८	विद्युत एवं श्री मुख्य	विद्युत एवं मुख्य
१९	७	अधिकारी गण	अधिकारीगण
,,	अन्तिम	श्री रामानन्द अग्रवाल	—
२२	१०	मजिस्टेट	मजिस्ट्रेट
२९	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
३४	शीर्षक	–तारांकित प्रश्नत्तर	–तारांकित प्रश्नोत्तर
३७	१३	हेडकफ	हैंडकफ
,,	अन्तिम से २	मुकासिब	मुनासिब
३८	अन्तिम	(अनुपस्थित।	अनुपस्थित)
		———	श्री भैरोंसिंह
५२	१९	बैहरे	बहरे
५३	अन्तिम से ७	उप-मंत्री, उद्योग	उप-मंत्री, सिंचाई
५५	शीर्ष	(श्री परसराम (मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
५७	५	श्री विजयसिंह झाला	८०८. श्री विजयसिंह झाला
५८	अन्तिम से ७	टेवस	टेक्स
६०	७	सभझावें	समझावें

१	२	३	४
६०	अन्तिम से ६	डिवि न	डिविज़न
६१	शीर्षक	–१७ सिपम्बर, ६३–	–१७ सितम्बर, ६३–
६३	६	श्री मानिकचन्द्र सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६४	१०	श्री मानिकचन्द्र सुराणा	श्री मानिकचन्द्र सुराणा
६५	अन्तिम	करगे	करेंगे
६७ व ६८	शीर्षक	प्रश्नोनर	प्रश्नोत्तर
६७	१०	एग्रीभेन्ट	एग्रीमेन्ट
६६	१४	निर्मर	निर्भर
७२	८	हुआ हुआ है	हुआ है।
७६	५	बिठ ई	बिठाई
७६	शीर्षक	–१७ सितम्बर,	–१७ सितम्बर,
८३	अन्तिम	रिपार्ट	रिपोर्ट
८४	अन्तिम	तहर	तरह
८५	अन्तिम से ५	अदमी	आदमी
८७	३	रिपर्टे भे ी	रिपोर्टें भेजी
८६	शीर्ष	(श्री हरिश्चन्द्र वैर)	(श्री हरिश्चन्द्र)
,,	२	शिडूल दी	शिडूल ट्र दी
,,	४	बढना	बढ़ाना
,,	५	६२	६३
,,	१३	मैजिंग	मैनेजिंग
६१ से १००	शीर्षक	चारे की कमी व फसलों को क्षति –१७ सितम्बर, ६३– विषयक क्षति	चारे की कमी व फसलों को क्षति –१७ सितम्बर ६३– विषयक ध्यान दिलाना
६१	३	फसलों की सम्बन्धी	फसलों को क्षति सम्बन्धी
,,	७	विलब	विलम्ब
६२	अन्तिम से ३	आषाड	आषाढ़
६३	१५	ख ाव	खराब
,,	१६	रमिशन	रेमिशन
६४	अन्तिम से २	चुरु	चूरू
६५	१६	७२	८६
६६	अन्तिम से १०	अच्छो	अच्छी

१	२	२	४
१०१	६	मागें	मांगें
१०४	१६	आवश्यक	आवश्यक
,,	१६ के बाद	—	कोटा के छात्रों द्वारा शिक्षण शुल्क के विरुद्ध प्रदर्शन सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य
१०५	शीर्षक	बिना अनुमति प्रवेश विषयक –१७ सितम्बर, ६३– शासाकीय वक्तव्य	कोटा में शिक्षण शुल्क सम्बन्धी –१७ सितम्बर, ६३– शासकीय वक्तव्य
११०	६	रीडिग	रीडिंग
,,	अन्तिम से ५	श्रा सम्पत्तिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
१११	अन्तिम से ४	डिस्नेट	डिसेन्ट
११३	६	श्री योगेन्द्रनाथ हांड	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	७	इतला	इत्तला
११४	अन्तिम से १०	कन्सीलियेन	कन्सीलियेशन
११७	७	ठठ देखिये कि डवाई	ठाठ देखिये कि डीवाई.
११९	१२	श्रा सम्पत्तिलाल बाहरा (मावल)	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)
१२०	२१	डिडसेन्ट	डिसेन्ट
१२१	७	स्वागत्त	स्वागत
१२२	१९	भता	भत्ता
१२३	१२	डिस्पाज़	डिस्पोज़
१२५	अन्तिम से ७	अक्छा	अच्छा
१२७	अन्तिम से ९	आंफेन्स	ऑफेन्स
१२९	६	ऑफस	ऑफिस
,,	११	डॉक्युमेन्ट्स	डाक्युमेन्ट्स
१३१	१४	माननय	माननीय
१३२	५	सहूकार	साहूकार
,,	९	लगों	लोगों
,,	१६	बिजुनस	बिज़नेस
१३३	५	श्री मुक्तिलल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
१३४	अन्तिम से ८	दृष्ट	दृष्टि

१	२	३	४
१३४	अन्तिम	लाते	चलाते
१३८	७	हेती	होती
,,	६	कोआॅरेटिव	कोआॅपरेटिव
,,	१४	कोआारेटव	कोआॅपरेटिव
,,	अन्तिम से ७	डिस्ट्रब्यूट	डिस्ट्रीब्यूट
१३६	२	श्री गगसिह	श्री गंगासिह
,,	५	सयों	साथियों
,,	न्तिम से ४	किसनों	किसानों
१४०	अन्तिम से १४	बहरे	बोहरे
,,	अन्तिम से ४	कोआॅपरेटिय	कोआॅपरेटिव
१४१	६	सा।	साथ
१४२	६	इणलिले मैं हमा	इसलिये मैं हमारी
१४४	अन्तिम से ६	िवेनन	निवेदन
१४६	१७	सभपति	सभापति
१५०	४	सहूकारी	साहूकारी
,,	१६	सहूकार	साहूकार
१५२	५	सढे	साढ़े
१५३	६	मलू ा	मालूम
१५४	अन्तिम से ४	सिक्ट	सिलेक्ट
१५५	६	हिन्दुस्तन	हिन्दुस्तान
,,	अन्तिम से ११	Hob' nle	Hon' ble
१५५	अन्तिम	hat	that
१५६	३	his given	has given
,,	४	by has	by his
,,	११	wil	will
१५७	शीर्षक	सहूकार	साहूकार
१५८	६	दी जए	दीजिए
१६०	अन्तिम से १२	आश्यकताओं	आवश्यकताओं
१६३	३	स्टेट लेन	स्टेट लोन
,,	११	न हा,	न हो,
१६४	८	समान्वित	समन्वय

१	२	३	४
१६४	अन्तिम से८-७	प्रवधान	प्रावधान
१६६	अन्तिम से ५	डिप्रशन	डिप्रेशन
१७०	१२	कॉन्स्टट्यूशन	कॉन्स्टीट्यूशन
१७७	६	सर्मत	समिति
,,	११	(अस्वकृत)	(अस्वीकृत)
,,	अन्तिम से ६	म ोदय, य ां	महोदय, यहां
१८२	५	ऑथोरटी	ऑथोरिटी
,,	८	अण्डरटेंि ग	अण्डरटेकिंग
,,	२०	गवनमेन्ट	गवर्नमेन्ट
,,	अन्तिम से ६	तसरी	तीसरी
,,	१६	विधेक	विधेयक
,,	अन्तिम से ७	किल	निकल
,,	अन्तिम से ३	खद	खाद
१८५	५	ि न्दा	जिन्दा
,,	६	दलल	दलील
,,	अन्तिम से ५	जो ि प्रट	जो स्प्रिट
१८६	अन्तिम से ८	जरूत	जरूरत
१८७	१२	तारफ	तारीफ
१८८	२	अर्थिक	आर्थिक
,,	६	लेने के ोशश	लेने की कोशिश
,,	१३	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
१८९	१६	साहूार	साहूकार
१९०	१५	बतें	बातें
१९१	१७	लगू	लागू
,,	अन्तिम से ४	नेसेि टी	नेसेसिटी
१९२	१३	मजूर	मंजूर
१९३	अन्तिम से ५	इन्स्टट्युशन्स	इन्स्टीट्यूशन्स
१९४	६	Sub-clausse	Sub-Clause
१९५	अन्तिम से ७	menas	means
१९७	अन्तिम से ७	श्री रघुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
१२८	अन्तिम से ७	श्री सम्पत्तिलल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा

१	२	३	४
२००	१२	कोशश	कोशिश
२०३	७	उद्दश्य	उद्देश्य
२०४	६	लग्	लागू
२०६	१४	श्रये	श्राये
,,	२३	लोए	लोग
,,	श्रन्तिम से ६	of	or
२०७	३	वयक्ति	व्यक्ति
२०६	शीर्षक	साहूकर	साहूकार
,,	१२	देहात से	देहात में
,,	१७	सभ	सभी
,,	२०	तो कसी पर भी देखी नहीं गवनमेंट । खुद	तो कहीं पर भी देखी नहीं। गवर्नमेन्ट खुद
,,	श्रन्तिमसे६व८	परसटेज	परसेन्टेज
२१०	२	श्री रामनन्द	श्री रामानन्द
२११	श्रन्तिम से १०	करता हुं	करता हूं
२१२	श्रन्तिम से ७	landrord o his	landlord or his
,,	श्रन्तिम से ४	tanant	tenant
,,	श्रन्तिम	(Rajasthau	(Rajasthan
२१३	१०	लैंडिग	लैंडिग
,,	श्रन्तिम से ११	तमी	तभी
२१४	७	प्राविज़न्स	प्रोविज़न्स
,,	श्रन्तिम से १२	तरमीन	तरमीम
,,	श्रन्तिम से ४	रिट्रोस्पे कटव	रिट्रोस्पेक्टिव
२१५	२	लवाल	सवाल
,,	१५	money -l-nder	money-lender
,,	श्रन्तिम से ५	रिट्रं स्पेविटव	रिट्रोस्पेक्टिव
२१७	श्रन्तिम से ७	morey lender	money lender
,,	श्रन्तिम से ५	accoraance	accordance
२२१	श्रन्तिम से ८	३ पर	२ पर
२२३	शीर्षक	राक्थान	राजस्थान
,,	श्रन्तिम से ८	हाय	हाय

१	२	३	४
२२४	५	तिदिन	प्रतिदिन
,,	१८	उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	२२	श्री गिरवारीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
२२५	अन्तिम से ५	नयुक्त	नियुक्त
२२६	६	सशोधन	संशोधन
,,	अन्तिम से ८	आपत्त	आपत्ति
,,	अन्तिम से ४	लिखें	लिखे
,,	अन्तिम में ३	हटा द	हटा दें
२२७	४	इको	इनको
,,	७	टेच्यूट	स्टेच्यूट
,,	९	ोर्ट्स	कोर्ट्स
,,	अन्तिम से १०	डेमोक्रेटक	डेमोक्रेटिक
,,	अन्तिम	धुल	धुल पायेंगे और
२२८	५	ि श्वास	विश्वास
,,	१०	श्री रामप्रसाद लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	१३	ा ते है,	आते हैं,
,,	१४	अशं ा	आशंका
,,	१५	कभी भ	कभी भी
,,	अन्तिम से २	खने	रखने
२२९	३	श्री रानप्रसाद लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	अन्तिम से ७	publico fficers	public officers
२३०	१५	(विरम)	(विराम)
,,	१६	श्री सम्पत्तिलाल बोरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	अन्तिम से ६	eht	the
२३१	१४	व्यापा ी	व्यापारी
२३१	अन्तिम से ४	स्क्राइब्ड	प्रेस्क्राइब्ड
,,	अन्तिम	हा ा	होना
२३२	शीर्षक	बधेयक	विधेयक
२३३	१	श्री रामप्रसाद्र लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	२	वलों	वालों
,,	३	चाता	चाहता